IV वाणिज्यिक बैंक

भारत में बैंकिंग क्षेत्र वर्ष 2024-25 के दौरान समुत्थानशील बना रहा, जिसे मजबूत तुलन पत्र, निरंतर लाभप्रदता और बेहतर आस्ति गुणवत्ता का समर्थन मिला। बैंक ऋण और जमाराशि वृद्धि संयमित तरीके से दोहरे अंकों में बनी रही। सभी बैंक समूहों में पूंजी और चलनिधि बफर विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। मजबूत बैंकिंग क्षेत्र जोखिमों के विरुद्ध बफर प्रदान करते हैं, जो विवेकपूर्ण विनियमन के साथ मिलकर, निरंतर ऋण प्रवाह के लिए स्थितियां निर्मित करते हैं।

परिचय[1]

IV.1 वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र समुत्थानशील बना रहा, जिसके तुलन पत्र में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाराशि और ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में हुई, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह धीमी रही। वर्ष 2025 में नीतिगत दर को कम किए जाने से इसका जमा और उधार दरों पर इसका प्रभाव रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता मजबूत रही। बैंकों ने, पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात और लीवरेज अनुपात, जो विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर है, के साथ अपनी मजबूत पूंजीगत स्थिति बनाए रखी है। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात का बहु-दशकीय निचले स्तर आने, लीवरेज अनुपात का लगातार पांचवें वर्ष गिरने और प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार होने से आस्तियों की गुणवत्ता और मजबूत हुई। चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात के साथ चलनिधि बफर, बैंक-समूहों में विनियामकीय आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहे। विशिष्ट क्षेत्रों की सेवा करने वाले अलग-अलग बैंकों ने भी अपने परिचालन के स्तर में वृद्धि देखी, उनके प्रदर्शन संकेतक व्यापक रूप से मजबूत रहे।

IV.2 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में निरंतर वृद्धि के साथ डिजिटल भुगतान की मात्रा और मूल्य में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई। डिजिटल भुगतान परितंत्र में प्रगति वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रही है। 01 अक्तूबर 2025 को, रिज़र्व बैंक ने बैंकों की ऋण गतिविधियों के दायरे को व्यापक बनाने, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को बढ़ाने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव रखा, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निक्षेप बीमा फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना शामिल है।

IV.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय को 17 खंडों में संयोजित किया गया है। खंड 2 में तुलन पत्र से संबन्धित गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है, इसके बाद खंड 3 और 4 में क्रमशः वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन किया गया है। खंड 5 बैंक ऋण और इसकी क्षेत्रवार गतिशीलता पर केंद्रित है। खंड 6 में वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व के स्वरूप पर चर्चा की गई है। कॉरपोरेट अभिशासन को खंड 7 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन को खंड 8 में शामिल किया गया है। इसके बाद भुगतान प्रणालियों (खंड 9), बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (खंड 10), उपभोक्ता संरक्षण (खंड 11) और वित्तीय समावेशन (खंड 12) से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों से संबंधित गतिविधियों की चर्चा खंड 13 से 16 तक में की गई है। खंड 17 में घरेलू वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

[1] इस पूरे अध्याय में, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, जुलाई 2023 के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों में एक निजी क्षेत्र के बैंक के साथ एक गैर-बैंक का विलय शामिल है।

2. तुलन पत्र का विश्लेषण

IV.4 मार्च 2025 के अंत में, भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 21 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), 44 विदेशी बैंक (एफबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और दो स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल थे।[2] इन 139 वाणिज्यिक बैंकों में से 135 को अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि चार गैर-अनुसूचित थे।[3]

IV.5 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (आरआरबी को छोड़कर) के समेकित तुलन पत्र में वर्ष 2024-25 के दौरान 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान यह 15.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.1 और परिशिष्ट सारणी IV.1)। आस्तियों के मामले में, वर्ष 2024-25 में बैंक ऋण

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	72,877	75,209	32,832	33,781	1,18,319	1,37,462	7,844	8,307	5,001	5,303	2,36,873	2,60,063
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	9,56,917	11,32,923	12,14,000	14,19,882	1,79,507	2,05,019	32,957	36,339	-2,365	-2,141	23,81,016	27,92,021
3. जमाराशियां	1,29,04,944	1,41,96,270	75,61,434	85,02,193	10,08,119	11,08,188	2,50,896	3,15,401	16,184	25,131	2,17,41,578	2,41,47,183
3.1. मांग जमाराशियां	8,00,415	9,52,585	9,88,296	10,65,197	3,46,863	3,83,121	10,895	13,685	76	89	21,46,546	24,14,678
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	41,83,455	43,18,072	20,23,907	21,41,306	57,827	63,020	59,691	68,666	16,108	25,042	63,40,988	66,16,106
3.3. मीयादी जमा	79,21,074	89,25,613	45,49,230	52,95,690	6,03,430	6,62,046	1,80,310	2,33,050	0	0	1,32,54,044	1,51,16,400
4. उधारियां	10,24,003	11,84,026	12,84,429	11,64,192	2,03,073	3,37,436	28,255	30,022	713	1,930	25,40,474	27,17,607
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	5,34,493	5,53,322	4,28,932	4,62,542	1,96,692	2,63,798	15,328	15,394	5,135	6,320	11,80,579	13,01,376
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,54,93,234**	**1,71,41,751**	**1,05,21,628**	**1,15,82,590**	**17,05,711**	**20,51,903**	**3,35,280**	**4,05,463**	**24,668**	**36,543**	**2,80,80,520**	**3,12,18,250**
1. आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	6,18,769	7,08,963	5,32,750	5,60,941	1,05,980	1,26,006	17,503	26,780	3,004	3,555	12,78,007	14,26,245
2. बैंको के पास शेष जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	4,34,252	5,42,068	1,89,051	2,86,458	74,865	1,46,574	6,259	5,777	4,313	6,488	7,08,740	9,87,364
3. निवेश	40,50,865	42,68,092	23,23,647	26,37,218	8,07,328	9,26,786	74,283	87,286	14,286	23,445	72,70,409	79,42,827
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी)	34,84,382	35,89,786	19,88,718	22,47,035	7,35,661	8,40,631	63,873	70,755	14,271	23,418	62,86,905	67,71,625
ए) भारत में	34,23,192	35,14,009	19,73,422	22,24,022	7,25,476	7,94,906	63,873	70,755	14,271	23,418	62,00,234	66,27,110
बी) भारत के बाहर	61,190	75,777	15,296	23,013	10,185	45,725	0	0	0	0	86,671	1,44,515
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5	149	0	0	0	0	0	0	0	0	5	149
3.3 गैर-स्वीकृत प्रतिभूतियों में	5,66,477	6,78,157	3,34,929	3,90,183	71,667	86,155	10,410	16,531	15	27	9,83,499	11,71,053
4. ऋण और अग्रिम	95,06,329	1,07,50,234	68,61,388	74,76,925	5,48,443	6,19,967	2,26,148	2,72,481	0	0	1,71,42,309	1,91,19,608
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	3,57,393	4,04,154	1,50,663	1,54,634	85,242	88,163	1,444	3,097	0	0	5,94,742	6,50,048
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	33,64,717	39,02,589	19,59,717	23,25,667	2,38,921	2,71,680	26,945	38,359	0	0	55,90,301	65,38,295
4.3 मीयादी ऋण	57,84,218	64,43,492	47,51,009	49,96,625	2,24,280	2,60,124	1,97,758	2,31,024	0	0	1,09,57,266	1,19,31,265
5. अचल आस्तियां	1,18,864	1,28,705	56,768	65,826	5,956	6,042	3,353	4,205	1,189	1,354	1,86,130	2,06,132
6. अन्य आस्तियां	7,64,154	7,43,689	5,58,022	5,55,220	1,63,139	2,26,527	7,733	8,936	1,876	1,701	14,94,925	15,36,073

टिप्पणियाँ : 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं है।
2. घटक अपने संबंधित योग में समान नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि संख्या को ₹ करोड़ तक में पूर्णांकित किया गया है।
3. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार आंकड़ों का मिलान किया जाता है और भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ में प्रकाशित किया जाता है, जिसे इस रिपोर्ट के साथ जारी किया जा रहा है और यह https://www.dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

[2] 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी एक एसएफबी के दूसरे के साथ विलय के बाद वर्ष 2024-25 में एसएफबी की संख्या 12 से घटकर 11 हो गई।

[3] वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या अन्यथा शामिल किए जाने के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित में वर्गीकृत किया गया है। मार्च 2025 के अंत में, दो पीबी, अर्थात जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दो एलएबी, अर्थात कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे।

और निवेश में क्रमश: 11.5 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयताओं के मामले में, वर्ष 2024-25 में जमा में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

IV.6 विलय के प्रभाव को छोड़कर, वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ऋण और निवेश में वृद्धि क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह क्रमशः 16.0 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत थी। विलय के प्रभाव को छोड़कर, वर्ष 2024-25 में जमा वृद्धि 11.4 प्रतिशत थी, जबकि एक वर्ष पहले यह 13.4 प्रतिशत थी (चार्ट IV.1)।

IV.7 एससीबी के समेकित तुलन पत्र में पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 54.9 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2024 के अंत में 55.2 प्रतिशत थी। इसी अवधि में पीवीबी की हिस्सेदारी 37.5 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 37.1 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, वर्ष 2024-25 के दौरान एफबी, एसएफबी और पीबी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसके अलावा, एससीबी के कुल अग्रिमों में पीएसबी की हिस्सेदारी बढ़कर 56.2 प्रतिशत हो गई, जबकि कुल जमाराशि में उनकी हिस्सेदारी घटकर 58.8 प्रतिशत रह गया।

IV.8 वर्ष 2024-25 के दौरान जमा, उधार, निवेश और ऋण के संदर्भ में एससीबी की समेकित तुलन पत्र की संरचना व्यापक रूप से विगत वर्ष के समान ही रही। हालाँकि, बैंक समूहों में संरचना भिन्न थी (चार्ट IV.2)। उधार में कमी होने से पीवीबी की कुल देयताओं में जमाराशि की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। पीएसबी की कुल देयताओं में जमाराशि का हिस्सा घट गया।

2.1 देयताएं

IV.9 निजी और विदेशी बैंकों के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में एससीबी की जमाराशि वृद्धि में कमी आई (चार्ट IV.3ए)। घटक-वार यह कमी मुख्य रूप से सावधि जमाराशियों की वृद्धि में मंदी के कारण आई थी। सख्ती की अवधि (मई 2022-जनवरी 2025) के दौरान नीति रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि के मुकाबले एससीबी की भारित औसत सावधि जमा दरों में 259 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि हुई। बाद में सख्ती की अवधि में ढील देने से नीति दर में 100 बीपीएस (फरवरी-जून 2025)[4] की कटौती के बाद एससीबी ने भारित औसत सावधि जमा दरों में 105 बीपीएस (अक्तूबर 2025 तक) की कमी की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जमा दरों में अपेक्षाकृत अधिक संचरण दिखाया (चार्ट IV.3 बी और सी)।

चार्ट IV.1: एससीबी की चयनित संकलित राशियां

(मार्च के अंत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रतिशत)

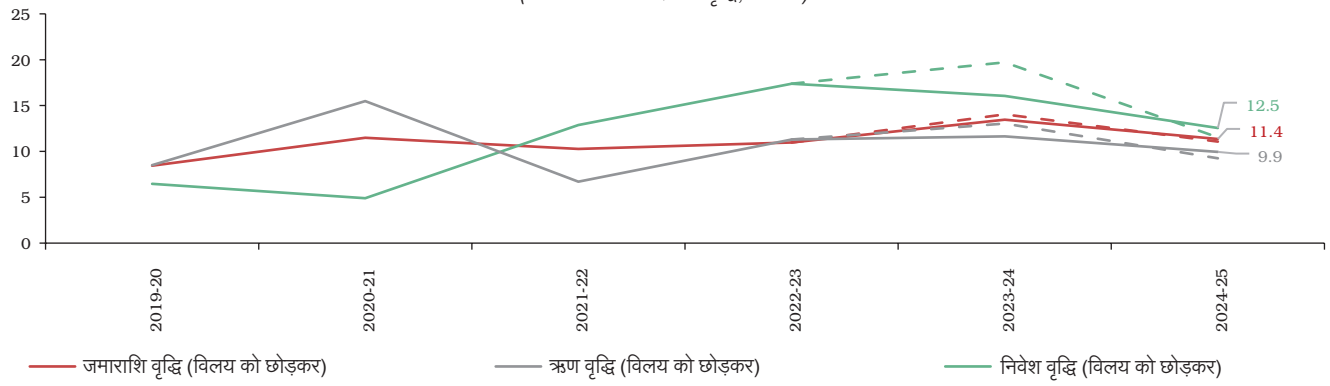

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. विलय को छोड़कर यह दर्शाता है कि गैर-बैंक के निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को बाहर रखा गया है।
3. आंकड़े लेबल विलय के प्रभाव को छोड़कर संबंधित चर को दर्शाते हैं।
4. बिंदीदार रेखाएं विलय के प्रभाव सहित संबंधित चर का प्रतिनिधित्व करती हैं।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

[4] 5 दिसंबर 2025 को नीतिगत दर को और 25 आधार अंकों तक कम करके 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।

चार्ट IV.2: बैंक समूह-वार तुलन पत्र संघटन

(मार्च के अंत में कुल आस्तियों/देनदारियों का हिस्सा प्रतिशत में)

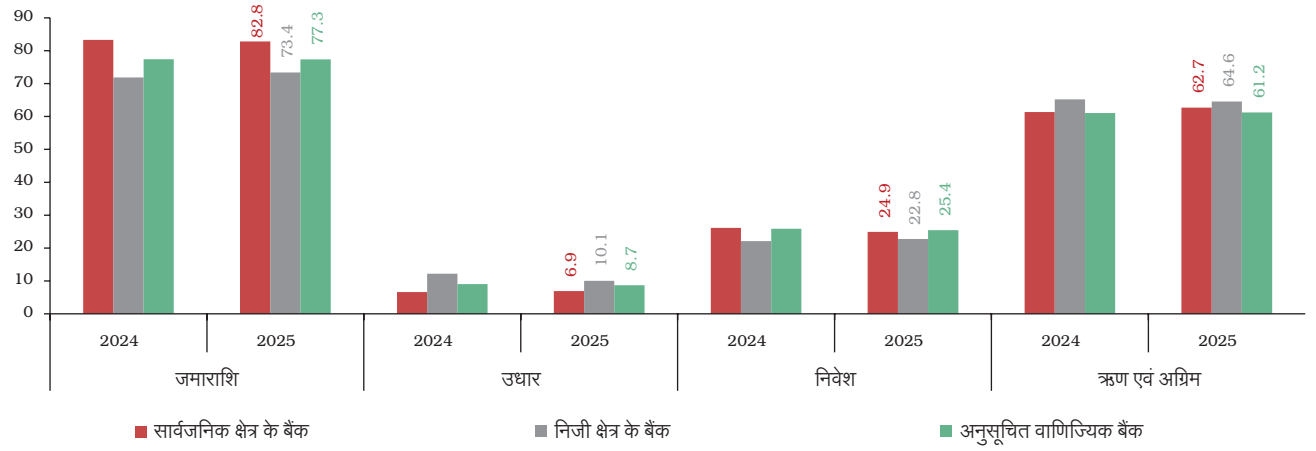

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

2.2 *आस्तियां*

IV.10 वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक समूहों में बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई (चार्ट IV.4)।

IV.11 नीति दर में परिवर्तन का ऋण दरों तक संचरण विभिन्न चरणों और बैंक समूहों में भिन्न रहा। सख़्ती के दौरान, एससीबी ने नीति रेपो दर में की गई 250 आधार

चार्ट IV.3: बैंक जमाराशि वृद्धि और बैंकों की जमा दरों में मौद्रिक संचरण

ए. जमाराशि वृद्धि में भारित योगदान

(मार्च के अंत में वर्ष दर वर्ष वृद्धि, प्रतिशत)

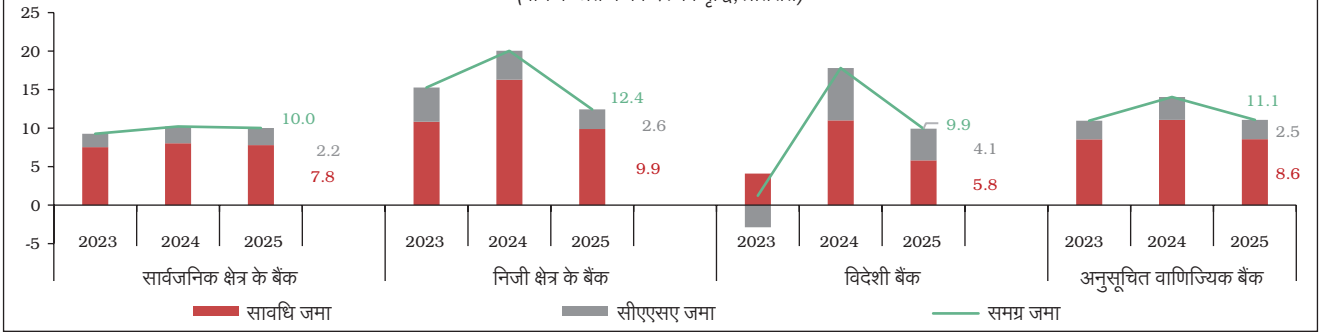

बी. सख्ती चक्र में भारित औसत सावधि जमा दरों में संचरण (नया जमा)

(आधार अंक)

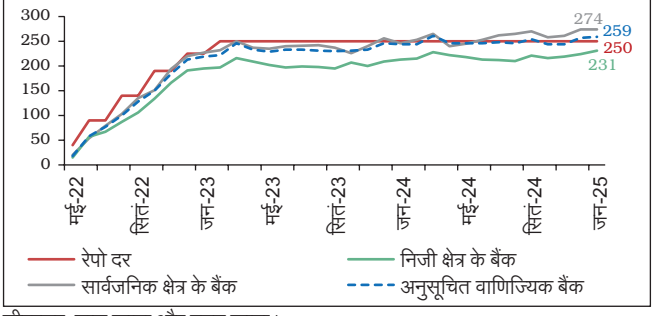

सी. नरमी चक्र में भारित औसत सावधि जमा दरों में संचरण (नया जमा)

(आधार अंक)

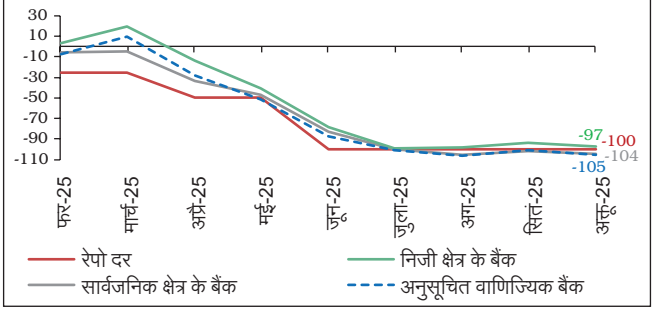

सीएएसए: चालू खाता और बचत खाता।
* 5 दिसंबर, 2025 को नीतिगत दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।
टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: बैंकों और आरबीआई के वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.4: बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

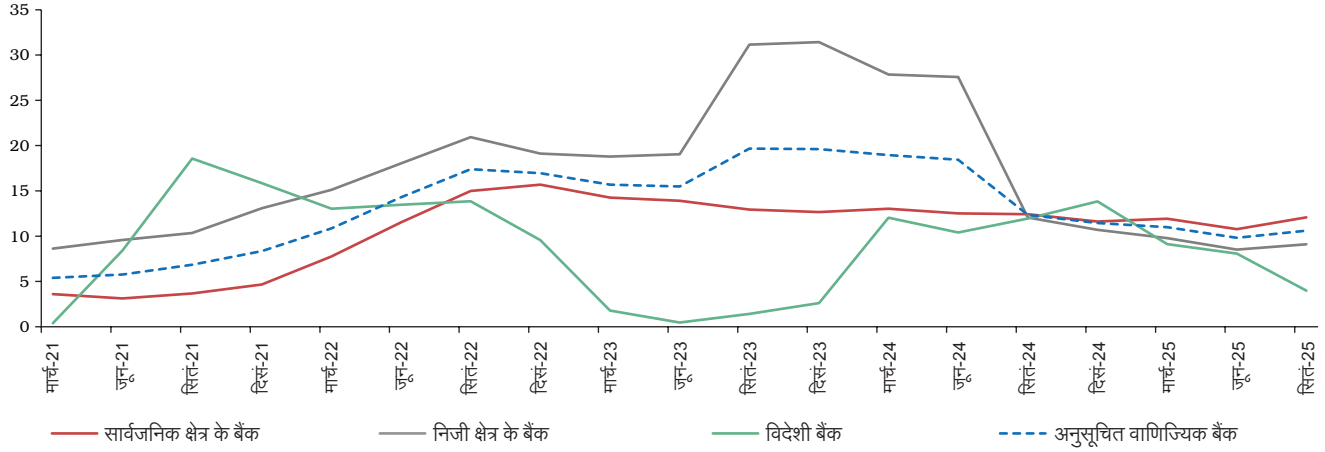

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: जमा और ऋण का स्थानिक वितरण, आरबीआई।

अंकों की वृद्धि (मई 2022–जनवरी 2025) में से 182 आधार अंकों तक नए ऋणों पर भारित औसत ऋण दर में संचारित किया। उसके बाद, नरमी के दौरान (फरवरी-जून 2025)[5] में 100 आधार अंकों की नीति दर कटौती के एवज में 69 आधार अंकों (अक्तूबर 2025 तक) का संचरण हुआ। पीएसबी और पीवीबी के बीच संचरण विषम रहा (चार्ट IV.5 ए और बी)।

IV.12 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी में निवेश वृद्धि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश के कारण धीमी हो गई। एसएलआर स्वीकृत प्रतिभूतियों में एससीबी के निवेश का हिस्सा पिछले वर्ष के 82.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 80.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.6ए)। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां एससीबी के एसएलआर निवेश पर हावी थीं, जबकि गैर-एसएलआर निवेश मुख्य रूप से कर्ज प्रतिभूतियां थी। एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेशों में

चार्ट IV.5: बैंक उधार दरों में मौद्रिक संचरण

ए. सख्ती चक्र में भारित औसत ऋण दरों में संचरण (नया ऋण)

(आधार अंक)

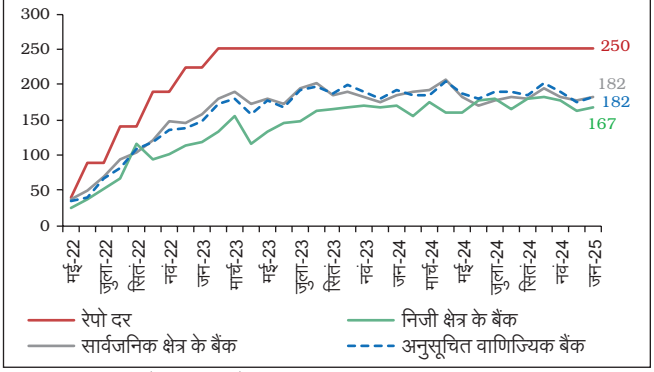

बी. नरमी चक्र में भारित औसत ऋण दरों में संचरण (नया ऋण)*

(आधार अंक)

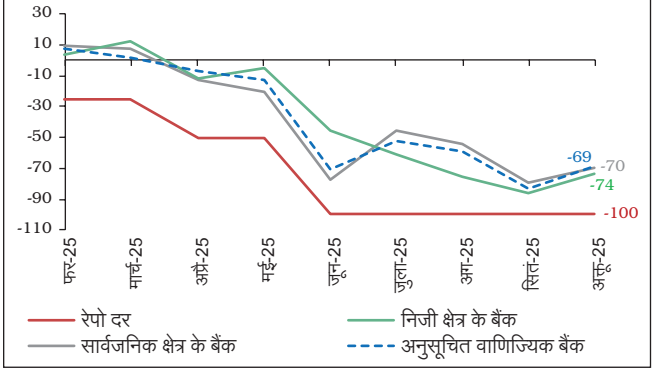

* 5 दिसंबर, 2025 को नीति दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।
टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[5] 5 दिसंबर 2025 को नीतिगत दर को और 25 आधार अंकों तक कम करके 5.25 प्रतिशत कर दिया गया।

चार्ट IV.6: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(मार्च के अंत में)

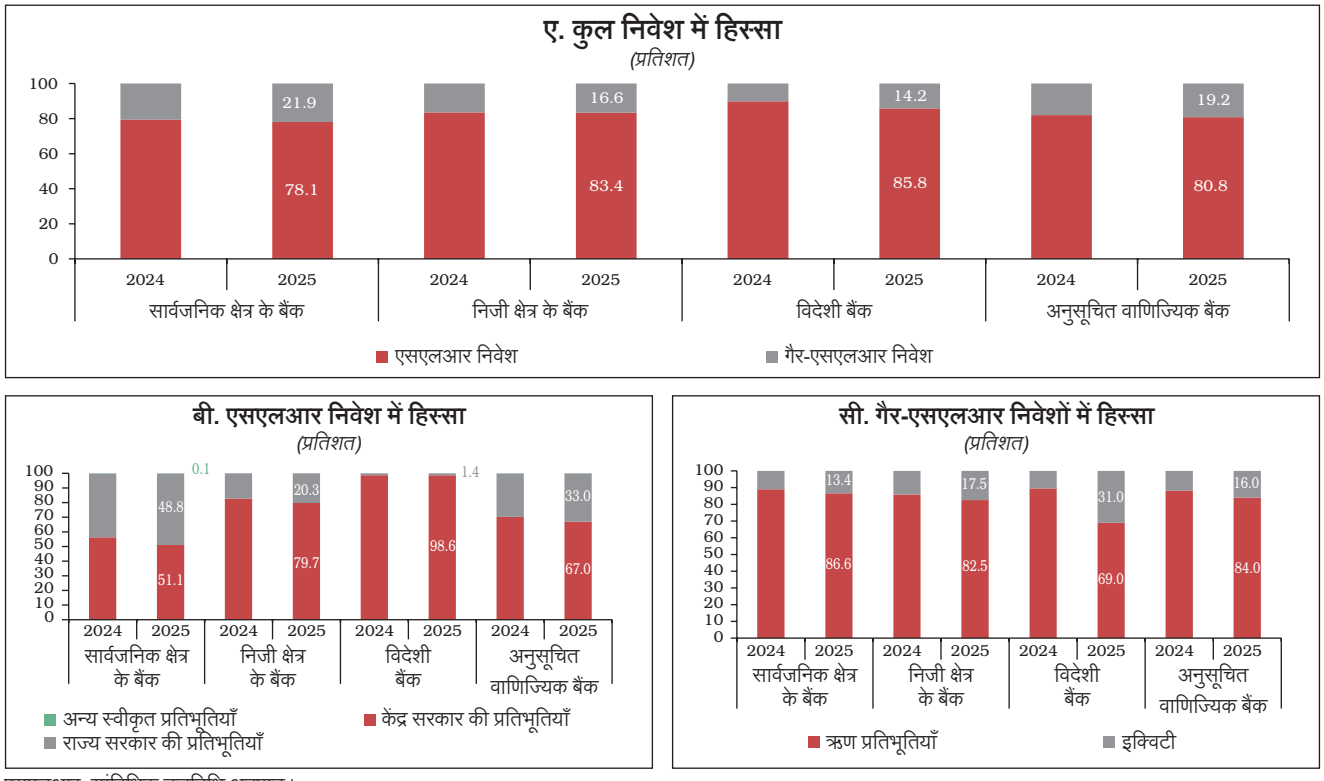

एसएलआर: सांविधिक चलनिधि अनुपात।

टिप्पणी: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।
2. पुर्णांकन के कारण घटकों का योग 100 नहीं हो सकता है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और इक्विटी की हिस्सेदारी क्रमशः वर्ष के दौरान बढ़ी (चार्ट IV.6बी और सी)।

IV.13 पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान, ऋण जमा वृद्धि अंतर कम हो गया (चार्ट IV.7)। मार्च 2025 के अंत में एससीबी का ऋण जमा अनुपात 79.2 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह 78.8 प्रतिशत था। नवंबर 2025 के अंत में एससीबी का ऋण जमा अनुपात 80.05 प्रतिशत रहा।[6]

2.3 आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.14 आस्तियों और देयताओं के बीच परिपक्वता में बेमेल होना बैंकिंग प्रणाली में स्वाभाविक हैं, क्योंकि जमाराशि, जो निधियों का मुख्य स्रोत हैं, आम तौर पर अल्पावधिक से मध्यम अवधि के होते हैं, जबकि ऋण आम तौर पर मध्यम अवधि तक बढ़ाए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में अल्पावधिक[7] बकेट में परिपक्वता बेमेल बढ़ा, हालांकि यह पूर्व-महामारी स्तरों के सापेक्ष कम रहा (चार्ट IV.8)।

IV.15 मार्च 2025 के अंत में, कुल जमाराशि में अल्पावधिक जमा की हिस्सेदारी सभी बैंक समूहों में बढ़ गई। भुगतान बैंकों को छोड़कर, यह प्रमुख श्रेणी की बनी रही। निजी और विदेशी बैंकों के नेतृत्व में एससीबी के लिए अल्पावधिक उधार में बढ़ोत्तरी हुई। पीएसबी और पीवीबी दोनों के ऋण और अग्रिम

[6] धारा (सेक्शन)-42 के पाक्षिक विवरणी के आधार पर। यह आंकड़ा 28 नवंबर, 2025 को समाप्त पखवाड़े से मेल खाता है।

[7] अल्पावधि को एक वर्ष तक, मध्यम अवधि को एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि दीर्घ अवधि को पांच वर्ष से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट IV.7: ऋण-जमा वृद्धि में अंतराल

(प्रतिशत अंक)

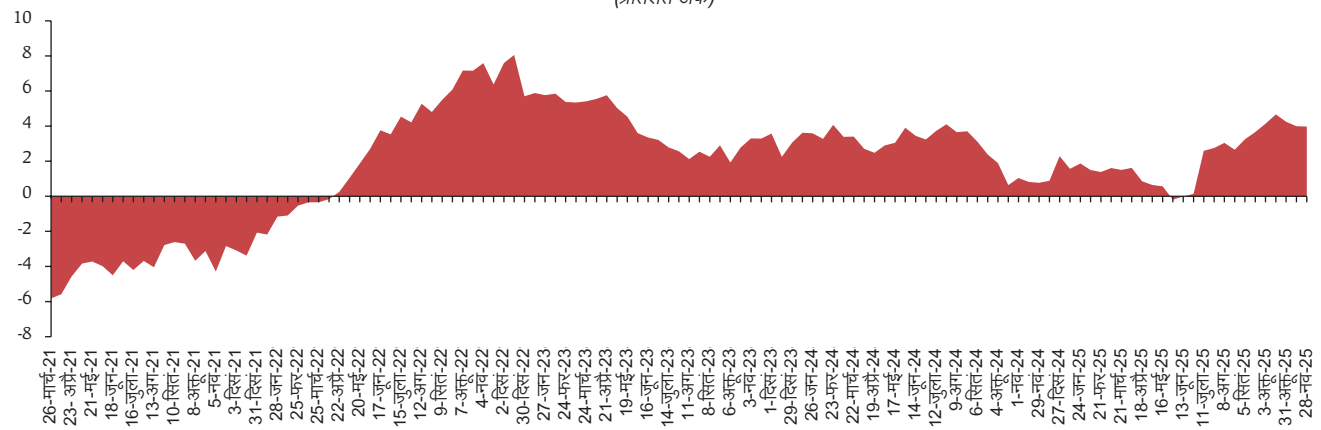

टिप्पणियां: 1. जुलाई 2023 से 27 जून 2025 तक के आंकड़ों में गैर बैंक के निजी क्षेत्र बैंक में विलय का प्रभाव नहीं है।
2. ऋण-जमा वृद्धि में अंतर को ऋण वृद्धि और जमाराशि वृद्धि में अंतर से आंकलित किया जाता है।

स्रोत: आरबीआई।

मध्यम अवधि की श्रेणी में केंद्रित थे। पीएसबी का निवेश आम तौर पर दीर्घ अवधि के लिखतों में था, जबकि अन्य सभी बैंक समूहों ने अल्प अवधि एक्सपोजर को प्राथमिकता दी (सारणी IV.2)।

2.4 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.16 लगातार दो वर्षों की गिरावट के बाद, वर्ष 2024-25 में भारतीय बैंकों की देयताओं की तुलना में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात बढ़ गया (चार्ट IV.9)। वर्ष के दौरान भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि नोस्ट्रो बैलेन्स और विदेशों में स्थानन (प्लेसमेंट) में वृद्धि हुई, अनिवासियों को ऋण और निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण दिए गए। भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि, मुख्य रूप से अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपये खातों और अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी

चार्ट IV.8: परिपक्वता समूह-वार आस्तियों एवं देयताओं का अंतराल

(कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत)

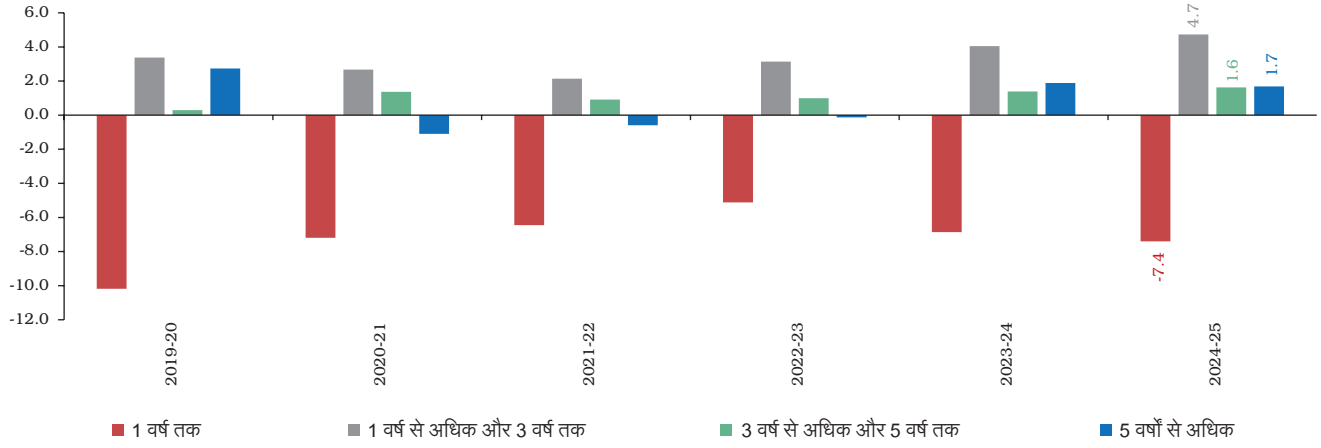

टिप्पणियाँ: 1. आस्तियों में ऋण और अग्रिम एवं निवेश शामिल हैं।
2. देयताओं में जमाराशियाँ और उधारियाँ शामिल हैं।
3. अंतराल की गणना आस्तियों में से देयताओं को घटाकर की जाती है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

सारणी IV.2: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

देयताएँ/आस्तियाँ	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		एससीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	38.4	39.6	39.3	39.4	62.2	63.3	49.0	55.7	22.6	29.1	39.9	40.8
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	22.0	21.7	27.9	26.2	30.7	29.8	44.8	38.5	77.4	70.9	24.7	24.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.0	10.8	8.3	8.9	7.1	6.9	4.5	3.9	0.0	0.0	9.8	9.9
डी) 5 वर्ष से अधिक	28.7	27.9	24.5	25.4	0.0	0.0	1.7	1.8	0.0	0.0	25.6	25.4
II. उधारियाँ												
ए) 1 वर्ष तक	58.1	53.1	33.8	44.7	82.8	89.8	51.3	48.5	100.0	93.3	47.7	54.0
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.0	37.8	27.0	16.2	8.5	35.7	34.6	0.0	6.7	27.5	20.0
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	6.9	7.4	9.9	9.8	0.4	0.4	7.3	9.1	0.0	0.0	7.9	7.6
डी) 5 वर्ष से अधिक	18.3	23.6	18.6	18.5	0.6	1.4	5.8	7.7	0.0	0.0	16.9	18.5
III. ऋण एवं अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	28.0	28.4	27.3	28.6	59.5	58.7	37.7	38.1	-	-	28.9	29.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	36.5	36.1	34.6	34.8	23.8	23.6	36.0	32.6	-	-	35.3	35.1
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.1	11.5	12.5	12.3	8.2	8.7	10.1	11.6	-	-	12.1	11.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.4	24.0	25.6	24.3	8.5	8.9	16.3	17.7	-	-	23.7	23.5
IV. निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	22.4	21.5	58.6	59.9	83.9	83.6	68.6	68.2	99.2	92.8	41.4	42.2
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.2	13.5	17.2	15.1	10.4	9.9	25.9	25.1	0.4	2.6	16.0	13.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.9	15.4	6.1	6.3	1.6	2.2	4.0	4.9	0.1	0.8	8.8	10.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	49.4	49.6	18.1	18.7	4.1	4.4	1.5	1.8	0.3	3.8	33.8	33.4

- : लागू नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. आँकड़े, तुलन-पत्र के प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता समूह की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
2. पूर्णांकन के कारण संभावना है कि घटकों का योग 100 तक नहीं हो।
3. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

की वृद्धि में मंदी होने से धीमी हुई (परिशिष्ट सारणी IV.2 और IV.3)।

चार्ट IV.9: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ और देयताएं
(प्रतिशत)

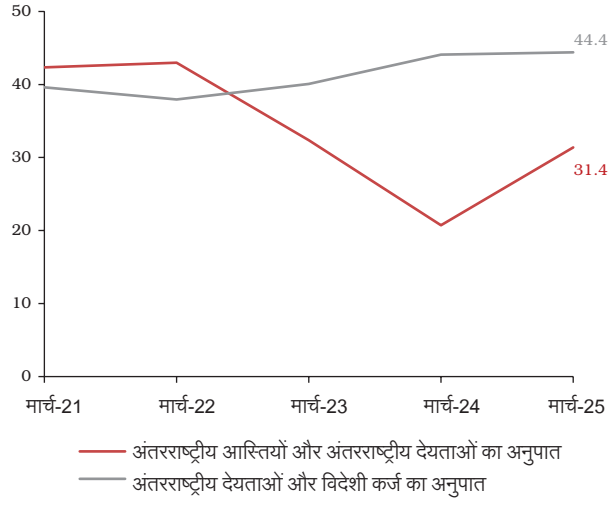

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई।

IV.17 वर्ष 2024-25 के दौरान हांगकांग को छोड़कर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.4)। गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र पर भारतीय बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों का हिस्सा कम हुआ, जबकि बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों पर दावों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.10ए और परिशिष्ट सारणी IV.5)। अवशिष्ट परिपक्वता के संदर्भ में, वर्ष 2024-25 के दौरान इसके हिस्से में गिरावट के बावजूद अधिकांश अंतरराष्ट्रीय दावें प्रकृति में अल्पावधिक थे, (चार्ट IV.10बी)।

2.5 तुलन पत्र से इतर परिचालन

IV.18 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि तेज हो गई, जो मुख्य रूप से वायदा विनिमय संविदाओं में वृद्धि से प्रेरित थी। तुलन पत्र के आकार के

चार्ट IV.10: भारतीय बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(मार्च के अंत में)

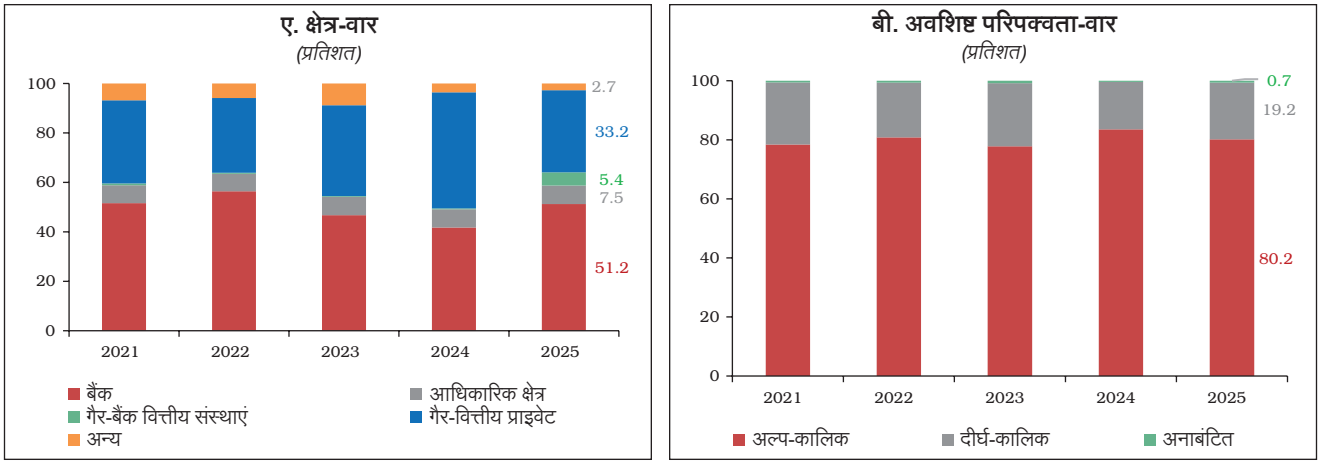

टिप्पणी: अल्पकालिक और दीर्घकालिक दावों को क्रमशः एक वर्ष तक और एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले दावों के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई।

अनुपात के रूप में एससीबी का तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 161.9 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 138.6 प्रतिशत था (चार्ट IV.11ए और परिशिष्ट सारणी IV.6)। एससीबी के कुल तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी आधे से अधिक रही। बैंकिंग क्षेत्र की आकस्मिक देयताओं में पीवीबी की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 29.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 32.5 प्रतिशत हो गई, जबकि पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 18.8 प्रतिशत से गिरकर 12.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.11बी)।

3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.19 एससीबी की लाभप्रदता मजबूत बनी रही, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 1.3 प्रतिशत था । एससीबी की इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) मोटे तौर पर स्थिर रहा । वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसबी के आरओए और आरओई

चार्ट IV.11: बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएं

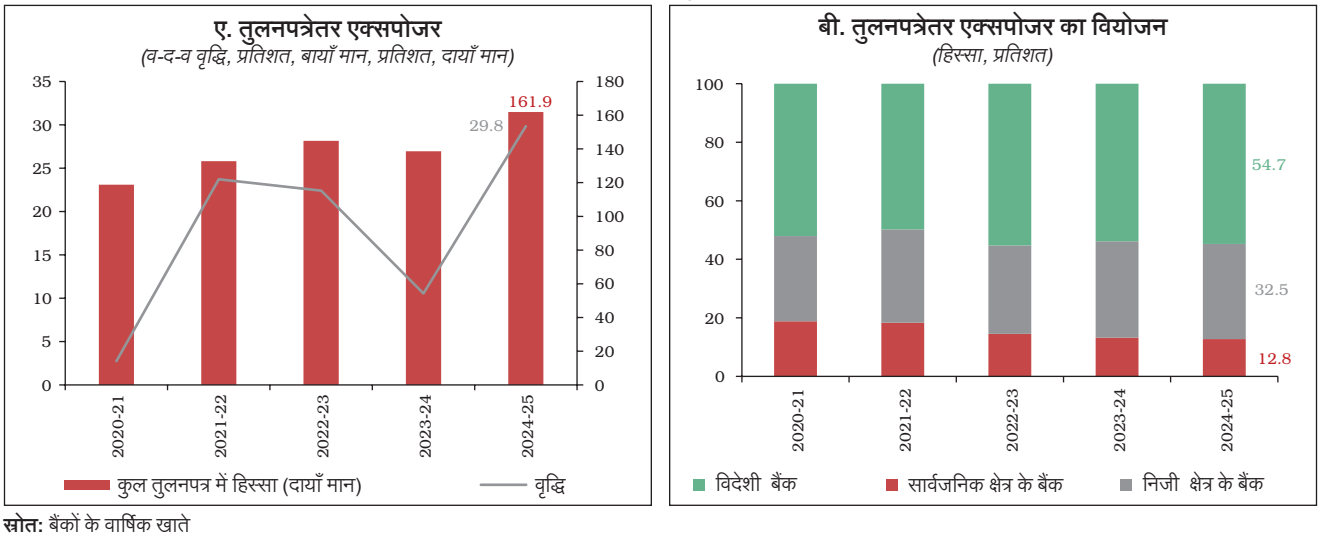

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट IV.12: लाभप्रदता अनुपात

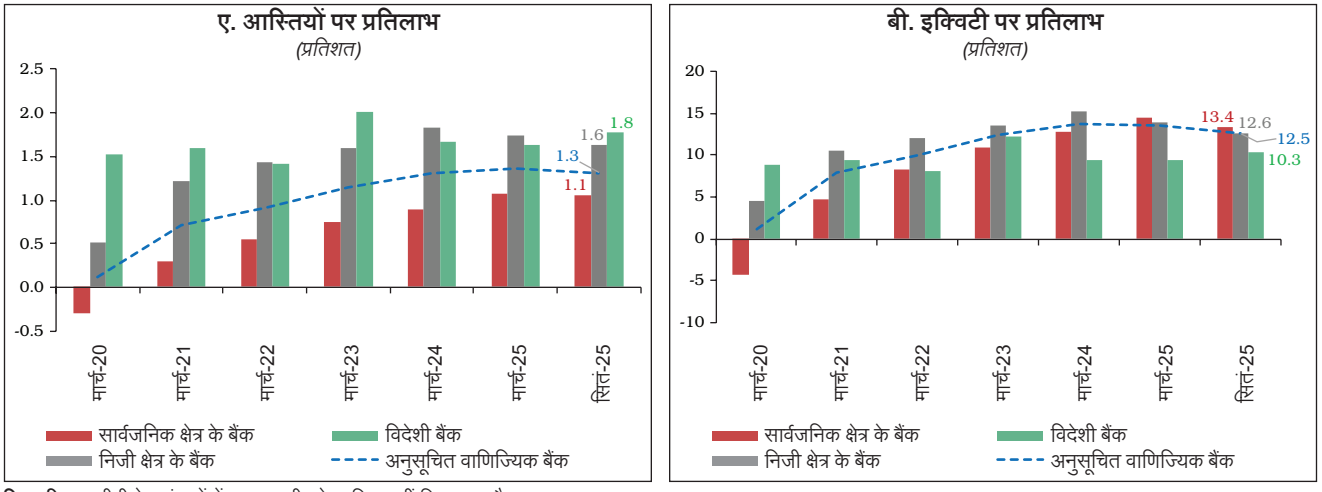

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में सुधार देखा गया जबकि पीवीबी के मामलें में कमी आई। वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही के दौरान, एससीबी का आरओए और आरओई क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.12ए और बी)।

IV.20 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी के निवल लाभ में वृद्धि हुई, हालांकि यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही। यह आंशिक रूप से निवल ब्याज आय वृद्धि में कमी के प्रभाव को दर्शाता है। परिचालन व्यय के वृद्धि में काफी कमी

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय और व्यय में रुझान

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		एससीबी	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ए. आय	12,12,665 (24.8)	13,65,244 (12.6)	9,41,870 (36.4)	10,70,709 (13.7)	1,29,838 (20.1)	1,46,580 (12.9)	45,400 (34.3)	54,223 (19.4)	7,102 (19.0)	6,937 (-2.3)	23,36,876 (29.1)	26,43,694 (13.1)
i) ब्याज आय	10,66,243 (25.3)	11,89,294 (11.5)	7,96,578 (36.8)	9,10,560 (14.3)	1,06,045 (27.3)	1,20,478 (13.6)	39,647 (33.0)	46,782 (18.0)	1,416 (64.6)	1,694 (19.7)	20,09,929 (29.9)	22,68,809 (12.9)
ii) अन्य आय	1,46,422 (21.7)	1,75,951 (20.2)	1,45,292 (34.2)	1,60,149 (10.2)	23,794 (-4.1)	26,101 (9.7)	5,753 (43.8)	7,441 (29.3)	5,686 (11.4)	5,243 (-7.8)	3,26,946 (24.6)	3,74,885 (14.7)
बी. व्यय	10,71,463 (23.6)	11,86,881 (10.8)	7,66,573 (35.3)	8,81,498 (15.0)	1,02,953 (32.0)	1,16,665 (13.3)	39,181 (32.2)	50,727 (29.5)	7,103 (21.5)	6,743 (-5.1)	19,87,273 (28.5)	22,42,514 (12.8)
i) व्यय किया गया ब्याज	6,58,611 (35.0)	7,60,165 (15.4)	4,29,739 (56.0)	5,08,877 (18.4)	46,996 (48.4)	55,866 (18.9)	17,474 (43.9)	22,336 (27.8)	353 (43.8)	537 (52.2)	11,53,173 (42.9)	13,47,782 (16.9)
ii) परिचालन व्यय	2,95,090 (20.9)	3,03,100 (2.7)	2,39,146 (18.1)	2,61,471 (9.3)	34,713 (24.2)	38,708 (11.5)	17,186 (30.7)	20,247 (17.8)	6,634 (18.9)	6,070 (-8.5)	5,92,769 (20.2)	6,29,596 (6.2)
जिनमें से: वेतन बिल	1,84,025 (27.2)	1,77,894 (-3.3)	90,290 (27.9)	98,841 (9.5)	10,460 (3.9)	11,211 (7.2)	8,498 (26.8)	10,321 (21.4)	1,215 (32.9)	977 (-19.5)	2,94,488 (26.4)	2,99,244 (1.6)
iii) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,17,761 (-12.8)	1,23,615 (5.0)	97,688 (10.5)	1,11,150 (13.8)	21,244 (15.8)	22,092 (4.0)	4,521 (3.8)	8,144 (80.1)	116 (488.4)	135 (16.9)	2,41,331 (-2.0)	2,65,137 (9.9)
सी. परिचालन लाभ	2,58,964 (8.1)	3,01,979 (16.6)	2,72,986 (28.4)	3,00,362 (10.0)	48,130 (-0.8)	52,006 (8.1)	10,740 (26.1)	11,640 (8.4)	114 (-18.9)	330 (187.9)	5,90,934 (16.0)	6,66,316 (12.8)
डी. निवल लाभ	1,41,202 (34.9)	1,78,364 (26.3)	1,75,297 (41.2)	1,89,211 (7.9)	26,886 (-10.8)	29,915 (11.3)	6,219 (49.4)	3,496 (-43.8)	-1 -	194 -	3,49,603 (32.8)	4,01,180 (14.8)
ई. निवल ब्याज आय (एनआईआई) (एआई-बीआई)	4,07,632 (12.2)	4,29,128 (5.3)	3,66,839 (19.5)	4,01,683 (9.5)	59,049 (14.4)	64,612 (9.4)	22,173 (25.5)	24,446 (10.3)	1,063 (72.9)	1,157 (8.9)	8,56,756 (15.7)	9,21,027 (7.5)
एफ़. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.8	2.6	3.9	3.6	3.6	3.4	7.4	6.6	4.5	3.8	3.3	3.1

-: लागू नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. एनआईएम को औसत आस्ति के प्रतिशत के रूप में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।
3. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नता को संदर्भित करते हैं।
4. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.13: निवल ब्याज आय और निवल ब्याज मार्जिन

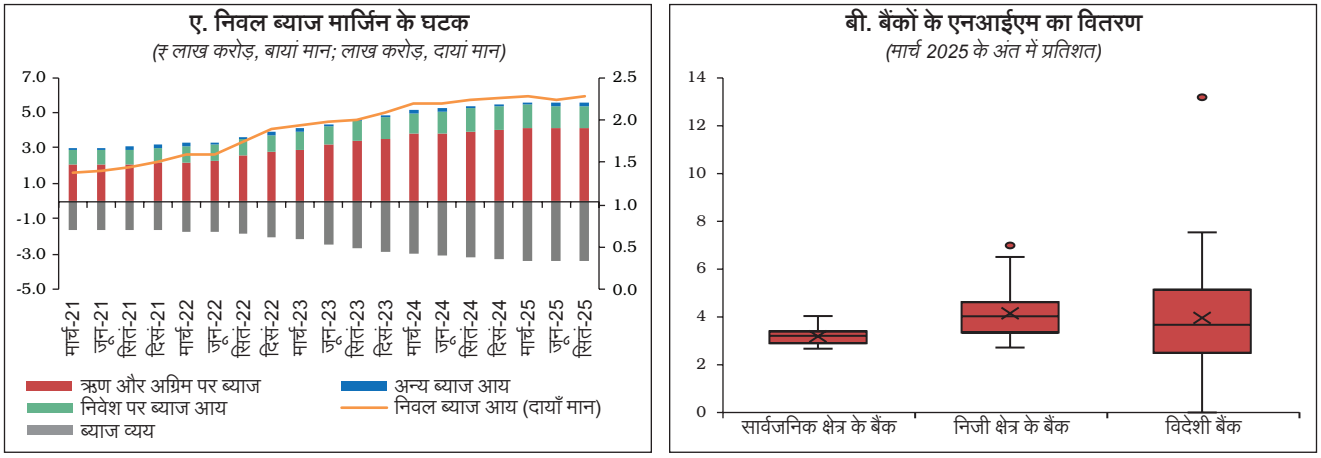

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट की विचरण रेखाएँ अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाता है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

आई, जबकि पिछले वर्ष में गिरावट के मुकाबले वर्ष 2024-25 के दौरान प्रावधान और आकस्मिक व्यय में वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

IV.21 एससीबी का ब्याज व्यय और ब्याज आय अनुपात वर्ष 2024-25 में बढ़कर 59.4 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 57.4 प्रतिशत था (सारणी IV.3 और चार्ट IV.13ए)। एससीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 3.1 प्रतिशत हो गया। पीवीबी के लिए औसत एनआईएम सबसे अधिक रहा, इसके बाद एफबी और पीएसबी का स्थान रहा। पीएसबी ने सीमित अंतर-बैंक भिन्नता के साथ अपेक्षाकृत समान एनआईएम बनाये रखें, जबकि एफबी ने अपने एनआईएम में उच्चतम प्रसार बनाया और उसके बाद पीवीबी का स्थान रहा (चार्ट IV.13बी)।

IV.22 मार्च 2025 के अंत में एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (बट्टे खाते में डालने के लिए समायोजित नहीं) 76.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएसबी का पीसीआर बढ़कर 78.5 प्रतिशत हो गया, जबकि

चार्ट IV.14: प्रावधान कवरेज अनुपात
(प्रतिशत)

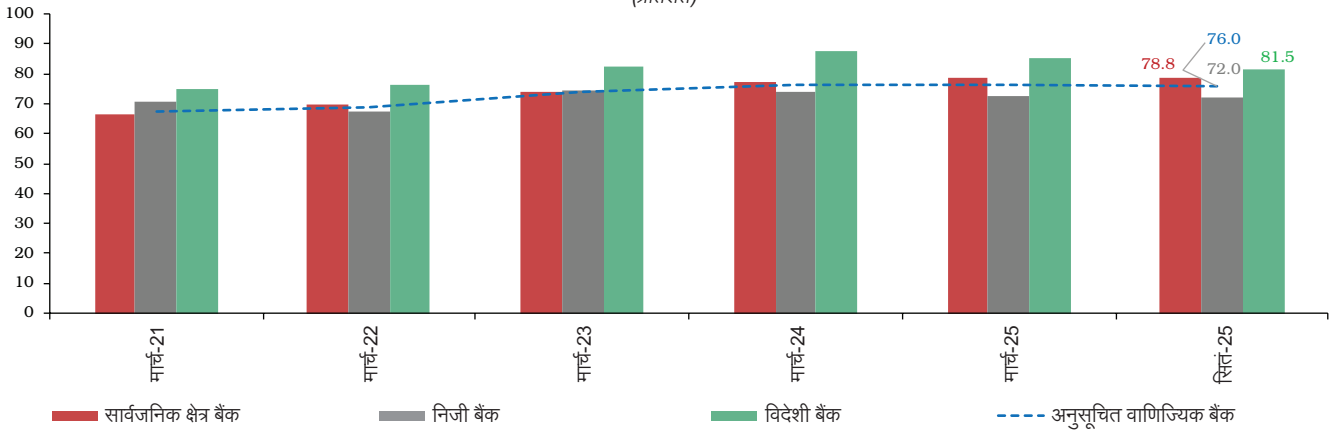

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. प्रावधान कवरेज अनुपात को बट्टे खाते के साथ समायोजित नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.4: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह	वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधियों की लागत	अग्रिम पर प्रतिलाभ	निवेश पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड (कॉलम 8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	2023-24	4.8	7.3	5.0	8.5	6.7	8.0	3.0
	2024-25	5.0	7.3	5.2	8.5	6.8	8.0	2.8
पीवीबी	2023-24	4.8	9.2	5.4	10.4	6.8	9.5	4.1
	2024-25	5.1	8.2	5.5	10.0	6.8	9.2	3.7
एफबी	2023-24	3.8	5.6	4.1	8.7	6.8	7.6	3.5
	2024-25	4.0	5.1	4.2	8.5	6.7	7.4	3.2
एसएफबी	2023-24	6.8	8.2	7.0	17.0	6.8	14.5	7.5
	2024-25	7.1	8.1	7.2	16.2	6.8	13.9	6.7
पीबी	2023-24	2.0	11.2	2.4	10.0	7.6	7.6	5.2
	2024-25	1.9	11.7	2.4	9.1	6.7	6.7	4.3
एससीबी	2023-24	4.8	8.1	5.1	9.4	6.7	8.6	3.5
	2024-25	5.0	7.5	5.3	9.2	6.8	8.5	3.2

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. जमा की लागत = जमा पर भुगतान किया गया ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत)।
3. उधार की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमा पर ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के उधारों का औसत)।
4. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष की जमा राशि और उधार का औसत)
5. अग्रिमों पर प्रतिलाभ= अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत)।
6. निवेश पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज/(वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेश का औसत)।
7. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिम पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज) / (वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों और निवेशों का औसत)।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे और आरबीआई स्टाफ की वार्षिक गणना।

पीवीबी के लिए यह 72.6 प्रतिशत तक कम हो गया। सितंबर 2025 के अंत में एससीबी का पीसीआर 76.0 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.14)।

IV.23 वर्ष 2024-25 के दौरान, निधि की लागत में वृद्धि के साथ-साथ निधि पर प्रतिलाभ में कमी के परिणामस्वरूप एससीबी के लिए स्प्रेड कम हो गया। एसएफबी ने सबसे व्यापक स्प्रेड रिकॉर्ड करना जारी रखा, जो उनके अग्रिमों पर अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों को दर्शाता है (सारणी IV.4)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.1 पूंजी पर्याप्तता

IV.24 भारत में बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में न्यूनतम विनियामकीय पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकता 9 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 11.5 प्रतिशत) निर्धारित की गई है और टियर 1 पूंजी आवश्यकता 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है ये दोनों, बासेल III अपेक्षाओं से एक प्रतिशत अंक अधिक हैं।[8] मार्च 2025 के अंत में, सभी बैंक समूह सीआरएआर और टियर 1 पूंजी की न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकताओं से ऊपर अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे। मार्च 2025 के अंत में एससीबी का सीआरएआर बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया, जिसमें सभी पीएसबी और पीवीबी में वृद्धि देखी गई। मार्च 2025 के अंत में पीएसबी और पीवीबी में हुए सुधार से एससीबी के टियर 1 पूंजी अनुपात में 15.5 प्रतिशत तक सुधार हुआ (सारणी IV.5)। एससीबी का सीआरएआर सितंबर 2025 के अंत में 17.2 प्रतिशत रहा।

IV.25 वर्ष 2024-25 में पीएसबी की तुलना में पीवीबी के मामले में सीआरएआर और कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात में व्यापक अंतर देखा गया। वर्ष के दौरान पीएसबी और पीवीबी दोनों के माध्य और माध्यिका सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.15 ए और बी)।

[8] एसएफबी के लिए न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर आवश्यकता 15.0 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जिसमें कुल जोखिम-भारित आस्तियों का कम से कम 7.5 प्रतिशत टियर 1 पूंजी की आवश्यकता है।

सारणी IV.5: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घटक-वार पूँजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		एससीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूँजीगत निधियां	**11,74,245**	**13,55,864**	**12,83,455**	**14,64,071**	**2,70,646**	**3,11,060**	**41,603**	**47,390**	**27,69,949**	**31,78,386**
i) टियर 1 पूँजी	9,94,510	11,66,550	11,55,051	13,42,472	2,43,842	2,82,833	37,330	41,475	24,30,733	28,33,330
ii) टियर 2 पूँजी	1,79,735	1,89,314	1,28,404	1,21,599	26,804	28,227	4,273	5,915	3,39,216	3,45,056
2. जोखिम भारित आस्ति	**75,59,396**	**84,23,011**	**72,14,513**	**80,03,960**	**14,18,639**	**16,57,665**	**1,92,331**	**2,20,390**	**1,63,84,879**	**1,83,05,026**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**15.5**	**16.1**	**17.8**	**18.3**	**19.1**	**18.8**	**21.6**	**21.5**	**16.9**	**17.4**
जिनमें से: टियर 1	13.2	13.8	16.0	16.8	17.2	17.1	19.4	18.8	14.8	15.5
टियर 2	2.4	2.2	1.8	1.5	1.9	1.7	2.2	2.7	2.1	1.9

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण प्रतिशत में आकड़े कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

IV.26 वर्ष 2024-25 के दौरान कर्ज का निजी स्थानन (प्लेसमेंट), योग्य संस्थागत स्थानन और पूंजी बाजार में इक्विटी के प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधनों में वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संचालित थी, जिन्होंने निजी स्थानन के माध्यम से मुख्यत: ऋण साधनों के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.6)।

4.2 लीवरेज और चलनिधि

IV.27 लीवरेज अनुपात एक गैर-जोखिम आधारित बैकस्टॉप उपाय है जो बासेल III जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे का पूरक है। भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात की आवश्यकता 4 प्रतिशत है और अन्य एससीबी के लिए 3.5 प्रतिशत है। एससीबी के लीवरेज अनुपात - कुल जोखिमों के लिए टियर 1 पूंजी का अनुपात – मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गया, जिसमें पीएसबी और पीवीबी में सुधार हुआ। चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - जिसे अल्पावधि में चलनिधि के दबाव का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - बैंकों को दबावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के निवल व्यय को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी के लिए एलसीआर बढ़कर 132.6 प्रतिशत हो गया। यह सभी बैंक समूहों के लिए 100 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से काफी ऊपर रहा (सारणी IV.7)।

चार्ट: IV.15: बैंक समूह-वार सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात
(मार्च के अंत में)

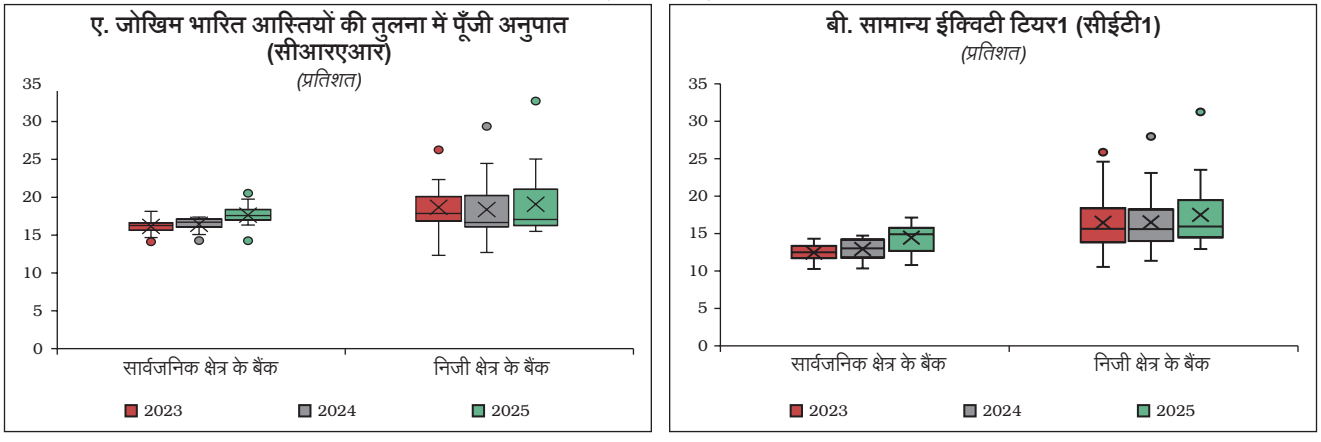

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट के व्हिस्कर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। एक रंगीन बॉक्स पहले चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दिखाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दिखाती है, जबकि 'X' माध्य दिखाती है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

सारणी IV.6: निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (नवंबर तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएसबी	27	70,260	26	97,380	28	1,33,000	6	40,719
पीवीबी	14	52,903	14	33,426	8	16,419	11	18,192
एफबी	2	224	0	0	0	0	0	0
कुल	**43**	**1,23,387**	**40**	**1,30,806**	**36**	**1,49,418**	**17**	**58,912**

टिप्पणियाँ: 1. ऋण का निजी स्थानन, पात्र संस्थागत स्थानन और अधिमानी आवंटन शामिल करें।
2. 2025-26 के लिए आंकड़े अनंतिम है।
3. घटक आइटम पूर्णांक के कारण कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: सेबी, बीएसई और एनएसई।

IV.28 निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एक बैंक का उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण उसके एक वर्ष के दृष्टिकोण में सतत आधार पर आवश्यक स्थिर वित्तपोषण से अधिक हो। भारत में बैंकों को न्यूनतम एनएसएफआर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 100 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी का एनएसएफआर 126.4 प्रतिशत था, जो विनियामकीय आवश्यकता से बहुत अधिक था (सारणी IV.8)। सितंबर 2025 के अंत में एससीबी का एनएसएफ़आर 124.7 प्रतिशत रहा।

4.3 अनर्जक आस्तियां

IV.29 वर्ष 2018-19 से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति देखी गई, जिसे उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपातों द्वारा मापा जाता है, जो वर्ष 2024-25 के दौरान भी जारी रही। एससीबी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में 2.2 प्रतिशत के बहु-दशकीय निचले स्तर पर आ गया, जो मार्च 2024 के अंत में 2.7 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 के दौरान, वसूली और उन्नयन के कारण जीएनपीए में लगभग 42.8 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 2025 के अंत में निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात भी घटकर 0.5 प्रतिशत हो गया, जो आंशिक रूप से उच्च प्रावधान को दर्शाता है (सारणी IV.9)। पर्यवेक्षी डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 के अंत में, एससीबी के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात क्रमश: 2.1 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत रहें।

IV.30 वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी का गिरावट अनुपात, जो वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापता है, इसमें लगातार पांचवें वर्ष भी गिरावट आई और मार्च 2025 के अंत में यह 1.4 प्रतिशत हो गया। पीएसबी और पीवीबी दोनों के गिरावट अनुपात में गिरावट आई, हालांकि यह पीवीबी के लिए अधिक

सारणी IV.7: लीवरेज अनुपात और चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(प्रतिशत)

	लीवरेज अनुपात			चलनिधि व्याप्ति अनुपात		
	मार्च-24	मार्च-25	सितं-25	मार्च-24	मार्च-25	सितं-25
1	2	3	4	5	6	7
पीएसबी	6.0	6.3	6.2	129.3	132.1	133.7
पीवीबी	9.7	10.2	10.3	127.1	128.6	122.1
एफबी	10.8	10.3	10.6	145.0	149.6	157.0
एसएफबी	11.0	10.0	9.3	153.3	153.7	142.5
एससीबी	**7.8**	**8.0**	**8.2**	**130.3**	**132.6**	**131.7**

टिप्पणी: एससीबी के लिए आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई।

सारणी IV.8: निवल स्थिर निधीयन अनुपात
(मार्च 2025 के अंत तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

	उपलब्ध स्थिर निधीयन	आवश्यक स्थिर निधीयन	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
पीएसबी	1,22,35,851	96,31,010	127.0
पीवीबी	82,16,358	65,85,675	124.8
एफबी	8,74,072	6,61,384	132.2
एसएफबी	2,87,381	2,26,049	127.1
एससीबी	**2,16,13,661**	**1,71,04,118**	**126.4**

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणियां, आरबीआई।

सारणी IV.9: बैंक समूह द्वारा अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी	पीवीबी	एफबी	एसएफबी	एससीबी
1	2	3	4	5	6
कुल एनपीए					
2023-24 के लिए अंतिम शेष	3,39,541	1,29,164	6,523	5,590	4,80,818
2024-25 के लिए प्रारंभिक शेष	3,39,541	1,29,164	6,523	5,391	4,80,619
वर्ष 2024-25 के दौरान योग	82,762	1,21,735	7,256	14,607	2,26,359
वर्ष 2024-25 के दौरान कमी	1,38,653	1,18,224	8,458	10,009	2,75,344
i. वसूली	33,630	29,320	2,779	1,963	67,693
ii. उन्नयन	13,847	30,360	3,322	2,559	50,087
iii. बट्टे खाते में	91,176	58,544	2,357	5,486	1,57,563
2024-25 के लिए अंतिम शेष	**2,83,650**	**1,32,674**	**5,321**	**9,989**	**4,31,634**
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2023-24	3.5	1.9	1.2	2.4	2.7
2024-25	2.6	1.8	0.9	3.6	2.2
निवल एनपीए					
2023-24	72,544	31,594	812	1,796	1,06,745
2024-25	55,634	35,069	776	3,910	95,388
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2023-24	0.8	0.5	0.1	0.8	0.6
2024-25	0.5	0.5	0.1	1.4	0.5

*: संबंधित बैंकों के वार्षिक खातों से कुल एनपीए और परोक्ष विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की जाती है।

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।

2. 1 अप्रैल, 2024 से एक एसएफबी का दूसरे में विलय होने के कारण, 2023-24 का अंतिम शेष 2024-25 के प्रारंभिक शेष के बराबर नहीं है। विलय किए गए एसएफबी से संबंधित ₹199.54 करोड़ का शेष एनपीए वर्ष 2024-25 के दौरान कुल जीएनपीए योग में शामिल किया गया है।

3. निवल एनपीए=कुल एनपीए - कटौती; निवल अग्रिम=कुल अग्रिम - कटौती। कटौतियों में: i) आस्ति वर्गीकरण के अनुसार एनपीए खातों के मामले में रखे गए प्रावधान; ii) डीआईसीजीसी/ईसीजीसी के प्राप्त हुए दावे और लंबित समायोजन के लिए रखे गए; iii) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचंत खाते या किसी अन्य समान खाते में रखा गया; iv) एनपीए खातों के संबंध में विविध खाते में शेष राशि (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्गठित खाते); और v) अस्थायी प्रावधान शामिल हैं।

4. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक खाते और परोक्ष विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

रहा (चार्ट IV.16 ए और बी)। एससीबी के लिए गिरावट अनुपात सितंबर 2025 के अंत में 1.3 प्रतिशत रहा।

IV.31 आस्ति गुणवत्ता में इन लाभों को दर्शाते हुए, मार्च 2025 के अंत में पीएसबी और एफबी के कारण में एससीबी

चार्ट IV.16: सकल अनर्जक आस्तियों में कमी

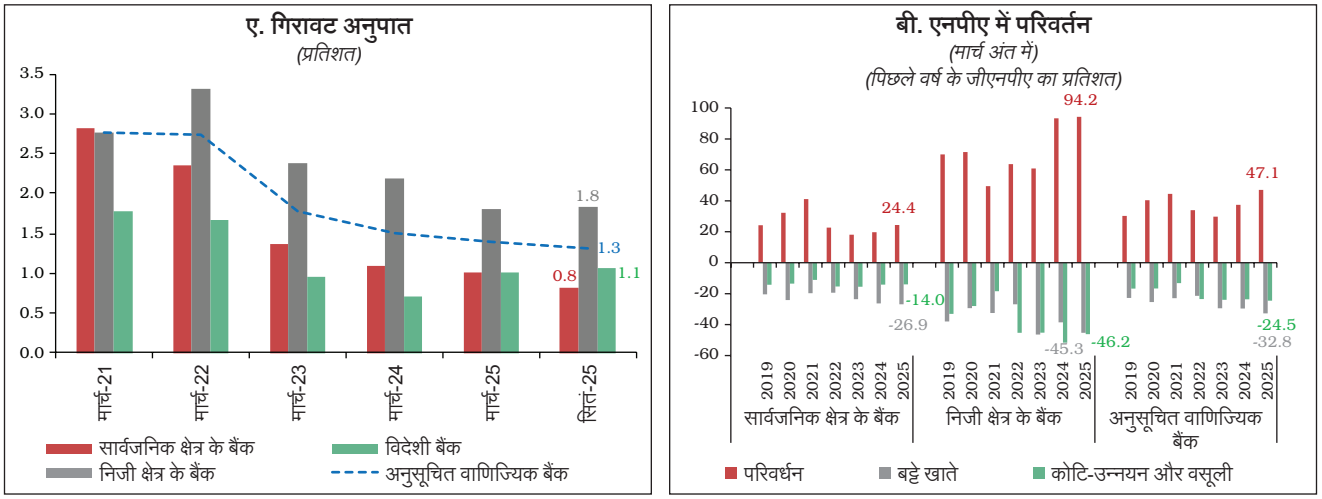

स्रोत: परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई और बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.10: बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियां		अमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानिकर आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएसबी	2024	84,24,922	96.3	58,576	0.7	1,78,483	2.0	83,681	1.0
	2025	95,38,365	97.2	56,039	0.6	1,34,813	1.4	82,561	0.8
पीवीबी	2024	66,96,942	98.2	44,199	0.6	52,944	0.8	26,397	0.4
	2025	72,94,711	98.2	58,336	0.8	50,019	0.7	22,021	0.3
एफ़बी	2024	5,39,598	98.8	1,344	0.2	4,228	0.8	950	0.2
	2025	6,12,992	99.1	1,520	0.2	2,629	0.4	1,172	0.2
एसएफ़बी	2024	2,24,245	97.6	4,005	1.7	1,514	0.7	71	0.0
	2025	2,68,585	96.4	8,423	3.0	1,498	0.5	68	0.0
एससीबी	2024	1,58,85,707	97.2	1,08,125	0.7	2,37,169	1.5	1,11,099	0.7
	2025	1,77,14,653	97.7	1,24,317	0.7	1,88,959	1.0	1,05,822	0.6

*: सकल अग्रिम का प्रतिशत के अनुसार।

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

के लिए कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात बढ़ गया (सारणी IV.10)।

IV.32 मार्च 2025 के अंत में एससीबी के कुल अग्रिमों में बड़े उधार खातों[9] की हिस्सेदारी मोटे तौर पर 43.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। वर्ष 2024-25 में एससीबी के सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में विशेष उल्लेख खाता-0 (एसएमए-0), विशेष उल्लेख खाता-2 (एसएमए-2)[10] और एनपीए, समग्र और बड़े उधार खातों दोनों में गिरावट आई। वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसबी में एसएमए-1 में वृद्धि होने से एससीबी के लिए विशेष उल्लेख खाता-1 (एसएमए-1) अनुपात में वृद्धि हुई, (चार्ट IV.17)।

IV.33 महामारी के पश्चात समाधान फ्रेमवर्क 1.0 और 2.0 की शुरुआत के बाद वर्ष 2021-22 में एससीबी के पुनर्गठित

चार्ट IV.17: संपूर्ण दबाव बनाम बड़े उधार खातों का दबाव

(मार्च अंत में, बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में)

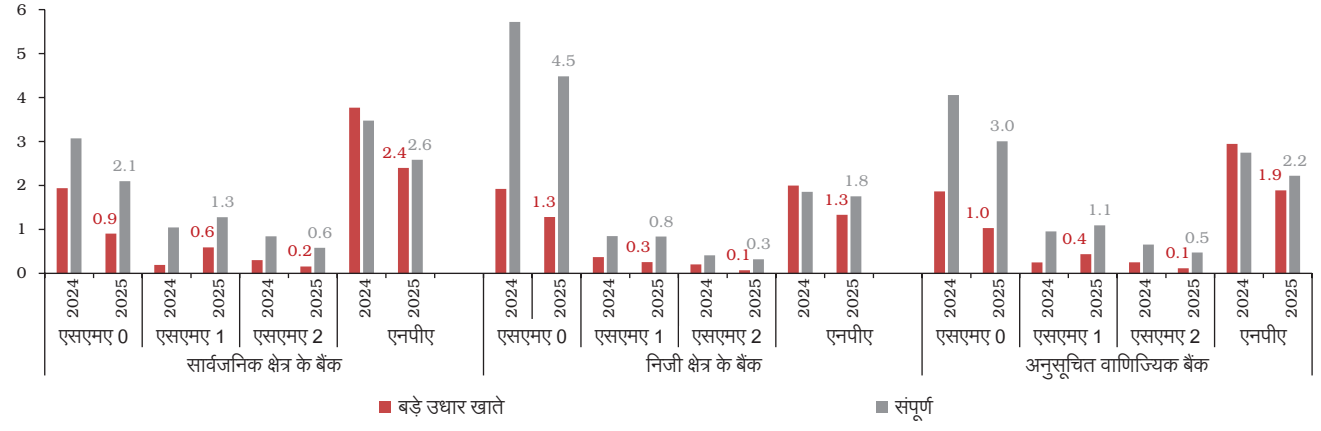

टिप्पणियाँ: 1. बड़े उधार खातों और संपूर्ण खातों के अनुपात की गणना उनसे संबंधित बकाया राशियों के प्रतिशत के रूप में की जाती हैं।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सीआरआईएलसी डेटाबेस और परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

[9] बड़े उधार खाते से तात्पर्य उन खातों से है जिनमें कुल ऋण ₹5 करोड़ या उससे अधिक हैं।

[10] एसएमए-0 खाते वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है, लेकिन खाते में प्रारंभिक दबाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एसएमए-1 खाता वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के बीच बकाया है। एसएमए-2 खाता वे हैं जिनमें मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के बीच बकाया है।

खातों में काफी वृद्धि हुई थी। इसके बाद, आरएसए को लागू करने की समय-सीमा की समाप्ति और आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हुए, पुनर्गठित खातों की संख्या में गिरावट आई। नतीजतन, वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएसबी[11] के कारण एससीबी के समग्र और बड़े उधार खातों के लिए पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात में गिरावट आई। मार्च 2025 के अंत में पीएसबी की तुलना में पीवीबी के पास सकल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिमों का हिस्सा कम था (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.18 : पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात

(कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में आरएसए)

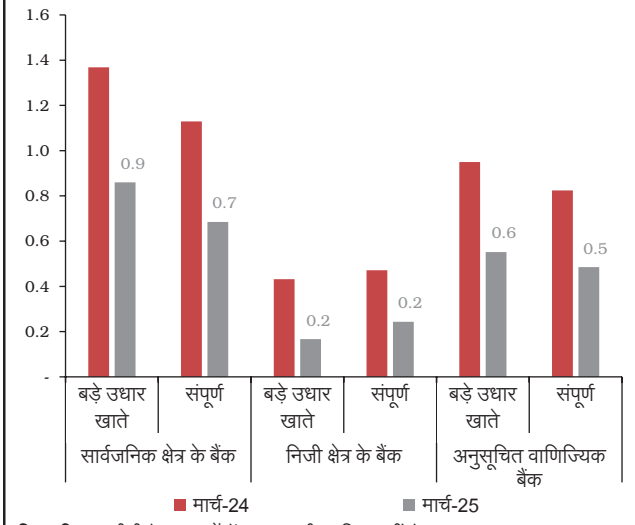

टिप्पणी: एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: सीआरआईएलसी डेटाबेस और परोक्ष विवरणी (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

4.4 वसूली

IV.34 वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिए भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई। सरफेसी अधिनियम के तहत समाधान के लिए संदर्भित मामलों में शामिल राशि वर्ष 2024-25 में कम हो गई, जबकि वसूली दर बढ़कर 31.5 प्रतिशत हो गई। आईबीसी के तहत वसूली दर भी वर्ष 2024-25 में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई। आईबीसी वसूली का प्रमुख माध्यम बना रहा, इसके बाद सरफेसी का स्थान रहा। वर्ष 2024-25 में कुल वसूली राशि में आईबीसी की हिस्सेदारी बढ़कर 52.4 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 49.5 प्रतिशत था (सारणी IV.11)। आईबीसी के तहत, सितंबर 2025 के अंत में वसूली योग्य मूल्य परिसमापन मूल्य का 170.1 प्रतिशत था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह 161.1 प्रतिशत था।

सारणी IV.11: विभिन्न माध्यमों से वसूला गया एससीबी का एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2023-24				2024-25 (पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	संबंधित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम 4 कॉलम 3 के प्रतिशत में	संदर्भित मामलों की संख्या	संबंधित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम 8 कॉलम 7 के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालत	1,23,41,783	1,81,934	3,308	1.8	1,49,12,705	1,97,907	4,742	2.4
डीआरटी	30,806	79,414	13,527	17.0	34,430	1,29,516	12,363	9.5
सरफेसी कानून	2,16,571	1,19,554	30,416	25.4	2,15,709	1,03,180	32,466	31.5
आईबीसी @	1,004	1,63,943	46,340	28.3	732	1,49,045	54,528	36.6
कुल	**1,25,90,164**	**5,44,845**	**93,591**	**17.2**	**1,51,63,576**	**5,79,648**	**1,04,099**	**18.0**

पी : अनंतिम। डीआरटी: ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

* : निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि को दर्शाता है, जो उस वर्ष के दौरान संदर्भित मामलों के साथ-साथ पिछले वर्षों के मामलों के संदर्भ में भी हो सकती है।

@ : राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

स्रोत: परोक्ष विवरणी, आरबीआई, और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

[11] पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात सकल अग्रिमों में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

IV.35 बैंकों ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए की बिक्री के माध्यम से अपने तुलन पत्र को ठीक करना जारी रखा। वर्ष 2024-25 के दौरान एससीबी के लिए पिछले वर्ष के जीएनपीए की तुलना में आस्ति बिक्री के अनुपात में वृद्धि हुई, यहां तक कि बैंकों ने अन्य चैनलों के माध्यम से वसूली जारी रखी। वर्ष 2024-25 के दौरान, निरपेक्ष रूप से, पीवीबी और विदेशी बैंकों के लिए एआरसी को आस्तियों की बिक्री में वृद्धि हुई, जबकि पीएसबी के लिए इसमें गिरावट आई (चार्ट IV.19ए)। एआरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों का बही मूल्य उनकी अधिग्रहण लागत की तुलना में तेज गति से बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में अधिग्रहण लागत – बहिमूल्य अनुपात में गिरावट आई (चार्ट IV.19बी)।

IV.36 एआरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों के बकाया बही मूल्य में 57.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइजेशन निधि के अधिग्रहण के प्रभाव को दर्शाता है। जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों में पिछले वर्ष के 15.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2024-25 के दौरान 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिग्रहित आस्तियों के बही मूल्य के लिए जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों का अनुपात मार्च 2025 के अंत में 27.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 19.8 प्रतिशत हो गया। कुल प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों के अंशदान की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 58.9 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष 59.1 प्रतिशत थी। अन्य निवेशकों (योग्य संस्थागत खरीदारों) की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 13.1 प्रतिशत से बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष की बकाया प्रतिभूति प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिभूति प्राप्तियों को पूरी तरह से भुनाया गया, जो इस माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, जो पिछले वर्ष के दौरान 38.2 प्रतिशत से बढ़कर 41.8 प्रतिशत हो गया। (सारणी IV.12)।

4.5 बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.37 धोखाधड़ी वित्तीय संस्थानों को प्रतिष्ठा, परिचालन और व्यावसायिक जोखिमों के लिए उजागर करके कई चुनौतियां पेश करती है, साथ ही ग्राहकों के विश्वास को कमजोर करती है 2024-25 के दौरान, बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी के कुल मामलों में कमी आयी है, यद्यपि धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से 27 मार्च, 2023 के भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के बाद ₹18,336 करोड़ के 122 धोखाधड़ी मामलों की दोबारा जांच और नई रिपोर्टिंग के कारण

चार्ट IV.19: एआरसी को दवाबग्रस्त आस्तियों की बिक्री

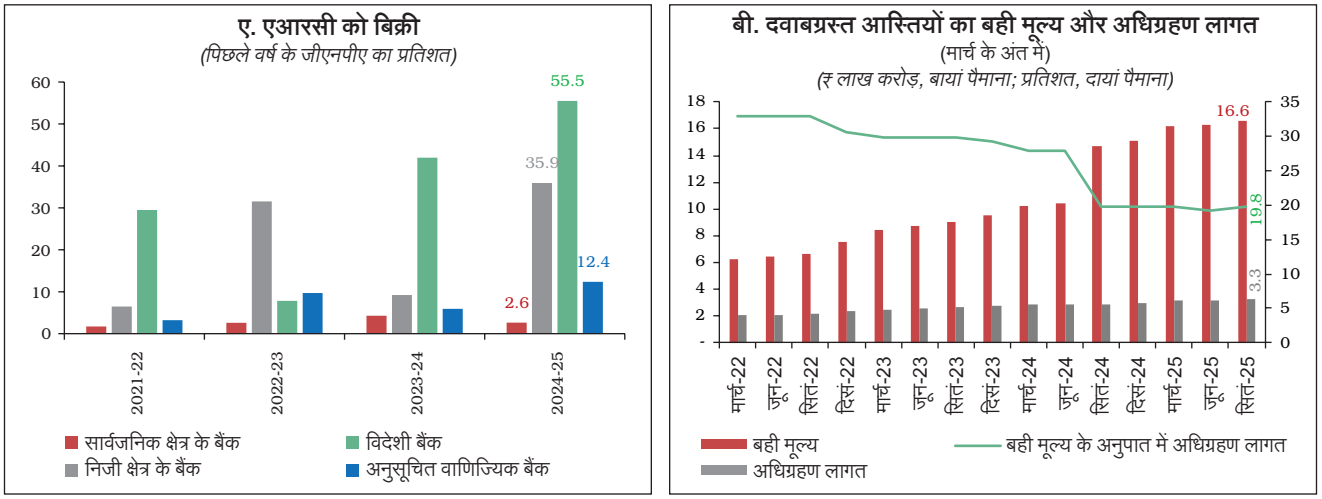

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण और परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.12: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	2023	2024	2025
1	2	3	4
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	28	27	27
1. अधिग्रहित परिसंपत्ति का बही मूल्य	8,39,126	10,25,429	16,19,124
2. एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियाँ	2,46,290	2,83,323	3,20,887
3. द्वारा सब्सक्राइब की गई प्रतिभूति प्राप्तियाँ			
(क) बैंक	1,49,253	1,67,517	1,89,025
(ख) एआरसी	49,519	57,283	64,656
(ग) वित्तीय संस्थागत निवेशक	19,383	21,495	22,778
(घ) अन्य (अर्हक संस्थागत खरीददार)	28,135	37,027	44,427
4. पूर्णत: मोचित प्रतिभूति प्राप्तियों की राशि	41,257	53,243	60,688
5. आंशिक रूप से मोचित प्रतिभूति प्राप्तियों की राशि	65,610	84,938	1,06,875
6. बकाया प्रतिभूति प्राप्तियाँ	1,39,422	1,45,140	1,53,323

टिप्पणियाँ: 1. तिमाही के अंत में कुल (संचयी/स्टॉक आंकड़े)
2. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जोड़ सकते है।

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियाँ।

हुआ (सारणी IV.13 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।[12] धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, 2024-25 के दौरान, कुल मामलों की संख्या के मामले में कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा 66.8 प्रतिशत था। राशि के संदर्भ में, अग्रिम-संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा 33.1 प्रतिशत था। (सारणी IV.14)।

IV.38 2024-25 में, रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी मामलों में से 59.3 प्रतिशत पीवीबी के थे , जबकि इसमें शामिल राशि का 70.7 प्रतिशत पीएसबी का था (चार्ट IV.20 ए और बी)। पीवीबी के भीतर, कार्ड/इंटरनेट से संबंधित धोखाधड़ी की हिस्सेदारी संख्या के हिसाब से सबसे अधिक थी, जबकि 2024-25 में अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी की मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। इसके विपरीत, पीएसबी ने मामलों की संख्या और इसमें शामिल राशि दोनों के संदर्भ में अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी का सबसे अधिक

सारणी IV.13: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2024-25 (अप्रैल-सितंबर)		2025-26 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	3,989	15,065	4,113	9,160	7,934	31,911	3,518	15,521	4,255	17,501
कार्ड/इंटरनेट	6,699	277	29,080	1,457	13,469	520	13,081	484	195	14
नकद	1,485	159	484	78	306	39	205	18	116	27
चेक/डीडी, *आदि*।	118	25	127	42	122	74	49	54	51	8
खाता समाशोधन *आदि*।	18	3	17	2	6	2	3	1	2	6
जमा	652	259	2,002	240	1,207	521	934	363	222	131
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13	12	19	38	23	16	6	1	21	124
अंतर-शाखा खाते	3	0	29	10	14	26	3	0	19	19
तुलन पत्र से इतर	13	280	10	199	8	270	-	-	3	1
अन्य	472	422	171	35	790	1,392	587	127	208	3,684
कुल	**13,462**	**16,502**	**36,052**	**11,261**	**23,879**	**34,771**	**18,386**	**16,569**	**5,092**	**21,515**

-: शून्य/नगण्य।

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले हो सकती है।
4. इसमें शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियाँ हैं और उठाए गए नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाया गया नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं हैं कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि को डायवर्ट (विपथन) किया गया हो।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण 30 सितंबर, 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा राशि ₹1,28, 031 करोड़ की धोखाधड़ी के 942 मामले वापस लिए गए हैं।
6. 2024-25 से संबंधित आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 18,336 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुन: जांच के बाद और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नए सिरे से रिपोर्ट किए गए हैं।
7. 15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी करने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं जो बैंक (बैंकों) पर की गई धोखाधड़ी के रूप में सामने आए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

[12] नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें धोखाधड़ी वर्गीकरण से हटा दिया गया था।

सारणी IV.14: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2022-23 से पहले		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अग्रिम	8,192	64,974	4,728	3,319	5,006	4,142	2,214	1,159	151	42
कार्ड/इंटरनेट	1,902	191	11,994	628	27,663	1,192	7,756	252	128	4
नकद	584	61	1,057	121	473	72	219	40	58	8
चेक/डीडी, *आदि*।	79	31	113	24	103	39	98	52	25	3
खाता समाशोधन *आदि*।	12	4	15	1	13	2	1	1	2	6
जमा	559	325	762	222	1,994	255	701	325	67	24
विदेशी मुद्रा लेनदेन	28	79	21	47	12	3	3	61	12	1
अंतर-शाखा खाते	15	5	22	1	12	37	13	11	3	1
तुलन पत्र से इतर	24	713	4	-	4	28	2	9	-	-
अन्य	298	3,324	422	515	250	86	608	1,587	63	22
कुल	**11,693**	**69,707**	**19,138**	**4,878**	**35,530**	**5,856**	**11,615**	**3,497**	**509**	**111**

:- शून्य / नगण्य

टिप्पणियाँ: 1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. घटना की तारीख के आधार पर आंकड़े कुछ समय अवधि के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि देर से रिपोर्ट किए गए लेकिन पहले हुए धोखाधड़ी मामले भी इसमें जुड़ जाएंगे।
4. सारणी में आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 से 30 सितंबर, 2025 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित हैं।
5. इसमें शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियाँ हैं और उठाए गए नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उठाया गया नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं हैं कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि को डायवर्ट (विपथन) किया गया हो।
6. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण 30 सितंबर, 2025 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा राशि रु. 128031करोड़ की धोखाधड़ी के 942 मामले वापस ले लिए गए हैं।
7. 2024-25 से संबंधित आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 18,336 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुन: जांच के बाद और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नए सिरे से रिपोर्ट किए गए हैं।
8. 15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी करने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं जो बैंक (बैंकों) पर की गई धोखाधड़ी के रूप में सामने आए हैं।

स्रोत: आरबीआई।

हिस्सा रिपोर्ट किया। 2024-25 के दौरान शामिल संख्या और राशि दोनों में सभी बैंक समूहों में कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। सभी बैंक समूहों (राशि के संदर्भ में पीएसबी को छोड़कर) में संख्या और राशि दोनों के संदर्भ

चार्ट IV.20: बैंक समूह-वार धोखाधड़ी

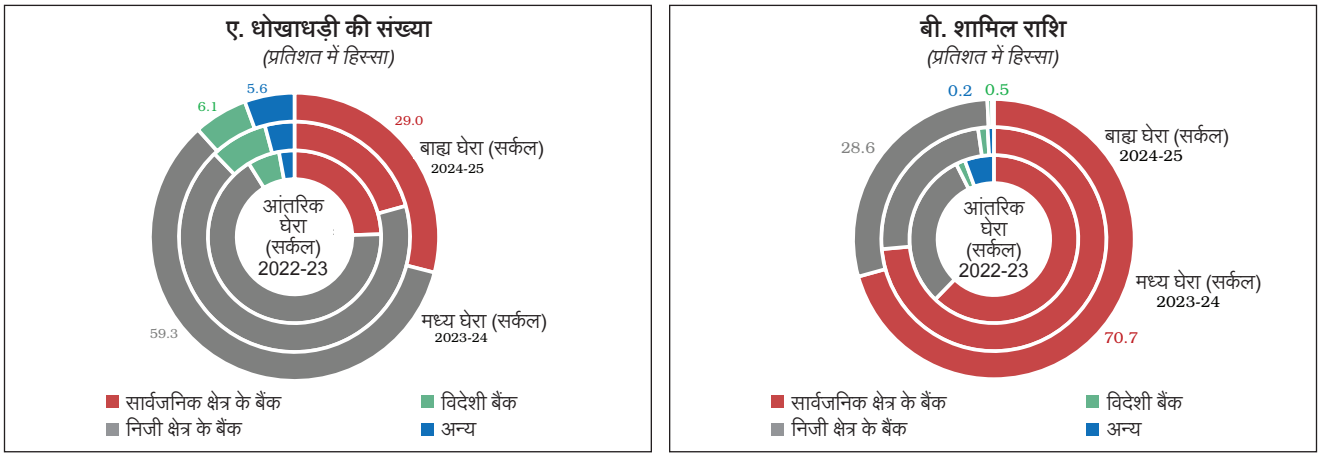

टिप्पणियाँ: 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।
2. अन्य में वित्तीय संस्थान, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.21: परिचालन-वार धोखाधड़ी का क्षेत्र

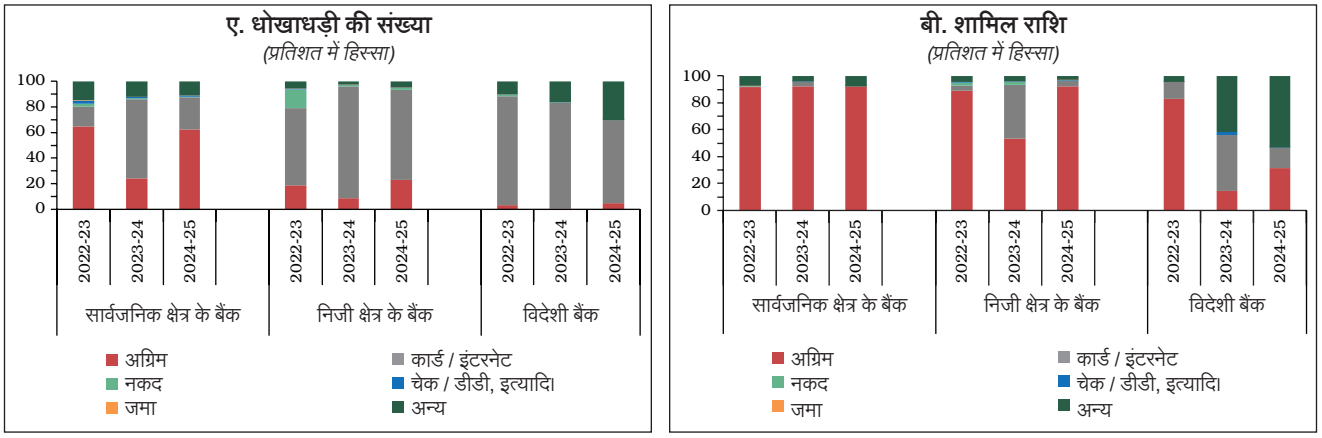

डीडी: डिमांड ड्राफ्ट।

टिप्पणियाँ: 1. रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी।

2. अन्य में समाशोधन खाते, विदेशी मुद्रा लेनदेन, अंतर-शाखा खाते, अनिवासी खाते, तुलन पत्र से इतर खाते और अन्य शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

में अग्रिम-संबंधित धोखाधड़ी का हिस्सा बढ़ गया, मुख्य रूप से पुनर्वर्गीकृत धोखाधड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्रिमों से जुड़ा हुआ है (चार्ट IV.21 ए और बी)।

4.6 प्रवर्तन कार्रवाई

IV.39 प्रवर्तन कार्रवाइयां विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने, विश्वास योग्य निवारक प्रभाव बनाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करती हैं। 2024-25 के दौरान, आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड की घटनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), पीबी और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी विनियमित संस्थाओं में बढ़ी है।[13] हालांकि, दंड राशि सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में सभी विनियमित संस्थाओं में कम हुई है। (सारणी IV.15)।

सारणी IV.15: प्रवर्तन कार्रवाइयां

विनियमित इकाई	2023-24		2024-25	
	दण्ड आरोपण घटनाएँ	कुल दण्ड (₹ करोड़)	दण्ड आरोपण घटनाएँ	कुल दण्ड (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16	23.68	8	11.11
निजी क्षेत्र के बैंक	12	24.90	15	14.80
सहकारी बैंक	215	12.07	264	15.63
विदेशी बैंक	3	7.04	6	3.52
भुगतान बैंक	1	5.39	1	0.27
लघु वित्त बैंक	1	0.29	2	0.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	0.12	6	0.59
एनबीएफसी/एआरसी	22	11.53	37	7.29
एचएफसी	3	0.08	13	0.83
सीआईसी	4	1.01	1	0.02
कुल	**281**	**86.11**	**353**	**54.78**

एनबीएफसी: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एआरसी: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एचएफसी: आवास वित्त कंपनियां, सीआईसी: क्रेडिट सूचना कंपनियां।

स्रोत: आरबीआई।

5. क्षेत्रवार बैंक ऋण : वितरण और अनर्जक आस्तियां

IV.40 2024-25 के दौरान बैंक ऋण संवृद्धि में कमी आई, जो सभी क्षेत्रों में मंदी को दर्शाती है, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी रही। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में मंदी सबसे अधिक स्पष्ट थी, इसके बाद सेवा, कृषि और उद्योग का स्थान रहा । मार्च 2025 के अंत में कुल बैंक ऋण में सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों के हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि उद्योग और कृषि के हिस्से में गिरावट दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, मध्यम उद्योगों

[13] मौद्रिक दंड लगाने के प्रमुख कारणों में *अन्य बातों के साथ-साथ*, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में अदावी जमा के अंतरण पर प्रावधानों का अनुपालन न करना; एक्सपोजर मानदंड, आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड; सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर जानकारी की रिपोर्टिंग; क्रेडिट सूचना कंपनियों को ऋण जानकारी प्रस्तुत करना; ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करना; निदेशक संबंधित ऋण; अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, अन्य में धोखाधड़ी वर्गीकरण और विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग हैं।

ने ऋण वृद्धि में तेजी देखी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु और बड़े उद्योगों में गिरावट दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में , संवृद्धि में मुख्य रूप से व्यापार और अन्य सेवाओं का योगदान था। मार्च 2025 के अंत में व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि के वाहकों में प्रमुख उप-क्षेत्र आवास ऋण में संवृद्धि रहा। (सारणी IV.16)। अक्टूबर 2025 के अंत में, एक वर्ष पूर्व की तुलना में कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बैंक ऋण संवृद्धि में तेज़ी आई। ।

IV.41 2024-25 के दौरान, बैंक ऋण में नरमी के बावजूद, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह बढ़ा, जो गैर-बैंक संसाधनों से प्रवाह में तेजी से प्रेरित था। 2024-25 के दौरान गैर-बैंक स्रोतों से वित्त पोषण में वृद्धि मुख्य रूप से उत्साहजनक घरेलू पूंजी बाजारों से प्रेरित थी, जो सहज बाजार स्थितियों के बीच उच्च इक्विटी जारी करने और कॉर्पोरेट बॉण्ड प्लेसमेंट में वृद्धि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा बढ़े हुए ऋण प्रवाह और अल्पकालिक बाहरी ऋण में उछाल (चार्ट IV.22 ए और बी) में परिलक्षित होती है।

सारणी IV.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	की स्थिति के अनुसार बकाया					प्रतिशत भिन्नता (वर्ष-दर-वर्ष)		
	मार्च-23	मार्च-24	अक्टू-24	मार्च-25	अक्टू-25	मार्च-24	मार्च-25	अक्टू-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**17,26,410**	**20,71,251**	**22,05,579**	**22,87,060**	**24,02,610**	**20.0**	**10.4**	**8.9**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और वृहद)	**33,66,406**	**36,82,393**	**38,12,250**	**39,85,660**	**41,92,700**	**9.4**	**8.2**	**10.0**
2.1. सूक्ष्म और लघु	6,33,289	7,33,123	7,57,113	7,98,473	9,53,572	15.8	8.9	25.9
2.2. मध्यम	2,68,286	3,06,425	3,38,367	3,63,245	3,98,071	14.2	18.5	17.6
2.3. वृहद	24,64,831	26,42,844	27,16,770	28,23,942	28,41,057	7.2	6.9	4.6
3. सेवाएं, *जिनमें से*	**37,18,805**	**45,47,237**	**47,29,329**	**50,93,565**	**53,45,246**	**22.3**	**12.0**	**13.0**
3.1. परिवहन परिचालक	1,92,059	2,32,379	2,49,128	2,61,575	2,75,525	21.0	12.6	10.6
3.2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,924	25,917	30,581	32,915	39,584	4.0	27.0	29.4
3.3. पर्यटन, होटल और रेस्तरां	69,342	77,816	80,012	83,366	91,529	12.2	7.1	14.4
3.4. व्यापार	8,72,340	10,24,408	10,78,651	11,84,550	12,27,077	17.4	15.6	13.8
3.5. वाणिज्यिक भू संपदा	3,22,591	4,60,263	4,99,115	5,23,264	5,69,245	42.7	13.7	14.1
3.6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)*	13,42,539	15,23,054	15,35,999	16,35,102	17,03,567	13.4	7.4	10.9
3.7. अन्य सेवाएं**	7,20,969	9,85,815	10,15,601	11,23,459	11,80,689	36.7	14.0	16.3
4. व्यक्तिगत ऋण, *जिनमें से*	**41,82,767**	**53,46,691**	**56,64,806**	**59,71,696**	**64,55,946**	**27.8**	**11.7**	**14.0**
4.1. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	20,985	23,445	23,415	23,201	23,646	11.7	-1.0	1.0
4.2. आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित)	19,91,164	27,18,712	28,71,841	30,10,477	31,87,475	36.5	10.7	11.0
4.3. सावधि जमा के समक्ष अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमा आदि सहित)	1,22,484	1,25,082	1,27,906	1,41,842	1,50,287	2.1	13.4	17.5
4.4. शेयर, बांड *आदि* के समक्ष व्यक्तियों को अग्रिम।	7,633	8,492	9,060	10,080	10,006	11.3	18.7	10.4
4.5. क्रेडिट कार्ड बकाया	2,04,708	2,57,016	2,81,392	2,84,366	3,03,073	25.6	10.6	7.7
4.6. शिक्षा	96,482	1,19,380	1,30,308	1,37,456	1,49,442	23.7	15.1	14.7
4.7. वाहन ऋण	4,87,597	5,73,391	6,01,970	6,22,793	6,77,349	17.6	8.6	12.5
4.8. स्वर्ण आभूषणों के समक्ष ऋण	89,370	93,301	1,47,724	2,06,284	3,37,580	4.4	121.1	128.5
5. बैंक ऋण	**1,36,75,235**	**1,64,32,164**	**1,74,19,532**	**1,82,43,972**	**1,93,90,500**	**20.2**	**11.0**	**11.3**
5.1 गैर-खाद्य ऋण	**1,36,55,330**	**1,64,09,083**	**1,73,89,477**	**1,82,07,441**	**1,93,20,128**	**20.2**	**11.0**	**11.1**

* : एनबीएफसी में आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई), लघु वित्त संस्थान (एमएफआई), गोल्ड लोन में लगे एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

** : "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के तहत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े पाक्षिक धारा-42 विवरणी पर आधारित होते हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल किया जाता है, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित होते हैं, जिसमें चुनिंदा बैंक शामिल हैं जो महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार तक सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.22: भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

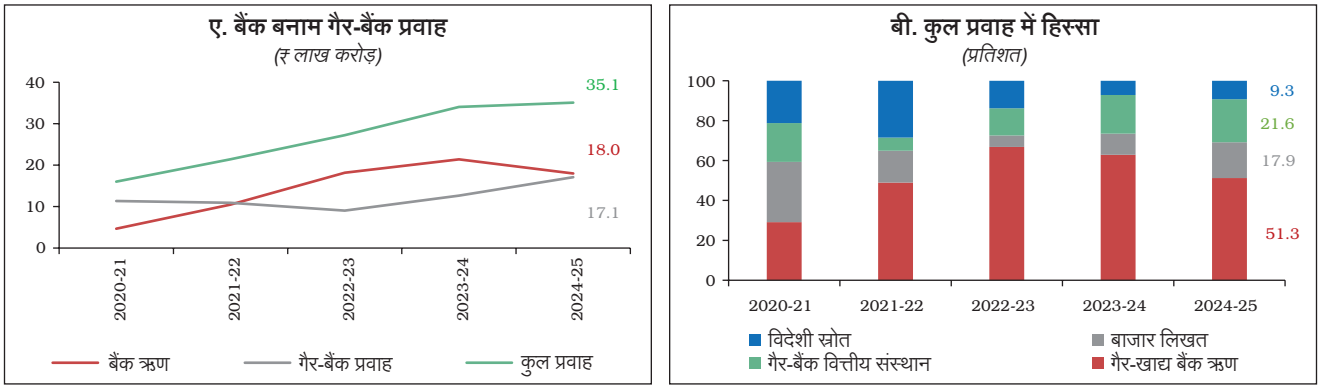

टिप्पणियाँ: 1. बैंक ऋण के लिए आंकड़े धारा-42 विवरणी के आधार पर गैर-खाद्य बैंक ऋण से संबंधित हैं।
2. गैर-बैंक प्रवाह में बाजार लिखतों, गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों और विदेशी स्रोतों से प्रवाह शामिल हैं।
3. बाजार लिखतों में इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मिश्रित लिखत और वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं; गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई); और विदेशी स्रोतों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेश से अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई ; सेबी; नाबार्ड; एक्जिम बैंक; सिडबी; एनएचबी; एनबीएफआईडी; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

IV.42 मार्च 2025 के अंत में एससीबी के क्षेत्रवार जीएनपीए अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न थे। कृषि क्षेत्र ने उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज किया, जबकि खुदरा ऋण के मामले में यह सबसे कम था। मार्च 2025 के

चार्ट IV.23: क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

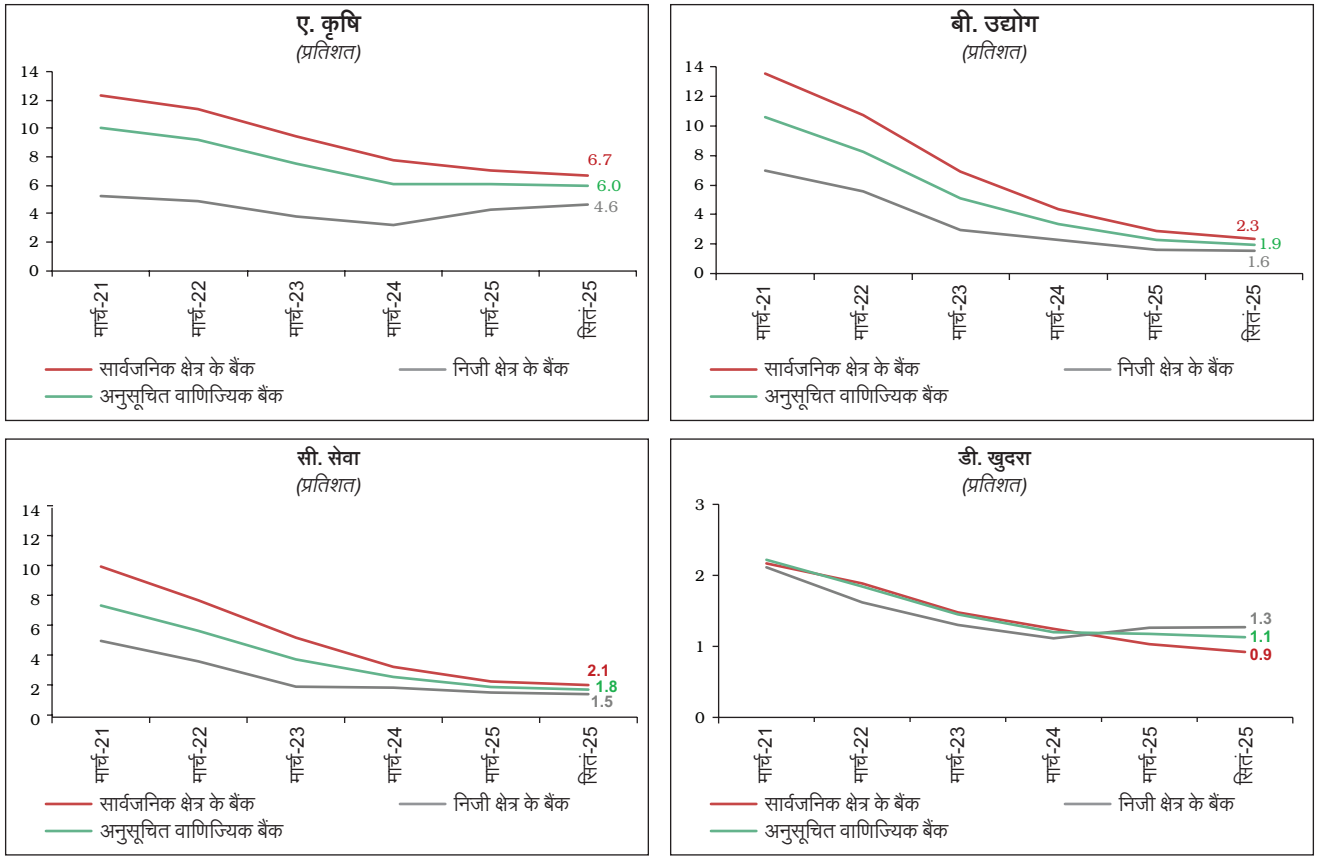

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

अंत में दोनों - पीएसबी और पीवीबी के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। हालांकि, खुदरा क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पीवीबी की तुलना में पीएसबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। सितंबर 2025 के अंत में, सभी क्षेत्रों में एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा (चार्ट IV.23)।

IV.43 खुदरा ऋण क्षेत्र में, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का जीएनपीए अनुपात सबसे अधिक था, इसके बाद क्रेडिट कार्ड प्राप्यों और शिक्षा ऋण का स्थान रहा। मार्च 2025 के अंत में शिक्षा ऋण और आवास ऋण की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, क्रेडिट कार्ड प्राप्यों और वाहन ऋण के लिए यह कमजोर हुई (चार्ट IV.24ए)। सेवाओं के क्षेत्र में, डाक और दूरसंचार क्षेत्र को छोड़कर सभी उप-क्षेत्रों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसने इस क्षेत्र के भीतर उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.24बी)। पेय पदार्थों और तंबाकू को छोड़कर सभी औद्योगिक उप-क्षेत्रों में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सुधार के बावजूद चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग में उद्योगों के भीतर उच्चतम जीएनपीए अनुपात बना रहा (चार्ट IV.24सी)।

IV.44 सितंबर 2025 के अंत में खुदरा क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण और शिक्षा ऋण में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में और सुधार देखा गया, जबकि चमड़े और चमड़े के उत्पादों में कुछ सुधार के बावजूद उद्योग के भीतर सबसे अधिक जीएनपीए अनुपात जारी रहा। इसके विपरीत, क्रेडिट कार्ड प्राप्य और डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र ने मार्च 2025 के अंत की तुलना में सितंबर 2025 के अंत में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया।

चार्ट IV.24: विभिन्न उप-क्षेत्रों में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

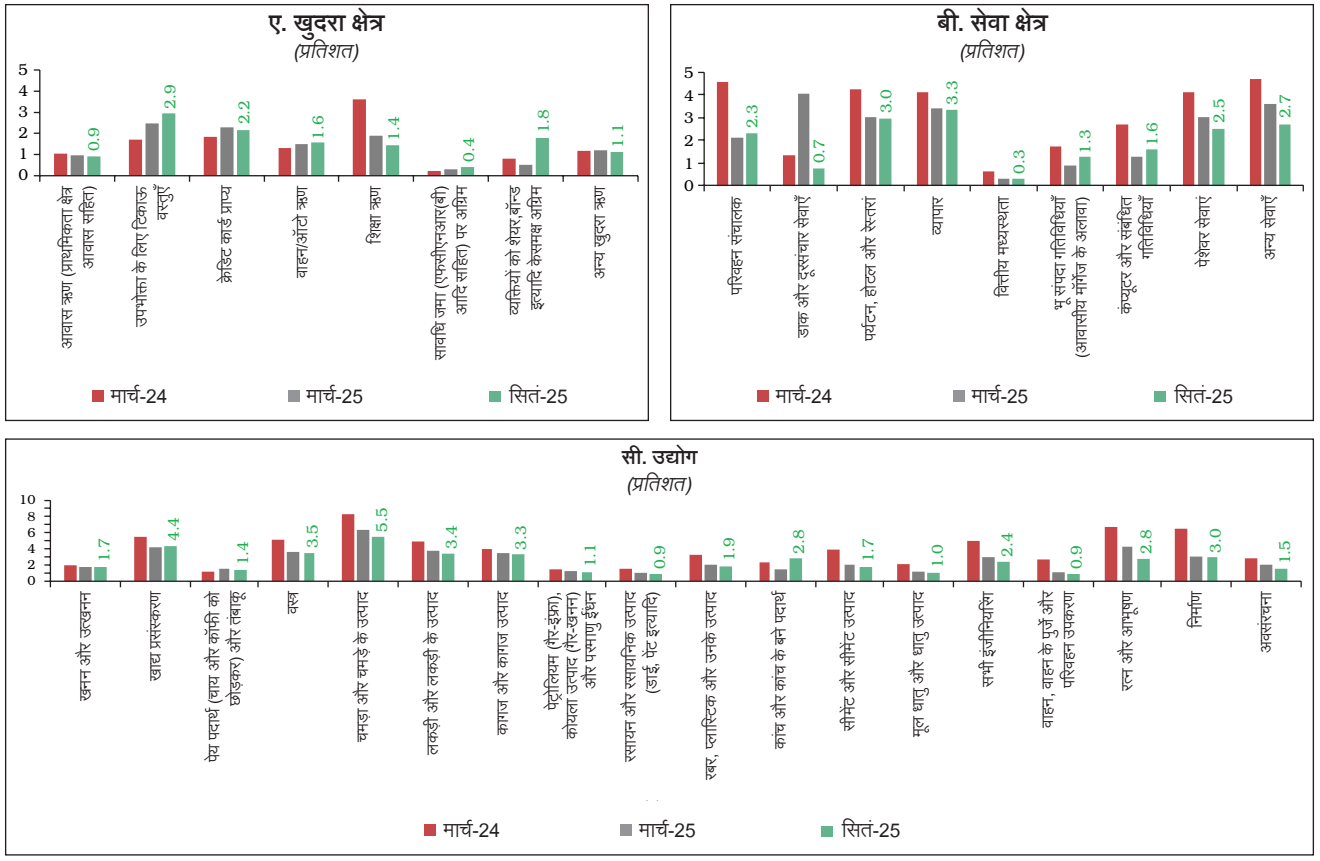

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

5.1 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.45 वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एससीबी की ऋण वृद्धि कम हो गई, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी रही। बैंक समूहों में, पीएसबी की एमएसएमई को ऋण वृद्धि में तेजी आई, जबकि पीवीबी के लिए यह कम हो गई (सारणी IV.17)। एससीबी के कुल समायोजित निवल बैंक ऋण के अनुपात के रूप में एमएसएमई ऋण मार्च 2025 के अंत में 19.0 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2024 के अंत में यह 19.3 प्रतिशत था।

5.2 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

IV.46 एससीबी के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में 2024-25 में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। संवृद्धि में नरमी का नेतृत्व पीवीबी ने किया, जबकि पीएसबी ने मामूली वृद्धि दर्ज की। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे (सारणी IV.18)। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया कुल राशि में 2024-25 के दौरान 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 10.8 प्रतिशत की वृद्धि

सारणी IV.17: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

1	2	3	4	5
		2022-23	2023-24	2024-25
पीएसबी	खातों की संख्या	138.6 (-7.4)	144.5 (4.2)	124.6 (-13.7)
	बकाया राशि	10,84,954 (13.5)	12,22,687 (12.7)	14,15,994 (15.8)
पीवीबी	खातों की संख्या	58.0 (-35.2)	89.4 (54.2)	79.8 (-10.7)
	बकाया राशि	10,60,173 (12.7)	13,35,238 (25.9)	14,84,158 (11.2)
एसएफबी	खातों की संख्या	15.1 (-35.0)	20.4 (34.8)	35.9 (75.8)
	बकाया राशि	29,661 (1.2)	67,086 (126.2)	91,002 (35.6)
एफबी	खातों की संख्या	1.6 (-26.3)	2.7 (72.5)	2.8 (4.1)
	बकाया राशि	85,349 (0.0)	1,00,261 (17.5)	1,17,808 (17.5)
एससीबी	खातों की संख्या	213.3 (-19.4)	257.0 (20.5)	243.2 (-5.4)
	बकाया राशि	22,60,135 (12.4)	27,25,272 (20.6)	31,08,962 (14.1)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े वर्ष – दर- वर्ष वृद्धि दर को इंगित करते हैं।
2. एससीबी के लिए आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
3. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.18: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ सीईओबीएसई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	**40/75***	**35,91,872**	**42.3**	**27,06,678**	**44.3**	**2,64,854**	**41.8**	**1,63,079**	**84.3**	**67,26,484**	**43.6**
जिनमें से											
कृषि	18.0	15,77,732	18.6	10,94,193	17.9	52,440	18.6	46,867	24.2	27,71,232	18.4
लघु और सीमांत किसान	10.0	9,46,088	11.1	6,12,276	10.0	32,658	11.6	31,334	16.2	16,22,355	10.7
गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसान#	13.8	12,62,213	14.8	8,41,598	13.8	41,658	14.8	44,678	23.1	21,90,147	14.5
सूक्ष्म उद्यम	7.5	7,64,969	9.0	5,33,164	8.7	24,762	8.8	65,972	34.1	13,88,867	9.2
कमजोर वर्ग	12.0	11,64,885	13.7	7,63,710	12.5	35,674	12.6	56,959	29.5	20,21,228	13.4

एएनबीसी: समायोजित शुद्ध बैंक ऋण; सीईओबीएसई: तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण।

*: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत है। 1 अप्रैल, 2025 से लक्ष्य को संशोधित कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

#: गैर-कॉर्पोरेट किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों लक्ष्य प्राप्ति के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। 2024-25 के लिए, लागू प्रणाली वार आंकड़ा 13.8 प्रतिशत है।

टिप्पणियाँ: 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।
3. 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू होता है।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।
5. पूर्णांक के कारण घटक मद कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

हुई थी। मार्च 2025 के अंत में केसीसी के तहत कुल संख्या और बकाया राशि में एससीबी की हिस्सेदारी क्रमशः 37.5 प्रतिशत और 58.9 प्रतिशत थी। क्षेत्र-वार, दक्षिणी क्षेत्र में कुल केसीसी के तहत बकाया राशि का सबसे अधिक हिस्सा था, जबकि उत्तरी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का केसीसी के तहत बकाया राशि में सबसे अधिक हिस्सा था (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

IV.47 पीएसएलसी-सामान्य और सूक्ष्म उद्यमों के नेतृत्व में 2024-25 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल व्यापार (ट्रेडिंग) मात्रा में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ) श्रेणी में सबसे अधिक व्यापार दर्ज किया गया। यह कुछ विशेषीकृत बैंकों द्वारा एसएमएफ को ऋण देने की सकेंद्रणीयता और अन्यों की अपने प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से इस उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी को दर्शाता है (चार्ट IV.25)।

IV.48 वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के बैंक पीएसएलसी के सबसे बड़े क्रेता और विक्रेता बने रहे। पीएसएलसी के क्रेता के रूप में पीएसबी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि पीएसएलसी के विक्रेताओं के रूप में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई। आरआरबी पीएसएलसी के दूसरे सबसे बड़े विक्रेता बने रहे, जो

चार्ट IV.25: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की व्यापार (ट्रेडिंग) मात्रा

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

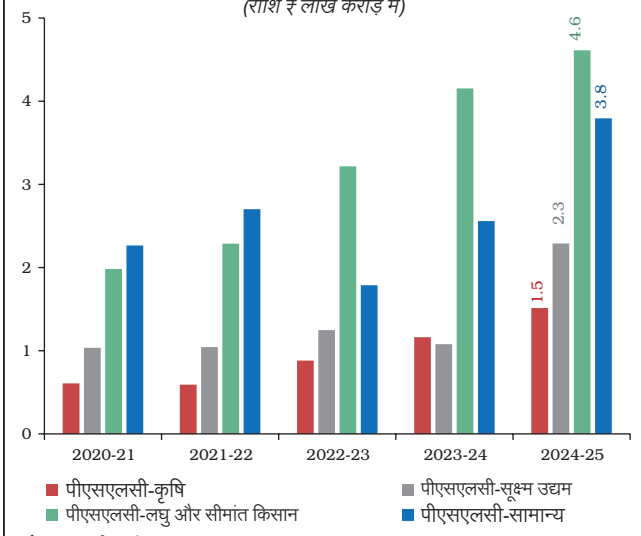

स्रोत: आरबीआई।

उनके केंद्रित ऋण पोर्टफोलियो और ग्रामीण ऋण में तुलनात्मक लाभ को दर्शाता है (चार्ट IV.26ए और बी)।

IV.49 वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण संवृद्धि में कमी के बीच, पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट के बाद, पीएसएलसी-कृषि पर भारित औसत प्रीमियम में वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में पीएसएलसी-एसएमएफ के लिए प्रीमियम भी बढ़ा और सभी श्रेणियों में सबसे अधिक रहा। वर्ष 2024-25 में पीएसएलसी-

चार्ट IV.26: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र बाजार में क्रेता और विक्रेता

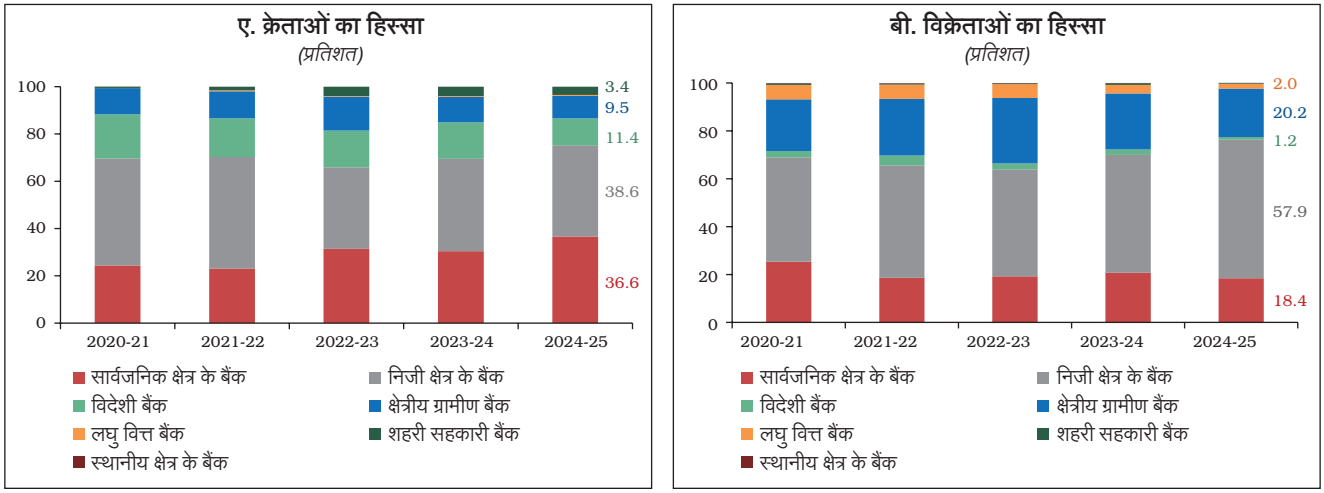

स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.19: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारित औसत प्रीमियम

(प्रतिशत)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2024-25 (अप्रैल-सितंबर)	2025-26 (अप्रैल-सितंबर)
1	2	3	4	5	6	7	8
पीएसएलसी-कृषि	1.55	1.37	0.62	0.24	0.48	0.29	1.30
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	0.88	0.95	0.16	0.04	0.01	0.01	0.01
पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान	1.74	2.01	1.68	1.74	1.95	1.94	2.77
पीएसएलसी-सामान्य	0.46	0.60	0.19	0.02	0.01	0.01	0.01

स्रोत: आरबीआई।

सूक्ष्म उद्यम (माइक्रो एंटरप्राइजेज) और पीएसएलसी-सामान्य पर प्रीमियम में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट जारी रही (सारणी IV.19)।

IV.50 2021-22 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रखते हुए, जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पूर्व के 4.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 4.0 प्रतिशत रह गया। बहरहाल, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के एनपीए में गिरावट के कारण एससीबी के कुल जीएनपीए में प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 64.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 58.2 प्रतिशत थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जीएनपीए में सबसे अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र का है (सारणी IV.20)।

IV.51 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)/तुलन पत्र इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण (सीईओबीएसई) का 42.3 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दिया, हालांकि, क्षेत्र का उनके कुल एनपीए में 72.6 प्रतिशत योगदान है। इसकी तुलना में, पीवीबी का प्राथमिकता क्षेत्र एक्सपोजर 44.3 प्रतिशत रहा, जिसका उनके कुल एनपीए

सारणी IV.20: बैंकों के क्षेत्रवार जीएनपीए

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता क्षेत्र		*जिनमें से*						गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		सूक्ष्म और लघु उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पीएसबी												
2024	2,09,837	65.4	1,07,647	33.6	78,592	24.5	23,598	7.4	1,10,903	34.6	3,20,740	100
2025	1,98,557	72.6	1,07,818	39.4	70,708	25.9	20,032	7.3	74,856	27.4	2,73,413	100
पीवीबी												
2024	49,986	40.5	21,211	17.2	18,340	14.8	10,435	8.4	73,553	59.5	1,23,540	100
2025	63,520	48.7	31,050	23.8	21,041	16.1	11,429	8.8	66,856	51.3	1,30,376	100
एफबी												
2024	1,796	27.5	162	2.5	1,315	20.2	318	4.9	4,728	72.5	6,523	100
2025	1,659	31.2	147	2.8	1,235	23.2	277	5.2	3,662	68.8	5,321	100
एसएफबी												
2024	4,030	72.1	1,878	33.6	1,179	21.1	973	17.4	1,561	27.9	5,590	100
2025	7,602	76.1	3,978	39.8	2,254	22.6	1,370	13.7	2,387	23.9	9,989	100
एससीबी												
2024	2,65,649	58.2	1,30,898	28.7	99,426	21.8	35,324	7.7	1,90,744	41.8	4,56,393	100
2025	2,71,338	64.7	1,42,992	34.1	95,238	22.7	33,108	7.9	1,47,761	35.3	4,19,099	100

*: कुल एनपीए का प्रतिशत।

टिप्पणियाँ: 1. घटक मद पूर्णांक के कारण कुल में नहीं जोड़ सकते हैं।
2. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी और पीबी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में 48.7 प्रतिशत योगदान है। एसएफबी के लिए, उनके एएनबीसी/सीईओबीएसई में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का हिस्सा मार्च 2025 के अंत में घटकर 84.3 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पूर्व 90.6 प्रतिशत था, जबकि उनके कुल एनपीए में प्राथमिकता क्षेत्र के एनपीए का अनुपात 72.1 प्रतिशत से बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.18 और सारणी IV.20)।

5.3 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.52 परिसंपत्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव में निहित जोखिमों को देखते हुए पूंजी बाजार और भू-संपदा में बैंकों के एक्सपोजर को संवेदनशील माना जाता है। वार्षिक लेखा आंकड़ों के आधार पर[14] मार्च 2025 के अंत में, एससीबी का अपने कुल ऋणों और अग्रिमों के हिस्से के रूप में इन संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर 27.1 प्रतिशत रहा , जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के समान रहा। (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

IV.53 पीवीबी ने पिछले वर्ष में तीव्र वृद्धि के बाद 2024-25 के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर की संवृद्धि में तीव्र गिरावट देखी, जो विलय के प्रभाव को दर्शाता है. इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बाजारों में एक्सपोजर संवृद्धि में तेजी आई, जबकि भू-संपदा क्षेत्र (चार्ट IV.27 ए और बी) के मामले में इसमें मामूली रूप से गिरावट आई।

5.4 गैर-जमानती ऋण

IV.54 गैर-जमानती ऋण, वे हैं जो मूर्त संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं है, चूक की स्थिति में बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम होता है। मार्च 2025 के अंत में, एससीबी के सकल अग्रिमों में गैर-जमानती ऋणों की हिस्सेदारी लगातार दूसरे वर्ष घटकर 24.5 प्रतिशत रह गई। यह आंशिक रूप से नवंबर 2023 में घोषित रिज़र्व बैंक के जोखिम नियंत्रण उपायों के प्रभाव को दर्शाता है। विदेशी बैंकों के पास गैर-जमानती अग्रिमों का सबसे अधिक हिस्सा बना रहा, जबकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में धीरे-धीरे परिवर्तित हुई है (चार्ट IV.28ए)। गैर-जमानती ऋणों के लिए बैंक-वार ऋण एक्सपोजर का मध्यमान, माध्यिका और प्रसार विदेशी बैंकों में सबसे अधिक था। 2024-25 में, गैर-जमानती ऋणों के लिए पीवीबी के मध्यमान एक्सपोजर में गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में माध्यिका में वृद्धि हुई। पीएसबी

चार्ट IV.27: संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों का एक्सपोजर

(मार्च के अंत में)

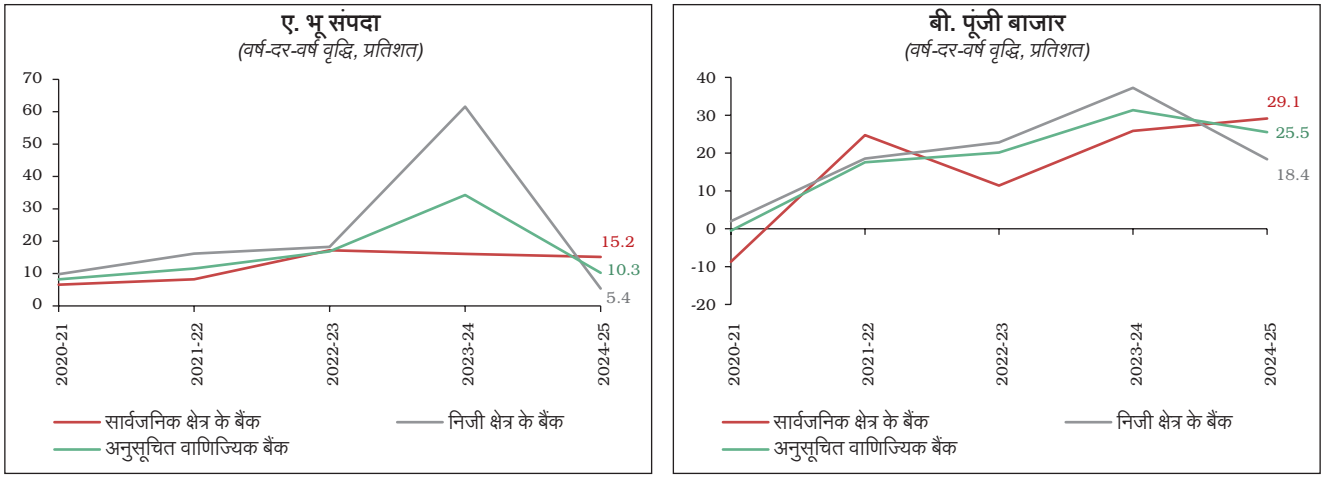

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

[14] भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां।

चार्ट IV.28: बैंकों के गैर-जमानती अग्रिमों का हिस्सा

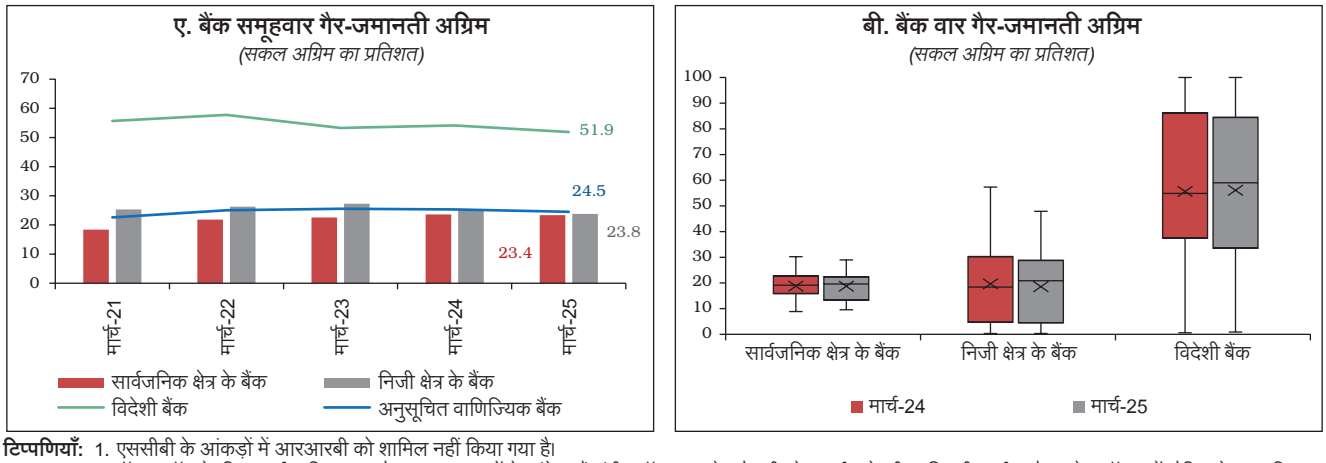

टिप्पणियाँ: 1. एससीबी के आंकड़ों में आरआरबी को शामिल नहीं किया गया है।
2. बॉक्सप्लॉट के व्हिसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहले और तीसरे चतुर्थक के बीच की दूरी दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य दर्शाती है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखा।

के लिए समान, हालांकि कम स्पष्ट, पैटर्न देखा गया था (चार्ट IV.28बी)।

6. स्वामित्व का स्वरूप

IV.55 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुख्य रूप से भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। 2024-25 के दौरान, छह पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने पूंजी बाजार से इक्विटी फंड जुटाए थे। उनमें से, मार्च 2025 के अंत में पांच बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट IV.29ए और परिशिष्ट सारणी IV.10)।[15]

IV.56 पीवीबी में संस्थागत और विदेशी निवेशकों की उच्च हिस्सेदारी के कारण स्वामित्व का स्वरूप अधिक विविध है (चार्ट IV.29बी)। पीवीबी के लिए कुल विदेशी निवेश सीमा 74 प्रतिशत और पीएसबी के लिए 20 प्रतिशत है।[16]

चार्ट IV.29: बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप

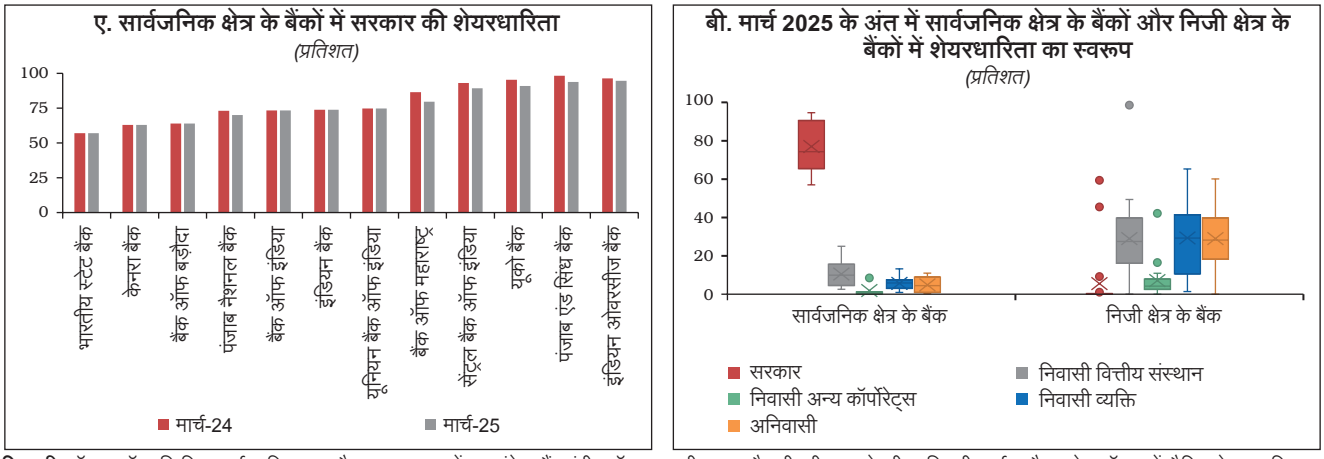

टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट की व्हिसकर्स अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहली मात्रा और तीसरी मात्रा के बीच की दूरी दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है, जबकि 'X' माध्य दर्शाती है।

स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू), आरबीआई।

[15] भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सेबी की 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1 अगस्त, 2026 तक छूट दी है।

[16] पीवीबी पर लागू कुल विदेशी निवेश सीमा ही एसएफबी, पीबी और एलएबी पर लागू है।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

IV.57 संसाधनों के आवंटन में दक्षता, जमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन महत्वपूर्ण है।

7.1 बोर्डों का संघटन

IV.58 स्वतंत्र निदेशक विशेष रूप से रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और मानक आचरण के मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके बोर्ड के विचार-विमर्श में योगदान करते हैं। रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल, 2021 को बोर्ड की कुछ विशेष समितियों की संरचना; बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकों; निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक; और बैंकों में मजबूत और पारदर्शी जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुदेश जारी किए।[17] मार्च 2025 के अंत में, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की औसत हिस्सेदारी पीवीबी के लिए 63 प्रतिशत और एसएफबी के लिए 67 प्रतिशत थी (सारणी IV.21)।[18]

IV.59 बैंकों को बोर्ड की एक जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) का गठन करना होता है, जिसमें बहुमत गैर-कार्यकारी निदेशकों का हो। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। पीवीबी का अनुपात, जिसमें अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2024 के अंत में 38 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 33 प्रतिशत रह गया। एसएफबी के मामले में, मार्च 2025 के अंत में यह अनुपात बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 33 प्रतिशत था।

7.2 कार्यपालक प्रतिकर

IV.60 अल्पकालिक जोखिम लेने और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, 4 नवंबर, 2019 को, रिज़र्व बैंक ने बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के प्रतिकर पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।[19] मार्च 2024 के अंत में, प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के कुल पारिश्रमिक में वास्तविक परिवर्तनीय वेतन का औसत हिस्सा पीवीबी के

सारणी IV.21: बोर्ड और उसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशक
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत में हिस्सेदारी)

बैंक समूह	बोर्ड		बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)		नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)		बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निजी क्षेत्र के बैंक	65	63	70	69	85	86	87	89
लघु वित्त बैंक	67	67	73	75	79	80	82	84

टिप्पणी: सारणी में दिए गए आंकड़े किसी विशेष बैंक समूह के औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट; और बैंकों की वेबसाइट्स।

[17] इन दिशानिर्देशों को बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (अभिशासन) निदेश, 2025 के तहत एक साथ कर दिया गया है, जो वाणिज्यिक बैंकों, एसएफ़बी और अन्य बैंकों के लिए अलग से जारी किए गए हैं।

[18] इन अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे; बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने वाले आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होनी चाहिए; नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक जोखिम प्रबंध समिति का सदस्य होगा; बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

[19] इन दिशानिर्देशों को बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक (अभिशासन) निदेश, 2025 के तहत एक साथ कर दिया गया है, जो वाणिज्यिक बैंकों, एसएफ़बी और अन्य बैंकों के लिए अलग से जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के लिए प्रतिकर का एक बड़ा हिस्सा (कम से कम 50 प्रतिशत) परिवर्तनशील होना चाहिए और व्यक्तिगत, व्यवसाय-इकाई और फर्म-व्यापी संकेतकों के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए जो पर्याप्त रूप से निष्पादन को मापते हैं। दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि लक्षित परिवर्तनीय वेतन निश्चित वेतन का 200 प्रतिशत (200 प्रतिशत से अधिक) है, तो लक्षित परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत (67 प्रतिशत) गैर-नकद घटकों के माध्यम से होगा।

चार्ट IV.30: एमडी और सीईओ के कुल पारिश्रमिक के घटक

(मार्च के अंत में)

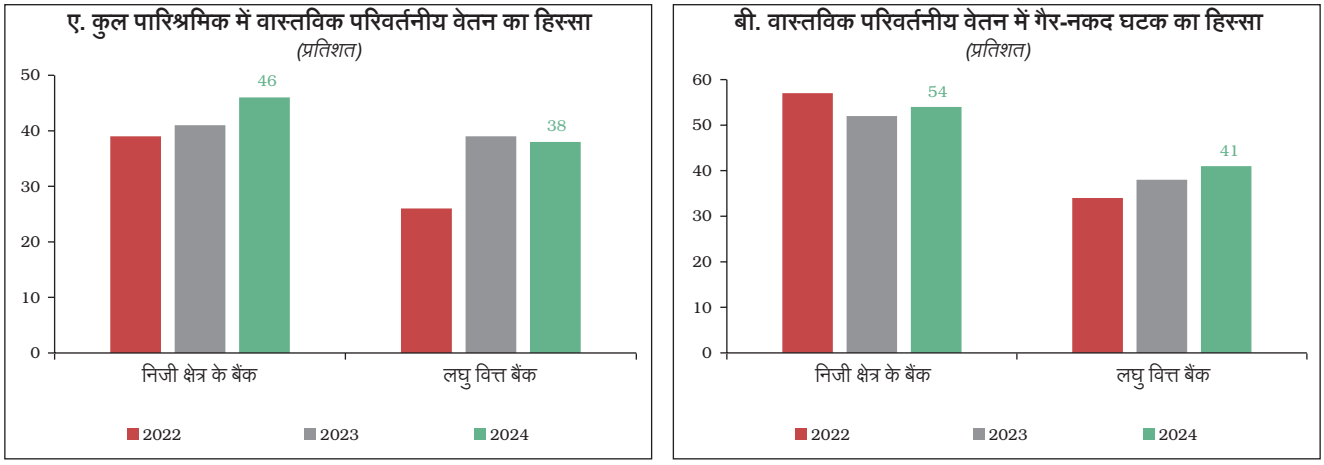

टिप्पणी: चार्ट में आंकड़े किसी विशेष बैंक समूह के औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

लिए बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया, जबकि एसएफबी के लिए यह घटकर 38 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.30ए)। एमडी और सीईओ के वास्तविक परिवर्तनीय वेतन में गैर-नकद घटक की औसत हिस्सेदारी एक वर्ष पूर्व की तुलना में मार्च 2024 के अंत में पीवीबी और एसएफबी दोनों के लिए बढ़ी है (चार्ट IV.30बी)।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

IV.61 मार्च 2025 के अंत में, वर्ष के दौरान एक बैंक के बाहर निकलने के बाद, भारत में शाखा/पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मोड के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों की संख्या घटकर 44 हो गई। विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या में

सारणी IV.22: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन
(मार्च के अंत में)

अवधि	शाखा/पूर्ण स्वामित्व सहायक मोड के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं#	
1	2	3	4
2022	45	861	34
2023	44	782	33
2024	45	780	31
2025	44	775	31

#: दो विदेशी बैंकों, अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक (इंडिया) लिमिटेड की शाखाएं शामिल हैं जो पूर्ण स्वामित्व सहायक मोड के माध्यम से काम कर रही हैं।
स्रोत: आरबीआई।

परिवर्तन वैश्विक व्यापार रणनीति और व्यावसायिक मूल्य इष्टतमीकरण के उनके निरंतर पुन: संरेखण को दर्शाता है। वर्ष के दौरान भारत में प्रतिनिधि कार्यालय रखने वाले विदेशी बैंकों की संख्या अपरिवर्तित रही (सारणी IV.22)।

IV.62 भारतीय बैंकों ने भी शाखाओं, सहायक कंपनियों, प्रतिनिधि कार्यालयों, संयुक्त उद्यम बैंकों और अन्य कार्यालयों के माध्यम से अपने विदेशी परिचालन के संचालन के लिए विदेशों में भौगोलिक उपस्थिति बनाए रखी (चार्ट IV.31)। सार्वजनिक

चार्ट IV.31: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(मार्च के अंत में संख्या)

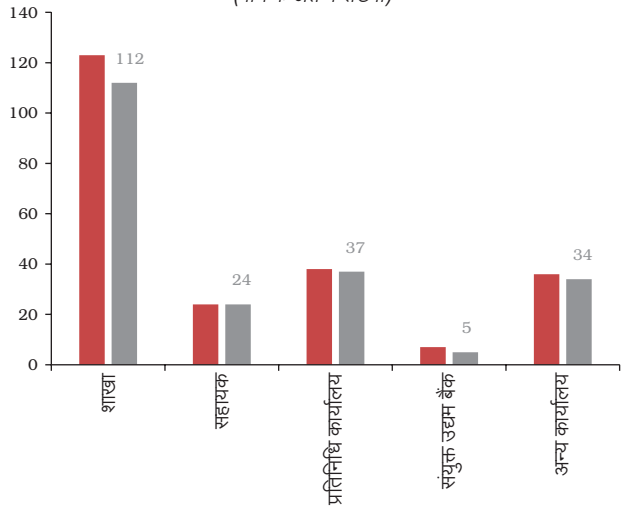

टिप्पणी: आंकड़ों में गिफ्ट सिटी में भारतीय बैंको की आईएफएससी बैंकिंग ईकाइयाँ शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

क्षेत्र के बैंकों की अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में व्यापक विदेशी उपस्थिति रही (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

9. भुगतान प्रणालियाँ

IV.63 भारत की भुगतान प्रणालियों ने बुनियादी ढांचा स्वीकृति, उपलब्धता और उपयोगकर्ता अपनाने के मामले में तेजी से प्रगति देखी है और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक अभिन्न भूमिका निभा रही हैं। विशेष रूप से, डिजिटल भुगतान उत्पाद तकनीकी प्रगति, मजबूत और समर्थक विनियामक ढांचे और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की नीतिगत पहल से कई गुना बढ़ गए हैं। भुगतान विजन 2025 के अनुरूप, रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, मजबूत, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.64 वर्ष 2024-25 के दौरान, डिजिटल भुगतान में मूल्य के संदर्भ में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारत के कुल भुगतान का 97.6 प्रतिशत है। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान पेपर-आधारित लिखत [इंस्ट्रूमेंट्स (चेक)] के माध्यम से भुगतान में गिरावट आई, जो शेष 2.4 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। मात्रा के संदर्भ में, छोटे मूल्य के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बीच डिजिटल भुगतान में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, खुदरा डिजिटल भुगतान का औसत मूल्य 2023-24 के दौरान ₹4,382 से घटकर 2024-25 के दौरान ₹3,830 हो गया (चार्ट IV.32)।

IV.65 एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की लेनदेन की मात्रा में बहुल हिस्सेदारी है, जबकि उच्च मूल्य के लेनदेन का सुविधा प्रदाता तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) की मूल्य के तौर पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, जबकि डेबिट कार्ड के उपयोग में गिरावट आई है, हाल की अवधि में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान वृद्धि जारी रही (सारणी IV.23)।

IV.66 भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई), जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और अर्द्ध-वार्षिक गणना की जाती है, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के प्रसार को दर्शाता है। सूचकांक में पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं: भुगतान सक्षमकर्ता; भुगतान बुनियादी ढांचा - मांग-पक्ष कारक; भुगतान बुनियादी

चार्ट IV.32: खुदरा डिजिटल भुगतान के लेनदेन की मात्रा और औसत मूल्य

(करोड़, बायाँ पैमाना; ₹, दायाँ पैमाना)

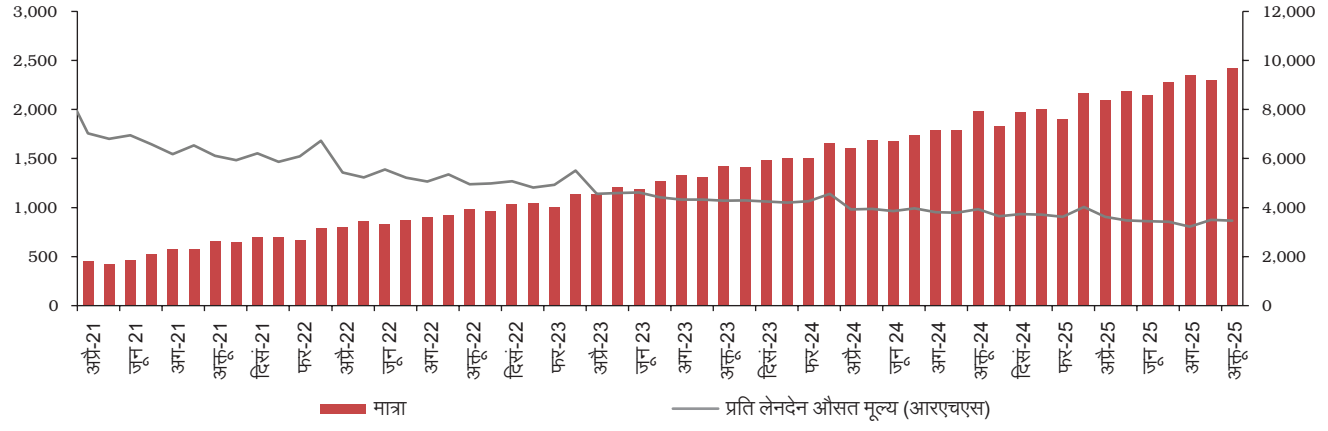

टिप्पणी: खुदरा डिजिटल भुगतान में AePS निधि अंतरण, एपीबीएस, आईएमपीएस, एनएसीएच, एनईएफ़टी, यूपीआई, भीम आधार पे, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और प्रीपेड भुगतान उपकरण शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी IV.23: भुगतान प्रणाली संकेतक

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
1. वृहद मूल्य के जमा अंतरण- आरटीजीएस	2,426	2,700	3,025	14,99,46,286	17,08,86,670	20,13,87,682
2. जमा अंतरण	9,83,621	14,86,107	20,61,015	5,50,09,620	6,75,42,859	7,98,81,976
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	6	4	4	356	261	190
2.2 एपीबीएस	17,834	25,888	32,964	2,47,535	3,90,743	5,54,034
2.3 ईसीएस जमा	0	0	0	0	0	0
2.4 आईएमपीएस	56,533	60,053	56,250	55,85,441	64,95,652	71,39,110
2.5 एनएसीएच जमा	19,257	16,227	16,939	15,41,815	15,25,104	16,70,223
2.6 एनईएफटी	52,847	72,640	96,198	3,37,19,541	3,91,36,014	4,44,61,464
2.7 यूपीआई	8,37,144	13,11,295	18,58,660	1,39,14,932	1,99,95,086	2,60,56,955
3. नामे अंतरण और सीधा नामे	15,343	18,250	21,660	12,89,611	16,87,658	22,08,583
3.1 भीम आधार पे	214	194	230	6,791	6,112	6,907
3.2 ईसीएस नामे	0	0	0	0	0	0
3.3 एनएसीएच नामे	13,503	16,426	19,762	12,80,219	16,78,769	21,99,327
3.4 एनईटीसी (बैंक खातों से जुड़ा हुआ)	1,626	1,629	1,668	2,601	2,777	2,349
4. कार्ड भुगतान	63,325	58,470	63,861	21,52,245	24,23,563	26,05,110
4.1 क्रेडिट कार्ड	29,145	35,610	47,741	14,32,255	18,31,134	21,09,197
4.2 डेबिट कार्ड	34,179	22,860	16,120	7,19,989	5,92,429	4,95,914
5. प्रीपेड भुगतान उपकरण	74,667	78,775	70,254	2,87,111	2,83,048	2,16,751
6. कागज आधारित लिखत	7,109	6,632	6,095	71,72,904	72,12,333	71,13,350
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**11,39,382**	**16,44,302**	**22,19,815**	**20,86,84,872**	**24,28,23,799**	**28,63,00,103**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	**11,44,065**	**16,48,234**	**22,22,885**	**6,59,11,490**	**7,91,49,461**	**9,20,25,771**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	**11,46,491**	**16,50,934**	**22,25,910**	**21,58,57,776**	**25,00,36,131**	**29,34,13,453**

टिप्पणी: ईपीएस: आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, एपीबीएस: आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली, भीम: भारत इंटरफेस फॉर मनी, ईसीएस: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा, एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण, एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण, आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, यूपीआई : एकीकृत भुगतान इंटरफेस।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटक कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

ढांचा - आपूर्ति-पक्ष कारक; भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता। मार्च 2025 के लिए सूचकांक मूल्य एक वर्ष पूर्व के 445.5 से बढ़कर 493.2 हो गया, जो देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे और भुगतान निष्पादन में महत्वपूर्ण संवृद्धि से प्रेरित है (चार्ट IV.33)।

चार्ट IV.33: डिजिटल भुगतान सूचकांक

सूचकांक (मार्च 2018=100)

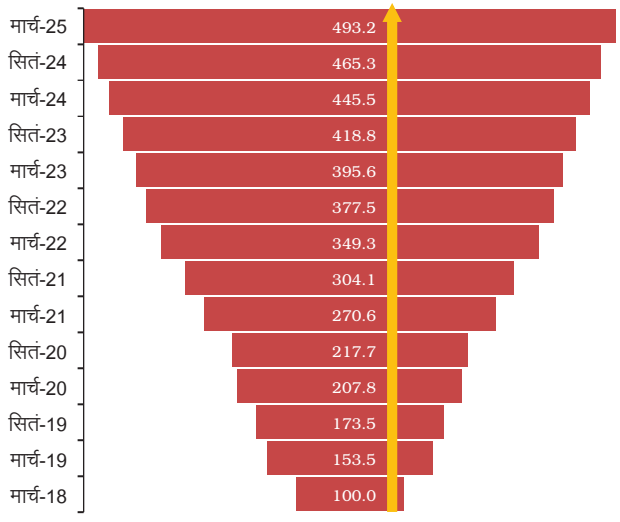

स्रोत: आरबीआई।

9.2 एटीएम

IV.67 वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की कुल संख्या में मामूली गिरावट आई, जो ऑफ-साइट एटीएम में कमी के कारण हुई, जबकि ऑन-साइट एटीएम में वृद्धि हुई। भुगतान के डिजिटलीकरण में वृद्धि ने ग्राहकों की एटीएम लेनदेन करने की आवश्यकता को कम कर दिया है। मार्च 2025 के अंत में एटीएम की कुल संख्या में सबसे अधिक हिस्सेदारी पीएसबी की थी, इसके बाद पीवीबी और व्हाइट लेबल एटीएम की थी; व्हाइट लेबल एटीएम - जिनका स्वामित्व और संचालन गैर-बैंक संस्थाओं के पास है। (सारणी IV.24 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.24: एटीएम की संख्या*
(मार्च अंत में)

बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
	2024	2025	2024	2025	2024 (2+4)	2025 (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	77,033	79,865	57,661	53,679	1,34,694	1,33,544
निजी क्षेत्र के बैंक	45,438	47,713	34,446	29,404	79,884	77,117
विदेशी बैंक	603	587	566	406	1,169	993
छोटे वित्त बैंक	3,042	3,158	26	29	3,068	3,187
भुगतान बैंक	0	0	0	0	0	0
सभी एससीबी	**1,26,116**	**1,31,323**	**92,699**	**83,518**	**2,18,815**	**2,14,841**
श्वेत लेबल एटीएम	0		34,602	36,216	34,602	36,216
कुल	**1,26,116**	**1,31,323**	**1,27,301**	**1,19,734**	**2,53,417**	**2,51,057**

* इसमें कैश रिसायकलर मशीनें शामिल हैं।
टिप्पणी: आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और सहकारी बैंकों के एटीएम शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

IV.68 पीएसबी के एटीएम का वितरण जनसंख्या समूहों के बीच अधिक समान था, जबकि अन्य बैंक समूहों के एटीएम की उपस्थिति का झुकाव महानगरीय, शहरी और अर्द्ध-शहरी केंद्रों की ओर था। इसके विपरीत, मार्च 2025 के अंत तक कुल व्हाइट लेबल एटीएम का 79.4 प्रतिशत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केंद्रों में था (सारणी IV.25) ।

सारणी IV.25: बैंक समूहों के एटीएम की जनसंख्या समूहवार वितरण*
(मार्च 2025 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	28,481	39,630	33,589	31,844	1,33,544
	(21.3)	(29.7)	(25.2)	(23.8)	(100)
निजी क्षेत्र के बैंक	7,569	20,811	18,945	29,792	77,117
	(9.8)	(27.0)	(24.6)	(38.6)	(100)
विदेशी बैंक	82	282	265	364	993
	(8.3)	(28.4)	(26.7)	(36.7)	(100)
छोटे वित्त बैंक	293	992	953	949	3,187
	(9.2)	(31.1)	(29.9)	(29.8)	(100)
भुगतान बैंक	0	0	0	0	0
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
सभी एससीबी	**36,425**	**61,715**	**53,752**	**62,949**	**2,14,841**
	(17.0)	(28.7)	(25.0)	(29.3)	(100.0)
श्वेत लेबल एटीएम	16,578	12,164	4,733	2,741	36,216
	(45.8)	(33.6)	(13.1)	(7.6)	(100.0)

*: इसमें कैश रीसाइक्लर मशीनें शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक समूहों के कुल एटीएम में जनसंख्या समूहों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।
स्रोत: आरबीआई।

10. प्रौद्योगिकी अंगीकरण

IV.69 भारतीय रिज़र्व बैंक नवाचार को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम विनियामकीय वातावरण तैयार करने के लिए काम कर रहा है। विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक रूपांतरणकारी प्रौद्योगिकी है, जो ग्राहक सहभागिता में सुधार, नए प्रकार के क्रेडिट मूल्यांकन और वितरण को सक्षम करने, जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक का जिम्मेदार और नैतिक एआई सक्षमकरण फ्रेमवर्क (एफ़आरईई-एआई) वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जोखिम न्यूनीकरण का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। एफ़आरईई-एआई पर रिपोर्ट 13 अगस्त, 2025 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

IV.70 रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बैंक तेजी से नवाचार को आंशिक परीक्षण के बजाय दीर्घकालिक डिजिटल आधुनिकीकरण के एक संरचित घटक के रूप में देखने लगे हैं (बॉक्स IV.1)।

11. उपभोक्ता संरक्षण

IV.71 उपभोक्ता संरक्षण रिजर्व बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। रिजर्व बैंक अपने अंतर्गत विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी करके और

बॉक्स IV.1: भारतीय बैंकों की विकसित होती प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्राथमिकताएँ[20]

भारतीय बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण को एक विवेकपूर्ण रूप से विनियामकीय वातावरण में आकार देने, क्रमबद्ध करने और परिचालन करने के तरीके को समझने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2025 के दौरान एक सर्वेक्षण किया। इस नमूने में नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), 16 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और छह लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) शामिल थे, जो 31 अक्टूबर, 2025 तक कुल बैंक ऋण के लगभग 66 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सर्वेक्षण किए गए बैंक इस बात को व्यापक रूप से मानते हैं कि नवाचार प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने, आघात सहनीयता को मजबूत करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। कई बैंक नवाचार को तकनीकी-सक्षम प्रक्रिया, पुनः अभियांत्रण के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं ताकि दक्षता, सेवा गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन में सुधार किया जा सके। कुछ बैंक नवाचार को एक क्षमता-संवर्धन अभ्यास के रूप में देखते हैं, जो विश्लेषणात्मक गहराई को मजबूत करने, निर्णय लेने में सुधार करने और अधिक आघात सहनीय सेवा वितरण सक्षम करने में मदद करता है, जबकि अन्य बैंक नवाचार को साइबर सुरक्षा, परिचालन आघात सहनीयता और विनियामकीय अनुपालन के लिए डिजिटल आधार को मजबूत करने में एक निवेश के रूप में देखते हैं।

2019-20 से 2023-24 के बीच सभी बैंक समूहों में विशेष रूप से नवोन्मेषी या रूपांतरणीय क्षमताओं की दिशा में तकनीकी खर्च में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट IV.1.1ए)। आउटसोर्सिंग/तृतीय पक्ष व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नवाचार-संबंधित तकनीक का हिस्सा भी बढ़ा है, जिससे विशेषज्ञ बाहरी प्रदाताओं की भूमिका बढ़ने का संकेत मिलता है (चार्ट IV.1.1बी)। तृतीय पक्षों के माध्यम से अपनाई गई प्रमुख तकनीकों में क्लाउड-होस्टेड प्लेटफॉर्म, विक्रेता-सहायता प्राप्त साइबर सुरक्षा समाधान और मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

नवाचार और परिवर्तनकारी तकनीकों के क्षेत्रों में बैंक द्वारा दिए जा रहे महत्व पर एक महत्वपूर्ण समानता देखने को मिलती है। क्लाउड सेवाएं, एंटरप्राइज़ आंकड़े और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म, एआई/एमएल अनुप्रयोग, और साइबरसुरक्षा सुधार धीरे-धीरे बैंकों की दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी रणनीतियों को आकार दे रहे हैं। सर्वेक्षण जवाबों में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई)-आधारित आर्किटेक्चर और बैंकिंग-एज़-ए-सेवा मॉडलों का प्रमुखता से उल्लेख है, जबकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल पहचान प्रणालियाँ, और वितरित खाता-बही तकनीक का कुछ जवाबों में उल्लेख किया गया, हालांकि अपेक्षाकृत कम महत्व के साथ।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के निष्कर्ष यह उजागर करते हैं कि बैंक समूहों में नवाचार-संबंधी खर्च में वृद्धि हुई है, जो यह संकेत देती है कि डिजिटल रूपांतरण अब एक सहायक पहल नहीं बल्कि एक मुख्य रणनीतिक और परिचालनगत प्राथमिकता बन गई है।

चार्ट IV.1.1: नवोन्मेष पर बैंकों का खर्च

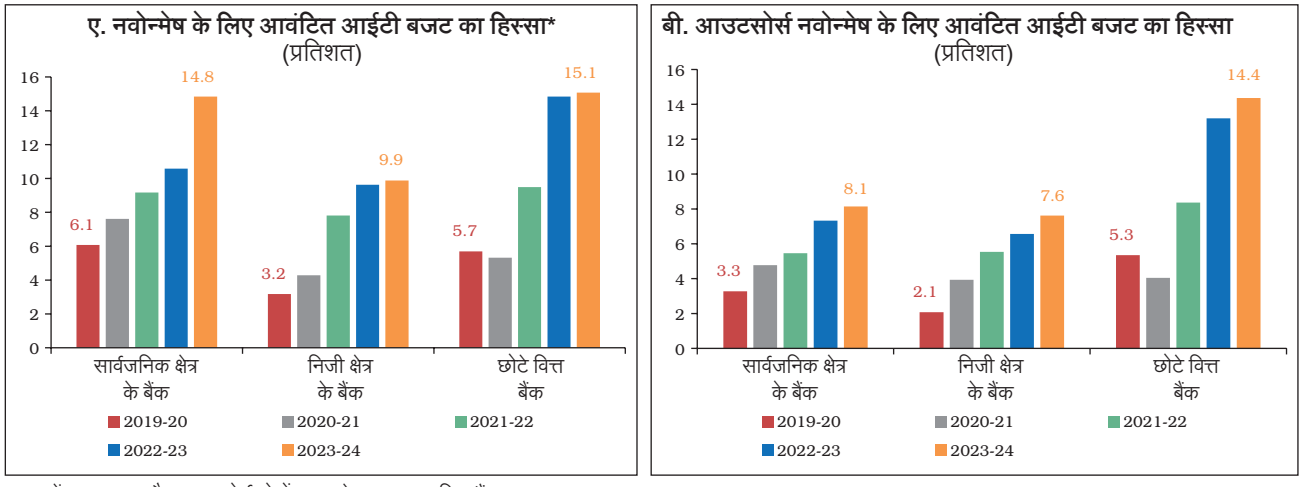

*: इसमें इन-हाउस और आउटसोर्स दोनों प्रकार के नवाचार शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन करके उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है – जिसमें आरबीआई ओम्बड्समैन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग[21] शामिल हैं।अपने ग्राहक-केंद्रित

[20] यह विश्लेषण सर्वेक्षण किए गए बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है और इसे प्रणालीगत रुझानों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

[21] आरबीआई ओम्बड्समैन भारतीय रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के ढांचे के तहत कार्य करता है, जो बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, भुगतान प्रणाली के प्रतिभागी और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को उनकी शिकायतों को एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु पर दर्ज करने में सक्षम बनाता है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण सेल (सीईपीसी) उन विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को उठाते हैं जो आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में नहीं आतीं। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) आरबी-आईओएस के तहत अपीलीय प्राधिकारी को सहायता प्रदान करता है और अपील मामलों को संसाधित करता है।

दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक को रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 के दायरे में लाया गया, जो 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी है ।

11.1 शिकायत निवारण

IV.72 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आरबीआई के ओम्बड्समैन कार्यालयों (ओआरबीआईओ) को 2.96 लाख शिकायतें[22] प्राप्त हुईं, जिनमे पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओआरबीआईओ में अधिकांश शिकायतें महानगरीय और शहरी केंद्रों से प्राप्त हुईं (चार्ट IV.34ए)। इस वर्ष ओआरबीआईओ को प्राप्त कुल शिकायतों में से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के खिलाफ शिकायतों की हिस्सेदारी 72.3 प्रतिशत रही (चार्ट IV.34बी)।

IV.73 ऋण और अग्रिम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, और जमा खातों से संबंधित शिकायतों का 2024-25 के दौरान ओआरबीआईओ द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों में लगभग चौथे-पाँचवें हिस्से का योगदान रहा। क्रेडिट कार्ड श्रेणी ने 2024-25 के दौरान शिकायतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.26)।

सारणी IV.26: भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन के कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या: श्रेणी-वार

मद	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4
ऋण और अग्रिम	59,762	85,281	86,670
क्रेडिट कार्ड	34,151	42,329	50,811
मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	43,167	57,242	49,951
जमा खाते	34,481	46,358	49,913
अन्य	22,587	24,355	30,760
एटीएम/डेबिट कार्ड	29,929	25,231	18,082
धन प्रेषण	2,940	4,101	3,702
पैरा-बैंकिंग	2,782	4,380	3,322
पेंशन भुगतान	4,380	4,108	2,719
नोट और सिक्के	511	539	391
कुल	**2,34,690**	**2,93,924**	**2,96,321**

स्रोत: आरबीआई।

IV.74 बैंकों में, ऋण और अग्रिमों और क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों में पीवीबी का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जबकि मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जमा खाते, और एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित अधिकांश शिकायतें पीएसबी के खिलाफ रही (चार्ट IV.35)।

चार्ट IV.34: ओआरबीआईओ में प्राप्त शिकायतों का वितरण

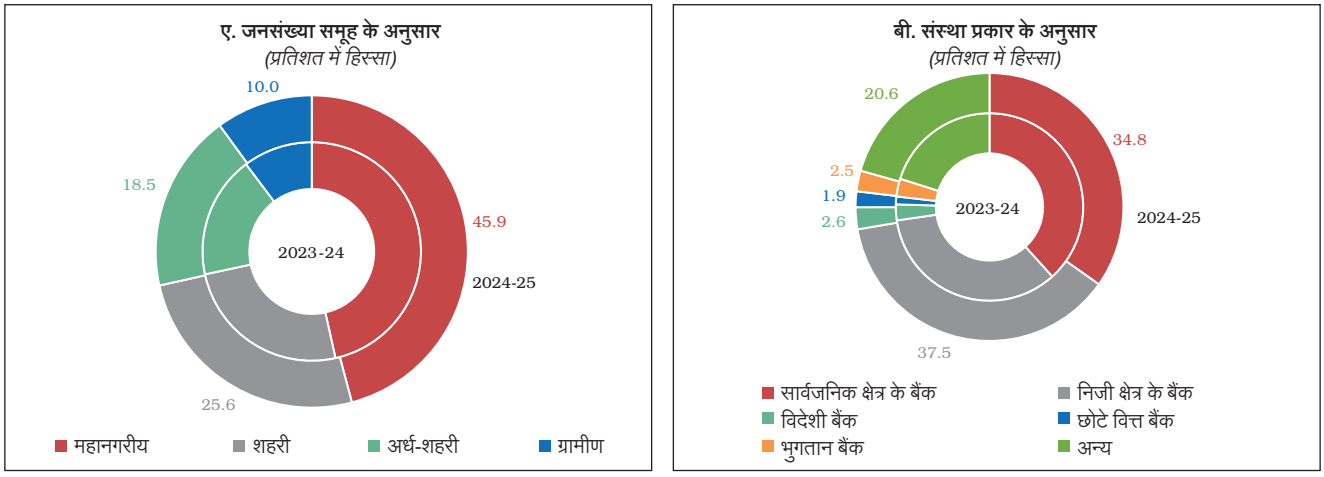

टिप्पणी: अन्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियां और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[22] उन शिकायतों को छोडकर, जिन्हें केंद्रीयकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) द्वारा बंद किया गया है और वे शिकायतें जिन्हें शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) द्वारा गैर-रखरखाव योग्य शिकायतों के रूप में स्वतः बंद किया गया है।

चार्ट IV.35: मुख्य शिकायत श्रेणियों का संस्थान प्रकार के अनुसार विभाजन: 2024-25

(प्रतिशत)

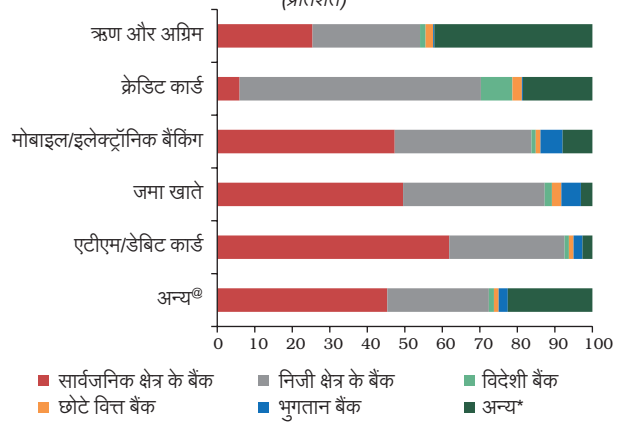

@: इसमें धन प्रेषण, पैरा बैंकिंग, पेंशन भुगतान, नोट और सिक्के, और अन्य शामिल हैं।
*: इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियां, और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

IV.75 ओआरबीआईओ ने 2024-25 के दौरान संभाली गई 3.12 लाख शिकायतों में से कुल 2.91 लाख शिकायतों का निपटान किया, और 93.1 प्रतिशत की निपटान दर बनाए रखी[23]।

11.2 जमा बीमा

IV.76 जमा बीमा वित्तीय सुरक्षा-जाल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करता है। भारत में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, वह जमा बीमा का प्रशासन करती है, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, जिसमें ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और सहकारी बैंक शामिल हैं, को कवरेज प्रदान करता है। मार्च 2025 के अंत तक, डीआईसीजीसी ने 1,982 बैंकों को बीमा कवरेज प्रदान किया, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक और 1,843 सहकारी बैंक शामिल थे, और प्रति जमाकर्ता जमा बीमा कवरेज की सीमा ₹5 लाख है (सारणी IV.27)।

IV.77 पूर्णतः बीमित जमा खातों की संख्या (अर्थात्, जिन खातों में जमाराशि ₹5 लाख तक है) के संदर्भ में बीमा कवरेज अनुपात मार्च 2025 के अंत में 97.6 प्रतिशत था। जमाराशि के संदर्भ में, बीमित जमाराशियों के अनुपात द्वारा मापा गया

सारणी IV.27: बैंक समूहवार बीमित जमा

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	31 मार्च, 2024 तक				31 मार्च, 2025 तक			
	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा	मूल्यांकन योग्य जमा	आईडीआर {(3)/(4)}	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा	मूल्यांकन योग्य जमा	आईडीआर {(7) / (8)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	**140**	**86,66,416**	**2,06,73,077**	**41.9**	**139**	**92,39,260**	**2,28,57,103**	**40.4**
i. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	56,47,846	1,15,76,001	48.8	12	59,53,830	1,26,11,152	47.2
ii. निजी क्षेत्र के बैंक	21	23,63,912	72,35,902	32.7	21	25,71,103	81,93,195	31.4
iii. विदेशी बैंक	44	50,568	10,08,506	5.0	44	52,084	10,91,743	4.8
iv. लघु वित्त बैंक	12	89,532	2,15,426	41.6	11	1,07,719	2,70,601	39.8
v. भुगतान बैंक	6	16,794	16,937	99.2	6	26,142	26,294	99.4
vi. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,96,827	6,19,010	80.3	43	5,27,364	6,62,709	79.6
vii. स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	937	1,295	72.4	2	1,018	1,409	72.2
II. सहकारी बैंक (i से iii)	**1,857**	**7,46,290**	**11,79,084**	**63.3**	**1,843**	**7,72,805**	**12,48,939**	**61.9**
i. शहरी सहकारी बैंक	1,472	3,71,846	5,56,962	66.8	1,457	3,80,142	5,84,450	65.0
ii. राज्य सहकारी बैंक	33	64,202	1,48,080	43.4	34	66,285	1,57,076	42.2
iii. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,10,242	4,74,041	65.4	352	3,26,378	5,07,412	64.3
कुल (I+II)	**1,997**	**94,12,705**	**2,18,52,160**	**43.1**	**1,982**	**1,00,12,065**	**2,41,06,042**	**41.5**

आईडीआर : बीमाकृत जमा अनुपात, यह कुल निर्धारणीय जमा में से बीमाकृत जमा का प्रतिशत अनुपात है।
टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।
स्रोत : डीआईसीजीसी।

[23] साल के दौरान हैंडल की गई शिकायतों में उस वर्ष प्राप्त शिकायतें, पिछले वर्ष से लायी गई शिकायतें, और ईमेल / सीईपीसी से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं जिन्हें वर्ष की शुरुआत से पहले प्राप्त किया गया था लेकिन वर्ष की शुरुआत या उसके बाद ओआरबीआईओ को पंजीकृत / सौंपा गया।

कवरेज मार्च 2025 के अंत में घटकर 41.5 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 43.1 प्रतिशत था।

IV.78 जमा बीमा निधि का गठन डीआईसीजीसी के पास इस उद्देश्य के लिए किया गया है कि बीमित जमा के दावों का निपटान किया जा सके, जब (i) भारतीय रिज़र्व बैंक[24] द्वारा बैंक पर सर्वसमावेशी निर्देश लगाए जाएँ; (ii) बैंक का परिसमापन किया जाए; और (iii) बैंक का विलय/समामेलन हो, यदि योजना डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत जमाकर्ताओं को भुगतान की आवश्यकता रखती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, डीआईसीजीसी ने इस निधि के माध्यम से ₹476 करोड़ के दावों का निपटान किया और कुल ₹1,309 करोड़ के दावों की वसूली की[25]। मार्च 2025 के अंत तक, जमा बीमा निधि में बकाया राशि ₹2.29 लाख करोड़ रही, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि बीमित जमा 6.4 प्रतिशत बढ़ी। परिणामस्वरूप, आरक्षित अनुपात – बीमित जमा के मुकाबले जमा बीमा निधि का अनुपात – मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 2.29 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 2.11 प्रतिशत था।

IV.79 प्रारंभ से ही, डीआईसीजीसी ने जमा बीमा योजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों पर एक निश्चित दर की प्रीमियम राशि लगाई थी, वर्तमान लागू प्रीमियम दर निर्धारित जमाराशियों के प्रत्येक ₹100 पर 12 पैसे है। दिसंबर 2025 में, रिज़र्व बैंक ने जमा बीमा के लिए एक जोखिम-आधारित प्रीमियम संरचना पेश करने का प्रस्ताव रखा ताकि बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जा सके और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

12. वित्तीय समावेशन

IV.80 वित्तीय समावेशन समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार और रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयासों के साथ तकनीकी-संचालित नवोन्मेषों ने अल्पविकसित जनसंख्या को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। भारत ने डिजिटलीकरण को बैंक शाखा नेटवर्क और एटीएम के विस्तार के साथ पूरक बनाया है, जिससे समावेशन को बढ़ावा मिला है। यह अधिकांशतः अन्य देशों के विपरीत है, जहाँ डिजिटलीकरण पारंपरिक वित्तीय सेवा चैनलों की गिरावट की ओर ले जा रहा है। इसके अलावा, भारत में बैंक शाखाओं की पहुंच अधिकांश अन्य ईएमडीई देशों की तुलना में अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति एटीएम की उपलब्धता भारत में अपेक्षाकृत कम है (चार्ट IV.36ए और बी)।

12.1 वित्तीय समावेशन योजनाएं

IV.81 वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफ़आईपी) उन मानकों पर बैंकों की उपलब्धियों को दर्शाती हैं जैसे कि बैंकिंग बिक्री केंद्रों की संख्या (शाखाएं) और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बिक्री केंद्र, बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) में लेनदेन और कारोबार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी चैनल[26] के माध्यम से लेनदेन। मार्च 2025 के अंत तक बीएसबीडीए की संख्या 2.6 प्रतिशत बढ़कर 72.4 करोड़ हो गई, जबकि इन खातों में कुल शेष राशि 9.5 प्रतिशत बढ़कर 3.3 लाख करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, अधिकांश बीएसबीडीए अब भी कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है (सारणी IV.28)।

---

[24] रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निर्देश (एआईडी) जारी करता है और एआईडी के अंतर्गत रखी गई बैंक को जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में डीआईसीजीसी को एक एनडोर्समेंट के साथ सूचित करता है, जहाँ बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है।

[25] डीआईसीजीसी के पास डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 21 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बीमा भुगतान वसूलने का अधिकार है।

[26] वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विस्तृत और विष्लेषित आंकड़े संकलित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी (एमपीएफआई) विवरणी की कवरेज अब सभी बैंकों तक बढ़ा दी गई है (सिवाय टियर 1 और 2 शहरी सहकारी बैंकों के)। इसके परिणामस्वरूप, एफआईपी रिटर्न का बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 से जमा करना बंद कर दिया गया है।

चार्ट IV.36: चयनित देशों में वित्तीय समावेशन की प्रगति

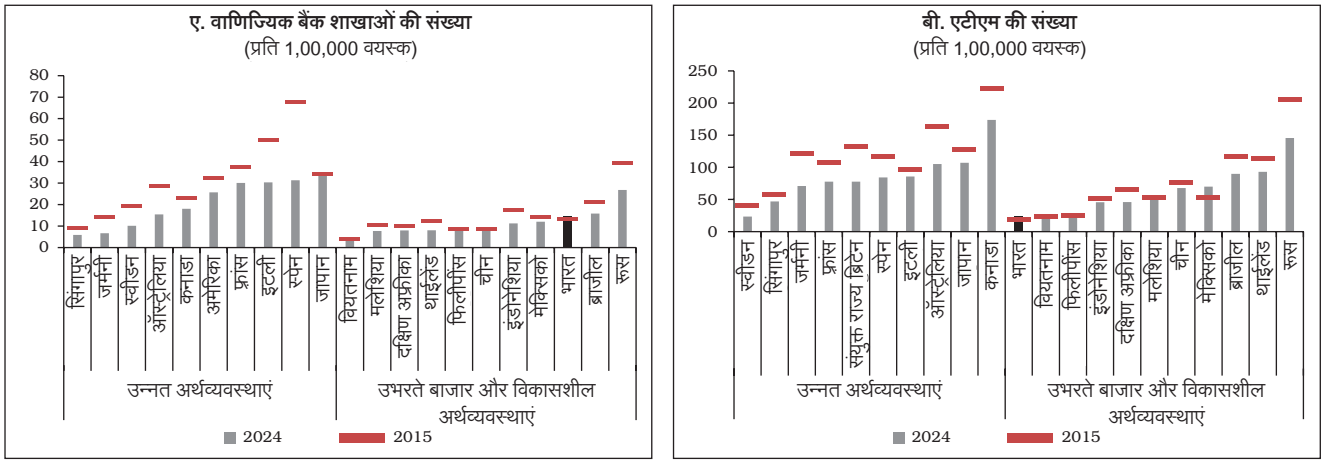

टिप्पणी: 1. जर्मनी के लिए 2024 का वाणिज्यिक बैंक शाखा के आंकड़े 2023 से संबंधित है।
2. स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस के लिए 2024 का एटीएम के आंकड़े 2023 से संबंधित है।

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे, 2024, आईएमएफ़।

12.2 वित्तीय समावेशन सूचकांक

IV.82 भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन (एफआई) सूचकांक देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति को मापता है। यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित 97 संकेतकों का डेटा तीन आयामों – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता – पर संग्रहित करता है। ये आयाम तीन उप-सूचकांक

सारणी IV.28: वित्तीय समावेशन योजना में प्रगति
(मार्च अंत तक)

मद	2015	2020	2024	2025 (पी)
1	2	3	4	5
बैंकिंग लोकसंपर्क				
1. गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	49,571	54,561	54,198	56,829
2. 2,000 > आबादी वाले गांवों में बीसी आउटलेट	90,877	1,49,106	12,66,756	10,38,208
3. 2,000 < आबादी वाले गांवों में बीसी आउटलेट	4,08,713	3,92,069	2,80,922	2,72,764
4. गांवों में कुल बीसी आउटलेट	4,99,590	5,41,175	15,47,678	13,10,972
5. बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	96,847	6,35,046	3,06,658	3,09,182
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)				
6. बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	2,103	2,616	2,768	2,751
7. बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि ₹ करोड़ में)	36,498	95,831	1,46,306	1,54,028
8. बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	1,878	3,388	4,290	4,491
9. बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि ₹ करोड़ में)	7,457	72,581	1,53,489	1,74,243
10. बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	3,981	6,004	7,059	7,242
11. बीएसबीडीए - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	43,955	1,68,412	2,99,796	3,28,271
12. बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	76	64	48	45
13. बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (राशि ₹ करोड़ में)	1,991	529	564	564
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)				
14. केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	426	475	515	501
15. केसीसी - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	4,38,229	6,39,069	8,47,238	8,83,682
16. जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	92	202	23	21
17. जीसीसी - कुल (राशि ₹ करोड़ में)	1,31,160	1,94,048	34,340	37,563
कारोबार प्रतिनिधि				
18. आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	4,770	32,318	36,390	39,676
19. आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि ₹ करोड़ में)#	85,980	8,70,643	13,11,078	14,46,451

पी: अनंतिम, बीसी: कारोबार प्रतिनिधि, ओडी: ओवर ड्राफ्ट, आईसीटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।
स्रोत: पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी द्वारा जमा किए गए वित्तीय समावेशन योजना विवरणी।

के माध्यम से प्रतिविंबित होते हैं, अर्थात्, एफआई-पहुंच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। मिश्रित एफआई-सूचकांक का मान मार्च 2025 में 67.0 पर पहुँच गया, जो मार्च 2024 में 64.2 था, और सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयाम द्वारा हुई, जो वित्तीय समावेशन की गहरीकरण और सतत वित्तीय साक्षरता पहलों को दर्शाती है (चार्ट IV.37)।

चार्ट IV.37: आरबीआई-वित्तीय समावेशन सूचकांक

(सूचकांक)

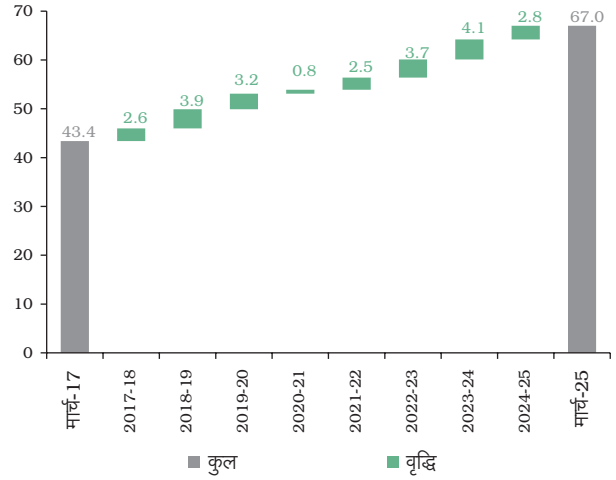

टिप्पणी: सूचकांक का मान शून्य और 100 के बीच होता है, जहाँ शून्य पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई।

12.3 प्रधानमंत्री जन धन योजना

IV.83 भारत सरकार द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने बैंकिंग से वंचित व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल किया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों में बड़ी संख्या ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों व महिलाओं के लिए हैं। मार्च 2025 के अंत तक, पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 55.2 करोड़ पहुँच गई, जिसमें 96.4 प्रतिशत खातों का प्रबंधन पीएसबी और आरआरबी द्वारा किया जा रहा है। पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमाराशि मार्च 2025 के अंत तक ₹2.6 लाख करोड़ होकर 12 प्रतिशत बढ़ गया (चार्ट IV.38ए)। मार्च 2015 से मार्च 2025 के दौरान पीएमजेडीयू खातों में औसत जमाराशि चार गुना से अधिक बढ़ी है, जो उपयोग में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट IV.38बी)। जुलाई-अक्तूबर 2025 के दौरान, बैंक वित्तीय समावेशन योजनाओं के विस्तार के लिए एक देशव्यापी अभियान में भागीदार रहे, जिसमें ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों की पुनः-केवाईसी भी शामिल थी। नवंबर 2025 के अंत में, पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या 57.1 करोड़ तक पहुँच गई, जिनमें ₹2.7 लाख करोड़ की जमाराशि थी।

चार्ट IV.38: पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्रगति

ए. पीएमजेडीवाई खातों की संख्या और कुल जमा

(खातों की संख्या करोड़ में, बायां मान; ₹ लाख करोड़, दायां मान)

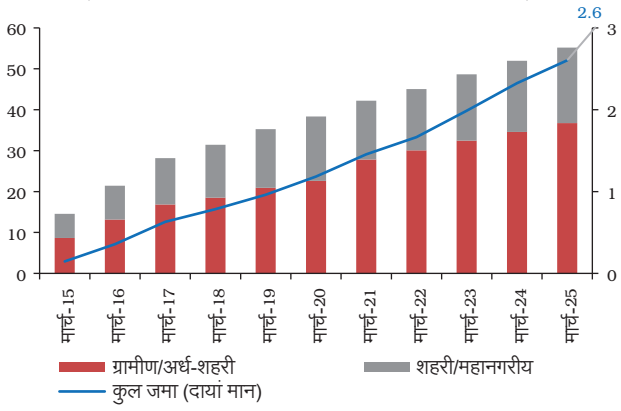

बी. पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि

(₹)

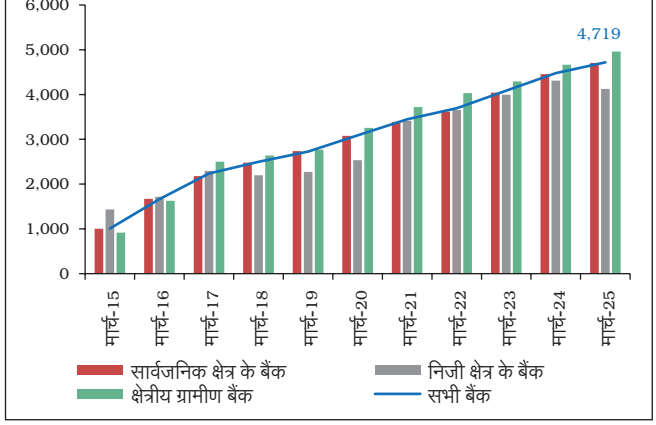

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अंतिम बुधवार से संबंधित है।
स्रोत: पीएमजेडीवाई, भारत सरकार।

12.4 एससीबी द्वारा नए बैंक शाखाएँ

IV.84 ग्राहक सहभागिता के लिए डिजिटलकरण के साथ-साथ भौतिक बैंक शाखाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। मार्च 2025 के अंत तक, एससीबी की 1.64 लाख घरेलू शाखाएँ थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। एससीबी द्वारा नई शाखाओं का खोलना 2024-25 में थोड़ा मंद हो गया, जो पिछले दो वर्षों में तेजी से हुआ था। वर्ष के दौरान खोली गई नई बैंक शाखाओं का लगभग आधा हिस्सा टियर 1 (शहरी/महानगरीय) केंद्रों में था, जबकि शेष आधा हिस्सा टियर 2-6 (अर्ध-शहरी/ग्रामीण) केंद्रों में था (सारणी IV.29)।

IV.85 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंको द्वारा नई शाखाएं खोलने में गिरावट दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, 2024-25 में एससीबी द्वारा खोली गई कुल नई शाखाओं में पीवीबी का हिस्सा 51.8 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 में 65.5 प्रतिशत था। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नई शाखाओं का 67.3 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में खोला गया, जबकि निजी क्षेत्र के बैंको के लिए यह अनुपात 37.5 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.39 और परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.29: एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का टियर-वार वितरण

टियर	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
टियर 1	1,567 (48.2)	2,323 (43.6)	2,681 (49.8)	2,413 (48.3)
टियर 2	233 (7.2)	471 (8.8)	451 (8.4)	375 (7.5)
टियर 3	424 (13.0)	809 (15.2)	684 (12.7)	654 (13.1)
टियर 4	292 (9.0)	544 (10.2)	433 (8.0)	472 (9.5)
टियर 5	227 (7.0)	424 (7.9)	368 (6.8)	352 (7.1)
टियर 6	509 (15.7)	763 (14.3)	762 (14.2)	725 (14.5)
कुल	**3,252 (100.0)**	**5,334 (100.0)**	**5,379 (100.0)**	**4,991 (100.0)**

टिप्पणियाँ: 1. 'टियर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 2' में 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 3' में 20,000 से 49,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 4' में 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, 'टियर 5' में 5,000 से 9,999 जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं, और 'टियर 6' में 5,000 से कम जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं। जनसंख्या के सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
2. आंकड़ों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट और प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े किसी विशेष टियर में खोली गई शाखाओं की कुल प्रतिशत के रूप में संख्या को दर्शाते हैं।
4. हो सकता है पूर्णांकन के कारण घटक मद कुल में न जुड़े।

स्रोत: बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई), आरबीआई। सीआईएसबीआई आंकड़े बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

12.5 क्षेत्रीय बैंकिंग व्यापन

IV.86 दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में बैंक शाखाएँ हैं, जबकि मार्च 2025 के अंत तक बैंकिंग व्यापन उत्तरी क्षेत्र में

चार्ट IV.39: एससीबी की नई खुली बैंक शाखाओं का जनसंख्या समूह के अनुसार वितरण

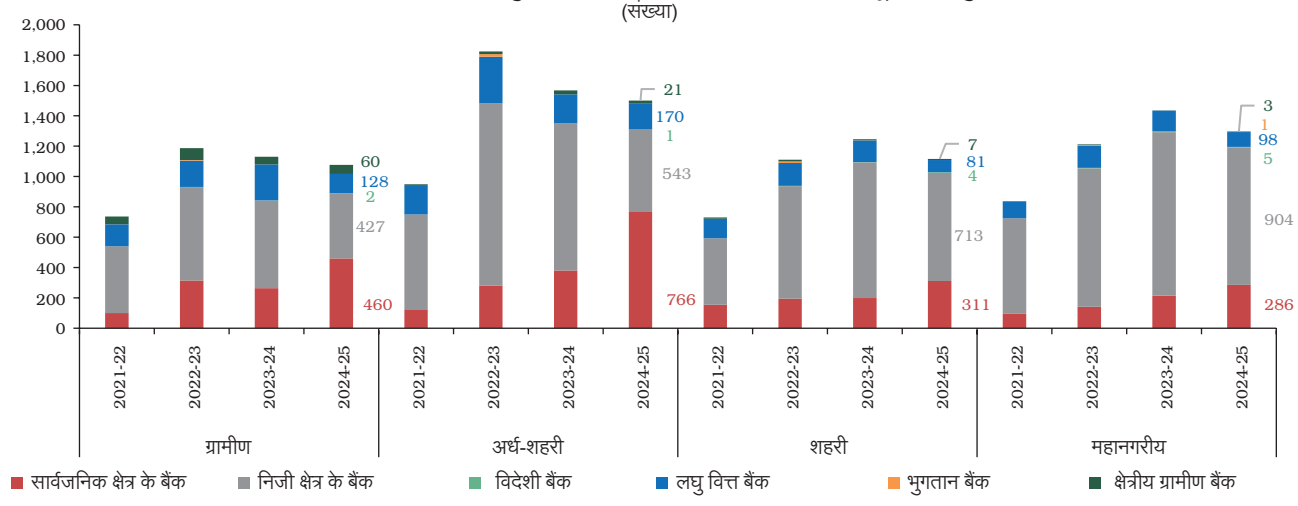

स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई।

चार्ट IV.40: बैंकों का क्षेत्रीय व्यापन

(प्रत्येक बैंक शाखा पर जनसंख्या)

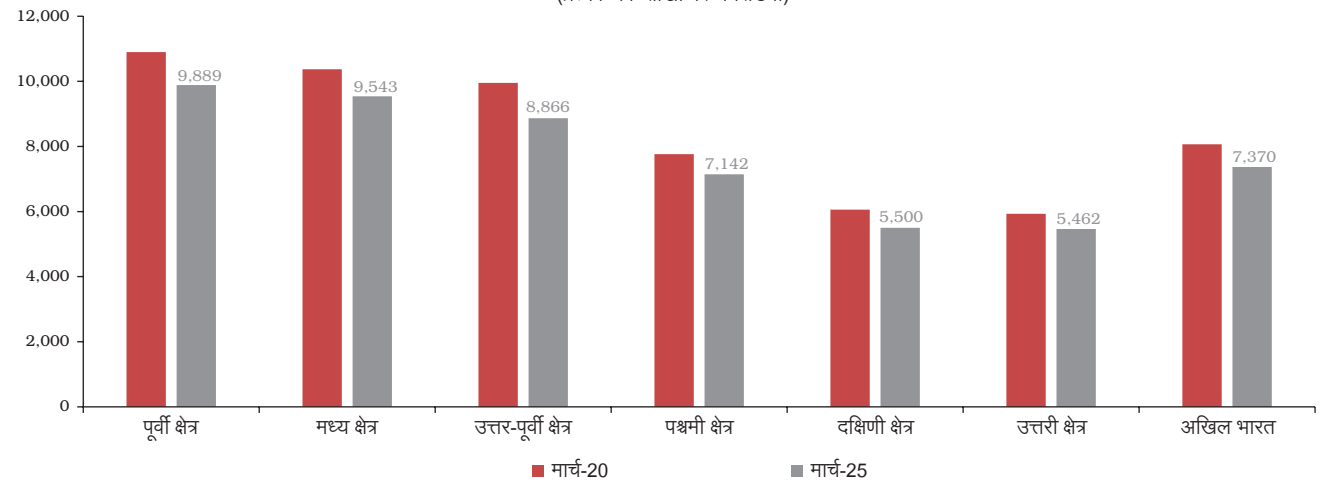

स्रोत: आरबीआई और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

सबसे अधिक है।[27] हाल के वर्षों में, सभी क्षेत्रों में बैंकिंग व्यापन में सुधार हुआ है, जिसमें सबसे तीव्र सुधार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देखा गया है (चार्ट IV.40)।

12.6 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.87 सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति, छोटे मूल्य के ऋण सहित, उन लोगों और समुदायों तक पहुँचाई जाती है जो बैंकों की सेवाओं से वंचित हैं, इस प्रकार सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी), जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बचत और ऋण सुविधाओं का विस्तार करना है, दुनिया के सबसे बड़े सूक्ष्मवित्त आंदोलन के रूप में उभरा है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या पिछले वर्ष के 54.8 लाख से बढ़कर 2024-25 में 55.6 लाख हो गई। हालांकि, बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋण की राशि दक्षिणी क्षेत्र में कम वितरण के कारण थोड़ी कम हो गई (चार्ट IV.41)। मार्च 2025 के अंत तक, स्वयं सहायता समूहों के बैंकों में जमा बचत शेष 9.7 प्रतिशत बढ़कर ₹0.7 लाख करोड़ हो गया, जबकि बैंकों का स्वयं सहायता समूहों पर बकाया ऋण 17.2 प्रतिशत बढ़कर ₹3 लाख करोड़ हो गया।

चार्ट IV.41: स्वयं-सहायता समूहों को वितरित बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(₹ करोड़)

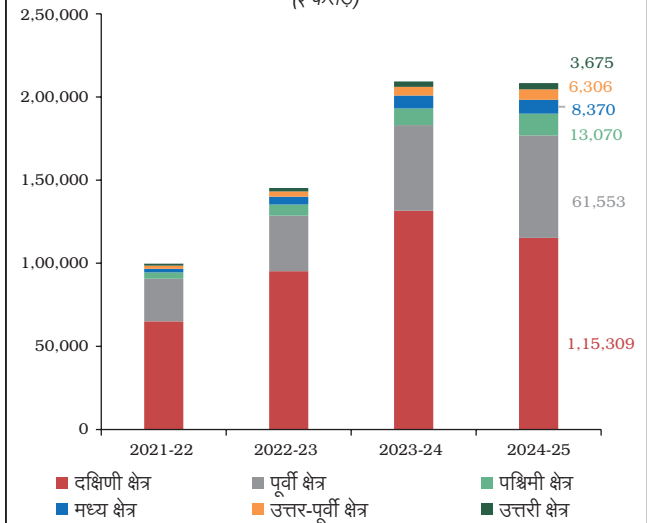

स्रोत: नाबार्ड

[27] बैंकिंग व्यापन को प्रत्येक शाखा पर जनसंख्या से मापा जाता है। प्रति बैंक शाखा पर अधिक जनसंख्या का मतलब कम व्यापन है।

IV.88 बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), जो छोटे उधारकर्ताओं के अनौपचारिक क्रेडिट समूह हैं, को वितरित किए गए ऋण की राशि 2024-25 में 58 प्रतिशत घट गई (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

12.7 व्यापारिक प्राप्य-राशि बट्टाकरण प्रणाली-ट्रेड्स

IV.89 ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों जैसे कि सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों से प्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापारिक प्राप्य के वित्तपोषण/डिस्काउंटिंग को सुविधाजनक बनाता है। 2024-25 में अपलोड किए गए और वित्तपोषित चालानों की संख्या और राशि में तेज वृद्धि के साथ ट्रेड्स ने और अधिक गति प्राप्त की। सफलता दर, जिसे अपलोड किए गए चालानों में कितने चालान वित्तपोषित हुए इसका प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, 2023-24 में 94.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 95.3 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.30)।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किए गए ताकि छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उनका कार्यात्मक फोकस कृषि, व्यापार, वाणिज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों पर रहा है। मार्च 2025 के अंत तक, 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी, 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख) में 22,158 शाखाओं के माध्यम से संचालित हो रहे थे।

सारणी IV.30: ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अपलोड किए गए चालान		अपलोड किए गए चालान	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2021-22	17,33,553	44,112	16,40,824	40,309
2022-23	27,24,872	83,955	25,58,531	76,646
2023-24	44,04,148	1,51,343	41,58,554	1,38,241
2024-25	64,04,936	2,47,796	61,01,384	2,33,711

स्रोत: आरबीआई।

IV.91 अपने अधिदेश के अनुसार, लगभग 92 प्रतिशत आरआरबी शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक है, जो 2024-25 के दौरान सभी आरआरबी के कुल लाभ का 42.1 प्रतिशत योगदान करता है (परिशिष्ट सारणी IV.14)। 'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत के मार्गदर्शन में, भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2025 को आरआरबी के चरण-IV समामेलन को अधिसूचित किया।[28] तद्नुसार, आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटाकर 1 मई, 2025 से 28 कर दी गई।

13.1 तुलन पत्र विश्लेषण

IV.92 आरआरबी के संयुक्त तुलन पत्र में 2024-25 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 8.9 प्रतिशत थी। आरआरबी ने उधारी की कमी के कारण ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए अपनी जमाराशि और अपने स्वामित्व वाले निधियों पर अधिक निर्भरता रखी (सारणी IV.31)।

IV.93 आरआरबीज के कुल देयतायों में जमाराशि का हिस्सा 79 प्रतिशत रहा, हालांकि इनकी जमाराशि में वृद्धि 2024-25 के दौरान अन्य एससीबी की तुलना में कम रही। कम लागत वाली सीएएसए जमाराशि की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में आरआरबीज की कुल जमाराशि का 53.5 प्रतिशत था, जो सभी प्रकार के एससीबी में सबसे अधिक था, केवल भुगतान बैंको को छोड़कर[29]। आरआरबीज का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात[30] मार्च 2025 के अंत में 73.1 प्रतिशत तक बढ़ गया,

[28] भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की परिचालन क्षमता में सुधार और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के संरचनात्मक एकीकरण की पहल की। पहले तीन दौर के विलय के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संख्या 2004-05 में 196 से घटकर 2020-21 में 43 रह गई थी।

[29] भुगतान बैंक को टर्म डिपॉजिट की अनुमति नहीं है।

[30] आरआरबी के सकल अग्रिम से जमा राशि का अनुपात के रूप में गणना की जाती है।

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. शेयर पूंजी	19,042	19,303	10.5	1.4
2. आरक्षित निधियां	46,659	53,060	16.3	13.7
3. जमा	6,59,815	7,13,800	8.4	8.2
3.1 चालू	11,952	13,375	0.1	11.9
3.2 बचत	3,47,193	3,68,574	8.6	6.2
3.3 मीयादी	3,00,670	3,31,851	8.5	10.4
4. उधार	92,444	92,268	9.1	-0.2
4.1 नाबार्ड	77,166	77,455	5.5	0.4
4.2 प्रायोजक बैंक	4,293	7,949	26.0	85.2
4.3 अन्य	10,986	6,864	34.2	-37.5
5. अन्य देयताएं	22,120	25,495	5.9	15.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**8,40,080**	**9,03,925**	**8.9**	**7.6**
1. हाथ में नकदी	2,933	2,764	1.6	-5.8
2. आरबीआई में शेष राशि	30,990	30,065	5.7	-3.0
3. चालू खाते में शेष राशि	8,173	9,752	14.3	19.3
4. निवेश	3,19,099	3,21,213	1.8	0.7
5. ऋण और अग्रिम	4,45,286	5,02,434	15.1	12.8
6. अचल आस्तियां	1,581	1,979	12.4	25.2
7. अन्य आस्तियां, जिनमें से,	32,019	35,718	5.6	11.6
7.1 संचित हानि	8,921	8,435	-9.4	-5.4

टिप्पणी: आंकड़े मार्च 2025 अंत के लिए अनंतिम हैं।
स्रोत: नाबार्ड।

जो पिछले 35 वर्षों में सबसे उच्च स्तर है, क्योंकि ऋण और अग्रिमों में वृद्धि, जमाराशि में वृद्धि से आगे निकल गई।

13.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.94 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लाभ में गिरावट दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से पेंशन योजना के कार्यान्वयन और 1 नवंबर, 1993 से कंप्यूटर वेतन वृद्धि देयता की बजह से वेतन वृद्धि के कारण था, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में किया गया (सारणी IV.32)।[31] आरआरबी की विविध आय में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से उनके मजबूत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो का लाभ उठाकर पीएसएलसी जारी करने से प्रेरित रही।

सारणी IV.32: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**70,443**	**78,090**	**18.5**	**10.9**
i. ब्याज आय	61,341	67,422	14.4	9.9
ii. अन्य आय	9,101	10,668	57.3	17.2
बी. व्यय (i+ii+iii)	**62,872**	**71,270**	**15.5**	**13.4**
i. ब्याज व्यय	33,237	37,153	24.5	11.8
ii. परिचालन व्यय	21,267	27,129	-2.8	27.6
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	15,305	20,200	-8.3	32.0
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	8,368	6,989	42.5	-16.5
जिसमें, आयकर शामिल है	2,430	2,186	70.7	-10.0
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	15,938	13,809	47.0	-13.4
ii. निवल लाभ	7,571	6,820	52.2	-9.9
डी. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	2.0	1.6		
ii. निवल लाभ	1.0	0.8		
iii. आय (ए+बी)	8.9	9.1		
ए. ब्याज आय	7.8	7.9		
बी. अन्य आय	1.2	1.2		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	7.9	8.3		
ए. ब्याज व्यय	4.2	4.3		
बी. परिचालन व्यय	2.7	3.2		
जिसमें, वेतन बिल	1.9	2.4		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.1	0.8		
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
सकल एनपीए अनुपात	6.2	5.4		
सीआरएआर	14.2	14.4		

: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी: 1. 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।
स्रोत: नाबार्ड।

IV.95 मार्च 2025 के अंत में आरआरबी का समेकित जीएनपीए अनुपात 13 साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट IV.42)। उच्च सुरक्षित प्रावधान से आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में एनएनपीए अनुपात 2.0 प्रतिशत तक घट गया। इसके बावजूद, घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की

[31] एक ही वर्ष में अतिरिक्त पेंशन देयता को पूरा करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों के दृष्टिगत, जो कि कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अतिरिक्त पेंशन देयता को उस अवधि में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जो 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर अधिकतम पांच वर्ष से अधिक न हो।

चार्ट IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(प्रतिशत)

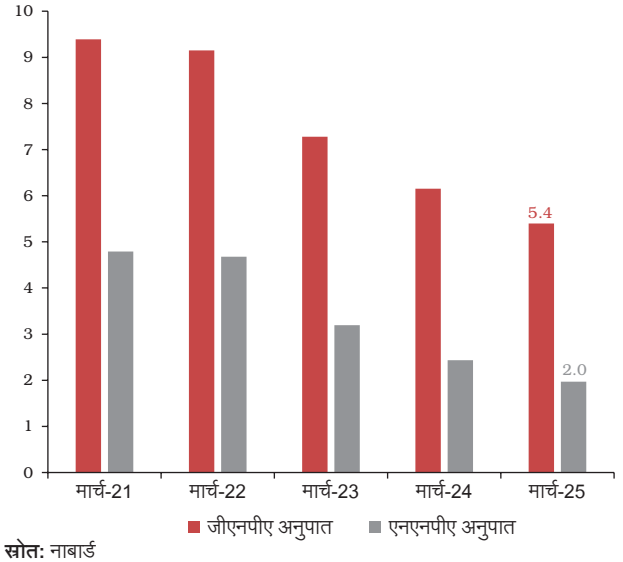

स्रोत: नाबार्ड

संख्या 2024-25 में पांच हो गई, जो पिछले वर्ष के तीन के मुकाबले अधिक है जो कि बड़े पैमाने पर पहले उल्लेखित वेतन बिल में एक बार की वृद्धि और राज्य-विशिष्ट एनपीए अनुपात में वृद्धि के कारण हुआ (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

IV.96 मार्च 2025 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का समेकित सीआरएआर 14.4 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चस्तर तक पहुँच गया (चार्ट IV.43ए)। 2021-22 से आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण और लाभ की स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर 9.0 प्रतिशत से कम वाले आरआरबी की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है (चार्ट IV.43बी)।

IV.97 मार्च 2025 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कुल ऋण पोर्टफोलियो में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का हिस्सा 84.7 प्रतिशत रहा (सारणी IV.33)। 2024-25 के दौरान, सभी आरआरबी ने प्राथमिकता क्षेत्र में अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण/ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के ऋण समतुल्य का 75 प्रतिशत ऋण देने के कुल लक्ष्य को पूरा किया (परिशिष्ट सारणी IV.15)।

14. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.98 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) छोटे, निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं, जिनकी स्थापना का उद्देश्य कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करना और प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करना है। एलएबी का एक परिभाषित भौगोलिक संचालन क्षेत्र होता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को लक्षित करता है, जिसमें आपस में जुड़े हुए जिलों को शामिल किया जाता है। मार्च 2025 के अंत तक, दो एलएबी संचालित थे, जिनकी 79 शाखाएँ थीं।

IV.99 2024-25 के दौरान, स्थानीय क्षेत्र बैंको (एलएबी) का संयुक्त तुलन पत्र में 9.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें अग्रिम राशि और जमाराशि दोनों पिछले वर्ष की तुलना में तेज़ी से बढ़े। जमाराशि की तुलना में ऋण की वृद्धि अधिक होने

चार्ट IV.43: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

(मार्च के अंत में)

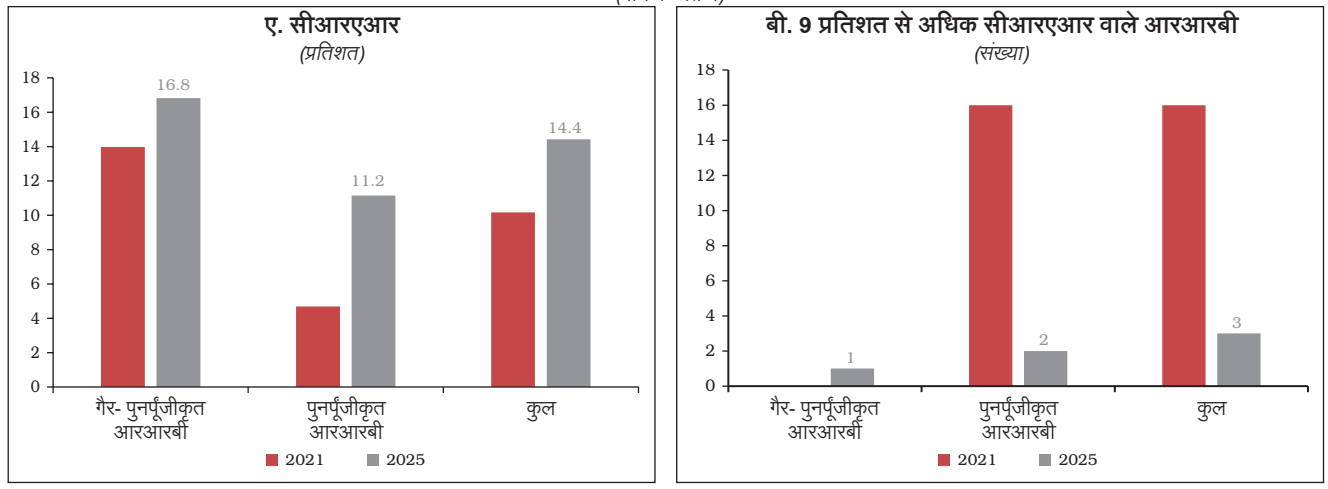

स्रोत: नाबार्ड

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उद्देश्य के अनुसार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्देश्य	2024	2025 (अ)
1	2	3
I. प्राथमिकता (i से v)	**4,08,810**	**4,42,041**
कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	*87.0*	*84.7*
i. कृषि	3,16,671	3,42,253
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	57,639	58,784
iii. शिक्षा	1,609	1,582
iv. आवास	26,047	27,411
v. अन्य	6,843	12,010
II. गैर-प्राथमिकता (i से vi)	**61,300**	**79,872**
कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	*13.0*	*15.3*
i. कृषि	17	7
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	187	179
iii. शिक्षा	343	442
iv. आवास	13,620	16,627
v. व्यक्तिगत ऋण	17,788	17,720
vi. अन्य	29,345	44,898
कुल (I+II)	**4,70,109**	**5,21,913**

अ: अनंतिम
स्रोत: नाबार्ड।

के कारण, ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में 85.6 प्रतिशत हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 81.4 प्रतिशत था (सारणी IV.34)।

14.1 वित्तीय प्रदर्शन

IV.100 वर्ष 2024-25 के दौरान स्थानीय क्षेत्र बैंको (एलएबी) का शुद्ध लाभ घट गया। लाभ कम होने का कारण आय में वृद्धि की तुलना में व्यय में अधिक वृद्धि थी, क्योंकि ब्याज आय में वृद्धि आधी से भी कम हो गई और 2024-25 के दौरान प्रावधान और आकस्मिकताओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई (सारणी IV.35)।

सारणी IV.34: स्थानीय क्षेत्र बैंकों की प्रोफ़ाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024	2025
1	2	3
1. आस्तियां	1,584 (7.5)	1,731 (9.3)
2. जमा	1,271 (6.8)	1,385 (9.0)
3. सकल अग्रिम	1,034 (7.2)	1,186 (14.7)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व-द-व वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**197**	**209**	**10.1**	**6.1**
i. ब्याज आय	172	182	12.8	5.8
ii. अन्य आय	25	27	-5.7	8.8
बी. व्यय (i+ii+iii)	**162**	**180**	**13.7**	**11.2**
i. ब्याज व्यय	79	88	25.9	11.9
ii. परिचालन व्यय	68	72	14.6	6.9
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	33	36	13.5	10.9
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	15	19	-26.0	27.0
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	50	48	-11.9	-4.0
ii. निवल लाभ	35	29	-3.9	-17.6
डी. निवल ब्याज आय	**93**	**94**	**3.7**	**0.5**
ई. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	3.3	2.9		
ii. निवल लाभ	2.3	1.7		
iii. आय (ए+बी)	12.9	12.6		
ए. ब्याज आय	11.3	11.0		
बी. अन्य आय	1.6	1.6		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	10.6	10.9		
ए. ब्याज व्यय	5.2	5.3		
बी. परिचालन व्यय	4.4	4.4		
जिसमें, वेतन बिल शामिल है।	2.1	2.2		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.0	1.2		
v. निवल ब्याज आय	6.1	5.6		

टिप्पणी: वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15. लघु वित्त बैंक

IV.101 लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) विशेषीकृत संस्थान हैं, जिन्हें वित्तीय सेवाओं से वंचित और उन तक बहुत कम पहुंच रखने वाली जनसंख्या को औपचारिक बचत के साधन उपलब्ध कराने और लघु व्यावसायिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को उच्च तकनीक और कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मार्च 2025 के अंत तक, भारत में 11 लघु वित्त बैंक सक्रिय थे जिनकी 7,403 घरेलू शाखाएँ थीं।[32]

[32] 2024-25 में एक लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) के दूसरे के साथ विलय होने के बाद, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हुआ, एसएफ़बी की संख्या 12 से घटकर 11 हो गई।

15.1 तुलन पत्र

IV.102 2024-25 के दौरान एसएफबी के समेकित तुलन पत्र के आकार में दहाई अंक की दर से बढ़ोतरी हुई, जिसने अन्य एससीबी श्रेणियों की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दिया। मार्च 2025 के अंत में एसएफबी की कुल जमाराशि का 73.9 प्रतिशत मीयादी जमा के रूप में था। जमाराशि वृद्धि का ऋण वृद्धि से अधिक रहने के कारण, मार्च 2025 के अंत में एसएफबी का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 86.4 प्रतिशत पर रहा, जो पिछली साल 90.1 प्रतिशत था (सारणी IV.36)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.103 वर्ष 2024-25 के दौरान तुलन पत्र में मजबूत वृद्धि के बावजूद एसएफबी के लाभ में गिरावट दर्ज की गई। एसएफबी के निवल लाभ में गिरावट इसके प्रावधानों और आकस्मिकताओं पर खर्च में तेज़ वृद्धि के कारण हुई। एसएफबी की आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज हुई, जिससे मार्च 2025 के अंत

सारणी IV.36: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. पूंजी	7,844	8,307	0.4	5.9
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	32,957	36,339	39.9	10.3
3. जमा	2,50,896	3,15,401	31.1	25.7
3.1 मांग	10,895	13,685	46.7	25.6
3.2 बचत	59,691	68,666	9.2	15.0
3.3 मीयादी	1,80,310	2,33,050	39.5	29.2
4. उधार	28,255	30,022	-9.4	6.3
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	15,328	15,394	12.5	0.4
कुल देयताएं/आस्तियां	**3,35,280**	**4,05,463**	**25.3**	**20.9**
1. नकद और आरबीआई के पास शेष राशि	17,503	26,780	-1.9	53.0
2. बैंकों के पास शेष राशि और शीघ्रावधि राशि	6,259	5,777	38.2	-7.7
3. निवेश	74,283	87,286	27.9	17.5
4. ऋण और अग्रिम	2,26,148	2,72,481	27.1	20.5
5. अचल आस्तियां	3,353	4,205	22.6	25.4
6. अन्य आस्तियां	7,733	8,936	19.6	15.6

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**45,400**	**54,223**	**34.3**	**19.4**
i. ब्याज आय	39,647	46,782	33.0	18.0
ii. अन्य आय	5,753	7,441	43.8	29.3
बी. व्यय (i+ii+iii)	**39,181**	**50,727**	**32.2**	**29.5**
i. ब्याज व्यय	17,474	22,336	43.9	27.8
ii. परिचालन व्यय	17,186	20,247	30.7	17.8
जिसमें, वेतन बिल शामिल है	8,498	10,321	26.8	21.4
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	4,521	8,144	3.8	80.1
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	10,740	11,640	26.1	8.4
ii. निवल लाभ	6,219	3,496	49.4	-43.8
डी. वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)				
i. परिचालन लाभ	3.6	3.1		
ii. निवल लाभ	2.1	0.9		
iii. आय (ए+बी)	15.1	14.6		
ए. ब्याज आय	13.2	12.6		
बी. अन्य आय	1.9	2.0		
iv. व्यय (ए+बी+सी)	13.0	13.7		
ए. ब्याज व्यय	5.8	6.0		
बी. परिचालन व्यय	5.7	5.5		
जिसमें, वेतन बिल शामिल है।	2.8	2.8		
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.5	2.2		
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
सकल एनपीए अनुपात	2.4	3.6		
सीआरएआर	21.6	21.5		
कोर सीआरएआर (टियर 1 पूंजी)	19.4	18.8		

: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी: वित्तीय अनुपातों की गणना वर्तमान और पिछले वर्ष की कुल आस्तियों के औसत के प्रतिशत के रूप में की गई है।

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे; और परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

में जीएनपीए अनुपात 3.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। हालांकि, मार्च 2025 के अंत में 21.5 प्रतिशत सीआरएआर और 18.8 प्रतिशत कोर सीआरएआर (टियर 1 पूंजी) के साथ एसएफबी के पूंजीकरण की स्थिति अच्छी बनी हुई है (सारणी IV.37)।

16. भुगतान बैंक

IV.104 भुगतान बैंक (पीबी) ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी के विकास का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मार्च 2025 के अंत तक, छह भुगतान बैंक 81 शाखाओं के साथ संचालन में थे।

16.1 तुलन पत्र

IV.105 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भुगतान बैंकों (पीबी) के संयुक्त तुलन पत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो देयता पक्ष पर जमाराशि और आस्ति पक्ष पर निवेश द्वारा संचालित थी (सारणी IV.38)। जमा – बचत और चालू – मार्च 2025 के अंत में भुगतान बैंको की कुल देयता का 68.1 प्रतिशत रही। आस्ति पक्ष पर उनके ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध के अनुसार एसएलआर निवेश प्रमुख थे। सभी भुगतान बैंको ने 15 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर का पालन किया।

16.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.106 भुगतान बैंक, जिन्होंने अपने परिचालन के आरंभिक वर्षों में घाटा दर्ज किया था, 2024-25 में लगातार तीसरे वर्ष के लिए लाभ में रहे। ब्याज आय में वृद्धि के साथ परिचालन लाभ में वृद्धि हुई, जबकि गैर-ब्याज आय में गिरावट आई। निवल लाभ सकारात्मक बना रहा, हालांकि प्रावधानों और आकस्मिकताओं में वृद्धि के कारण इसमें मामूली कमी आई (सारणी IV.39)।

IV.107 शुद्ध लाभ में गिरावट को दर्शाते हुए, 2024-25 के दौरान भुगतान बैंको की आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी

सारणी IV.38: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र

मद	मार्च के अंत तक राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5
1. कुल पूंजी और आरक्षित निधि	3,440	3,584	17.1	4.2
2. जमा	16,330	25,605	33.6	56.8
3. अन्य देयताएं और प्रावधान	6,385	8,403	-23.8	31.6
कुल देयताएं/आस्तियां	**26,155**	**37,592**	**11.1**	**43.7**
1. नकद और आरबीआई के पास शेष राशि	3,094	3,715	26.1	20.1
2. बैंकों और मुद्रा बाजार में शेष राशि	4,350	6,636	-13.1	52.6
3. निवेश	14,627	24,037	18.0	64.3
4. अचल आस्तियां	1,266	1,339	125.3	5.8
5. अन्य आस्तियां	2,819	1,865	-9.6	-33.9

टिप्पणी: आंकड़े 06 भुगतान बैंको के है जिनमें दोनों अनुसूचित और गैर अनुसूचित भुगतान बैंक शामिल हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.39: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

मद	राशि (₹ करोड़)		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**7,857**	**7,697**	**20.7**	**-2.0**
i. ब्याज आय	1,441	1,733	64.3	20.3
ii. अन्य आय	6,416	5,964	14.0	-7.0
बी. व्यय (i+ii+iii)	**7,762**	**7,605**	**-21.0**	**-2.0**
i. ब्याज व्यय	356	548	44.1	54.1
ii. परिचालन व्यय	7,292	6,923	18.5	-5.1
iii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ *जिसमें* शामिल है	115	134	688.6	16.7
जोखिम प्रावधान	11	0.3	185.3	-97.3
कर प्रावधान	68	3	773.4	-95.3
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	209	226	97.0	8.2
ii. निवल लाभ	94	92	3.0	-2.2
डी. निवल ब्याज आय	**1,085**	**1,185**	**72.2**	**9.2**
ई. विश्लेषणात्मक अनुपात (प्रतिशत)				
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.4	0.3		
इक्विटी पर प्रतिलाभ	3.0	2.6		
कुल संपत्ति के मुकाबले निवेश#	55.9	63.9		
निवल ब्याज मार्जिन	6.0	4.6		
आय और लागत का अनुपात	97.2	96.8		
कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन लाभ	0.8	0.7		
निवल लाभ मार्जिन	1.3	1.3		

#: मार्च अंत की स्थिति के अनुसार
टिप्पणी: आंकड़े 06 भुगतान बैंको के है जिनमें दोनों अनुसूचित और गैर अनुसूचित भुगतान बैंक शामिल हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणी (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

पर प्रतिलाभ में नरमी आई। पीबी का कुल आस्तियों के अनुपात में निवेश बढ़ा, जबकि उनके निवल ब्याज मार्जिन में वर्ष के दौरान नरमी आई। भुगतान बैंको ने 2024-25 के दौरान लागत-से-आय अनुपात में नरमी के साथ दक्षता में सुधार भी जारी रखा।

17. समग्र मूल्यांकन

IV.108 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र में मजबूत गति से विस्तार हुआ, जो जमाराशि और ऋण में दो अंकीय वृद्धि से प्रेरित रहा, हालांकि इसमें कुछ नरमी देखी गई। उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि लाभप्रदता मजबूत बनी रही। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट बहु-दशकीय न्यूनतम स्तर पर

पहुँच गई जिसके कारण आस्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई। बैंक बेहतर रूप से पूंजीकृत बने हुए है, साथ ही उनके लीवरेज और चलनिधि अनुपात विनियामकीय न्यूनतम दर से काफी ऊपर हैं। ये मजबूत बुनियादी सिद्धांत जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं और बैंकिंग क्षेत्र की ऋण विस्तार बनाए रखने की क्षमता का समर्थन करते हैं।

IV.109 आगे बढ़ते हुए, वाणिज्यिक क्षेत्र की संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंको को गैर-बैंक स्रोतों से प्रतिस्पर्धा मिलती रहेगी। इसके अलावा, तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और डिजिटलकरण लोगों के बैंक के साथ अपने बचत और क्रेडिट जरूरतों के लेनदेन के तरीके को बदल सकता है, साथ ही बैंकिंग प्रणाली को नए जोखिमों जैसे कि साइबर जोखिम के लिए भी उजागर कर सकता है। जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ करना और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से परिचालन क्षमता में सुधार करना आवश्यक रहेगा, साथ ही वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण पर निरंतर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन बैंक की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।